खण्ड-173, अंक-5
शुक्रवार, 28 वैशाख, शक संवत् 1878
(18 मई, 1956 ई0)

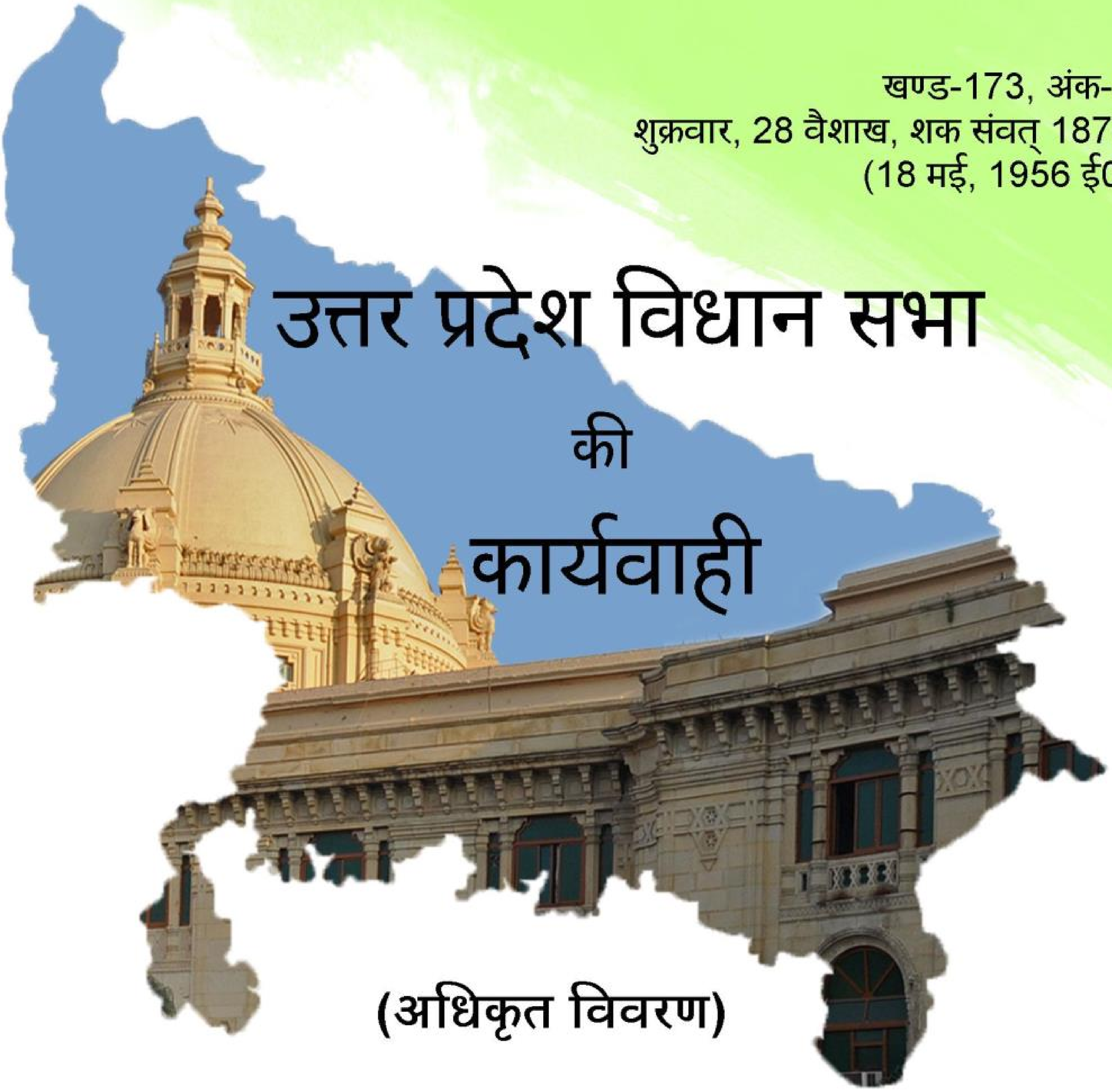

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 173 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १८ मई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२१५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीजइमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुलमुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर मिश्र , श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जराम, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगपतिसिंह, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री

दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवशास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामभजन, श्री
रामराजशुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री

रामसुभग वर्मा, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १८ मई, १९५६

तारांकित प्रश्न

छत्रसाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जालौन में कृषि के लिए प्राप्त भूमि का मुआवजा

*१—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में छत्रसाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जालौन को कृषि के लिये जो जमीन दी गई है क्या उसका मुआवजा सम्बन्धित काश्तकारों को दे दिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश संसदीय विधान सभा

शिक्षामन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—जिला जालौन में छत्रसाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को कृषि के लिये कोई पृथक भूमि प्राप्त नहीं की गई। जो भूमि विद्यालय भवन बनने के लिए प्राप्त की गई थी उसी भूमि में संभव है कृषि के लिए क्षेत्र विद्यालय ने रखा हो। उक्त भूमि का मुआवजा अभी संबंधित काश्तकारों को नहीं दिया गया। कारण यह है कि इस संबंध में कुछ बातों पर जिलाधीश जालौन को सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त करना पड़ा। अस्तु, अब संबंधित काश्तकारों को मुआवजा अदा करने की कार्यवाही जिलाधीश कर रहे हैं।

बस्ती जिले के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सहायता

*२—**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के किन-किन अंग्रेजी स्कूलों के कितने-कितने बाढ़ पीड़ित विद्यार्थियों की इस वर्ष फीस माफ हुई और सहायता दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब?

श्री हरगोविन्द सिंह—सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है। फीस माफी के अतिरिक्त अन्य कोई सहायता नहीं दी गई।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३८५ पर)

माडल स्कूलों के अध्यापकों का वेतन ग्रेड न बढ़ना

*३—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—क्या यह सत्य है कि जिला बोर्ड के अध्यापकों का ग्रेड बढ़ा दिया गया है परन्तु माडल स्कूल के अध्यापकों का ग्रेड नहीं बढ़ाया गया?

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां।

*४—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि माडल स्कूल के अध्यापकों का वेतन ग्रेड बढ़ाने में क्या-क्या कठिनाइयां हैं?

डाक्टर सीताराम—माडल स्कूल के अध्यापकों का वर्तमान वेतन-क्रम स्थानीय निकायों के अध्यापकों के वेतन-क्रम से कम नहीं है। अतः इसे आगे बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड व माडल स्कूलों के वेतन में क्या अन्तर है?

डाक्टर सीताराम—माडल स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम में जो प्रधानाध्यापक हैं उनका वेतन-क्रम ६० से १०० तक है। सहायक अध्यापक का वेतन क्रम भी ६० से ८० तक है, और अन्य अध्यापकों का ४५ से ८० है। बोर्ड में अब तक जो अध्यापकों का वेतन-क्रम था वह प्रधानाध्यापक का वेतन-क्रम ४५ से ६० तक था। सहायक अध्यापकों का वेतन-क्रम जो ट्रेन्ड थे उनका ३५ से ५० तक और सहायक अध्यापक जो ट्रेन्ड नहीं थे उनका वेतन-क्रम शुरू होता था ३० रुपये से।

लखनऊ में लक्ष्मण टीले की खुदाई

*५—**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ में आसफी इमामबाड़ा के पास के लक्ष्मण टीला के पास किसी प्रकार की खुदाई के सिलसिले में कुछ प्राचीन भारत एवं प्रागैतिहासिक काल के चिन्ह एवं वस्तुएं प्राप्त हुई हैं?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*६—श्री झारखंडे राय—यदि हां, तो क्या सरकार इस पर सदन में पूर्ण प्रकाश डालने की कृपा करेगी।

डाक्टर सीताराम—फरवरी के अन्तिम सप्ताह में लखनऊ में सीवर पाइप बिछाते समय आसफीइमाम बाड़े के पास स्थित लक्ष्मण टीले की खुदाई में कुछ ऐतिहासिक सामग्रियों के मिलने की सूचना पत्रों में प्रकाशित हुई थी। कहा जाता है कि भारत सरकार के पुरातत्व विभागीय, उत्तरी क्षेत्र आगरा के निरीक्षक श्री बी० बी० लाल को वहां से खोदाई में कुछ मृण्पात्र खंड आदि मिले हैं जिसे उन्होंने काली मिट्टी के बने घोषित किए हैं। इनमें से कुछ पर पालिश तथा कुछ पर चित्रकारी की हुई है। राजकीय संग्रहालय के संचालक श्री मदनमोहन नागर खुदाई के स्थान पर गए परन्तु उन्हें इस प्रकार की कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं मिली। श्री बी० बी० लाल महोदय ने श्री नागर को कुछ मृण्पात्र दिखलाए थे जो प्राचीन थे, और जो अब भी उन्हीं के पास हैं। परन्तु ये टुकड़े इतने कम थे कि उनसे कोई निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती थी। कई बार के प्रयास करने पर भी उक्त क्षेत्र से अब तक इस प्रकार की कोई भी सामग्री नहीं मिल सकी जो प्रागैतिहासिक, या वैदिक काल की कही जा सके। हां, एक प्रकार का एक कुआं soak pit अवश्य वहां मिला है जो प्रागैतिहासिक काल से लगाकर ई० १० वीं सदी तक का कहा जा सकता है।

*७—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार यह बतायेगी कि सरकार उस स्थान की सुरक्षा और उसकी सुनियोजित ढंग से खुदाई के लिए क्या कर रही है?

डाक्टर सीताराम—इस वित्तीय वर्ष में उसका सर्वेक्षण कराया जायगा, तथा यदि कोई महत्वपूर्ण खोज हो सकेगी तो टीले की खुदाई की जायेगी।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री बी० बी० लाल ने जो अपने नतीजे घोषित किये हैं वे अपने ही जांच के आधार पर, या किन्हीं और विशेषज्ञों की जांच के आधार पर उन्होंने किये हैं?

डाक्टर सीताराम—अपनी ही जांच के आधार पर घोषित किए हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो वस्तुयें श्री लाल को प्राप्त हुई हैं उनकी ऐतिहासिकता के विषय में, यानी वे कितनी पुरानी हैं, इसके विषय में भी उन्होंने कई बातें बतायी हैं?

डाक्टर सीताराम—यह तो कहा ही गया है कि १०वीं शताब्दी तक कहीं जा सकती हैं। उन्होंने अपनी यह राय दी है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या मंत्री जी इस विचार से, कि अन्य ऐतिहासिक सामग्रियां भी उपलब्ध हों, खुदाई कराने का विचार रखते हैं?

डाक्टर सीताराम—यह प्रश्नोत्तर में तो बतला ही दिया गया कि इस वित्तीय वर्ष में सर्वेक्षण कराया जायगा। यदि कोई महत्वपूर्ण खोज होगी तो टीले की खुदाई करायी जायगी।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सर्वेक्षण कराने का विचार है उस सिलसिले में प्रादेशिक सरकार पुरातत्व से भी सहायता लेने का विचार कर रही है अथवा स्वयं ही इस काम को कराने का विचार कर रही है?

डाक्टर सीताराम—पुरातत्व विभाग तो सरकार ही के अधीन है।

*८-१०—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[१ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

जाजमऊ, जिला कानपुर में ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का मिलना

*११—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर (जाजमऊ) में खोदने पर कुछ ऐतिहासिक महत्व की चीजें मिली हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी परीक्षा हो गई और यह चीजें किस काल की हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि इस सम्बन्ध में पिछले दिनों अखबारों में काफी चर्चा रही है ।

डाक्टर सीताराम—सूचना तो नहीं है । लेकिन रही होगी ।

श्री ब्रह्मदक्ष दीक्षित—क्या खोज विभाग के अधिकारी इस जगह को देखने के लिए गये थे । क्या सरकार को इसकी कोई जानकारी है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—तो उसका क्या परिणाम निकला ?

डाक्टर सीताराम—अभी तक तो कोई खुदाई नहीं हुई है, लेकिन उस जगह को देखने के लिये वह अवश्य गये थे और उन्होंने अपनी राय यह दी है कि जो भी मृत्पात्र के टुकड़े अब तक एकत्रित किये गये हैं उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह छठीं शताब्दी से लेकर तीसरी , चौथी शताब्दी तक के छोटे-छोटे टुकड़े, जैसे चूड़ियों के टुकड़े, मिट्टी के खिलौने, एक तांबे की बाली है ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या इसकी सूचना सरकार को श्री राजकुमार जी सिन्हा ने दी थी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां ।

*१२—श्री रामसुभग वर्मा—[८ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

कानपुर की सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थायें

*१३—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या शिक्षा मंत्री कानपुर शहर की उन शिक्षा संस्थाओं की सूची मय पते के मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि जिन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त होता है और यह कि उन्हें कितनी-कितनी रकम दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३८६–३९० पर ।)

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तालिका के अतिरिक्त हरिजन विभाग से भी स्कूलों को कोई सहायता मिलती है ?

डाक्टर सीताराम—हरिजन विभाग से सहायता उन विद्यार्थियों की फीस के लिए मिलती है जो हरिजन विद्यार्थी उन संस्थाओं में विद्योपार्जन करते हैं और उनकी फीस माफ रहती है । उस फीस की कमी को दूर करने के लिये हरिजन द्वारा दी जाती है लेकिन वह रकम इस रकम में नहीं उल्लिखित है ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या राष्ट्रपाल स्कूल, बुद्धपुरी को कोई सहायता नहीं दी जाती ?

डाक्टर सीताराम—दी जाती है ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या इस सूची में राष्ट्रपाल स्कूल का नाम नहीं है, इसका कारण बताने का कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—हां, सूची में तो नाम मैं नहीं देख रहा हूं। मैं इसकी जांच अवश्य कराऊंगा कि क्यों सूची में नाम नहीं है ?

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस स्कूल को कितनी सहायता दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

शिक्षा संस्थाओं की मैनेजिंग कमेटियों में सरकारी मनोनीत सदस्य की आवश्यकता

*१४—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**—क्या सरकार ने उस योजना को समाप्त कर दिया कि जिसके अनुसार प्रत्येक शिक्षा संस्था की मैनेजिंग कमेटी में एक-एक सरकारी मनोनीत सदस्य नियुक्त करना था ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो अब तक ऐसा किन कारणों-वश न हो सका ?

डाक्टर सीताराम—सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसके अन्तर्गत शिक्षा संस्थाओं की मैनेजिंग कमेटी पर एक-एक सरकारी मनोनीत सदस्य नियुक्त करना हो। बेटर मैनेजमेंट समिति के इस सम्बन्ध में सुझाव अवश्य थे, जिसके अनुसार तीन सरकारी सदस्य नियुक्त किये जाने वाले थे। उक्त सुझाव कुछ वैधानिक कठिनाइयों के कारण कार्यान्वित न किये जा सके।

*१५–१६—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—[१९ जून, १९५६ के लिये प्रश्न ८–९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१७–१८—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—[१५ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

हरिजन कल्याण विभाग में वेलफेयर सुपरवाइजरों की नियुक्ति

*१९—**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि हरिजन कल्याण विभाग में कितने कितने वेलफेयर सुपरवाइजर हरिजनों की देखरेख के लिये प्रदेश में नियुक्त हैं ?

डाक्टर सीताराम—समस्त प्रदेश में १११ हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर नियुक्त हैं।

*२०—**श्री जोरावर वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि इन सुपर-वाइजरों में कुछ ग्रेड भी हैं ? यदि हां, तो कितने ?

डाक्टर सीताराम—इनके २ ग्रेड हैं।

*२१—**श्री जोरावर वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि इन सुपर-वाइजरों में कितने हरिजन और कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

डाक्टर सीताराम—इन १११ सुपरवाइजरों में से ८५ हरिजन वर्ग के हैं तथा ९ पिछड़े वर्ग के।

नोट—तारांकित प्रश्न १९–२१ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि दो ग्रेड सुपरवाइजरों के जो हैं, वे अलग-अलग क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम—पहला ग्रेड ५० रुपये से लेकर १०० रुपये तक है और दूसरा ग्रेड ३० रुपये से लेकर ६० रुपये तक है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि यह जो दो तरह के सुपरवाइजर्स होते हैं इनकी योग्यता अलग-अलग होती है या एक ही है ?

डाक्टर सीताराम—योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि इन सुपरवाइजरों का जिले में कार्य करने के लिये कोई क्षेत्र निर्धारित होता है या पूरे जिले में काम करते हैं ?

डाक्टर सीताराम—ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के आदेशानुसार पूरे जिले में काम करते हैं और वे आवश्यकता समझते हैं तो उनका क्षेत्र भी निर्धारित कर देते हैं।

*२२—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—[२५ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

प्रादेशिक त्रिदल सम्मेलन, नैनीताल में श्रमिकों के वेतन तथा बोनस संबंधी निर्णय

*२३—**श्री झारखंडेराय**—दिनांक २५-११-१९५५ के प्रश्न संख्या ६३ से सम्बन्धित क्या सरकार बतायेगी कि श्रमिकों के वेतन और बोनस की कुल रकम कितनी है ?

स्वशासन उप-मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार १३१ कारखानों में ३१ दिसम्बर, १९५५ तक बिना चुकाये गये वेतन और बोनस की कुल रकम ३,८८,६८६ रु० ४ आ० २ पाई थी।

*२४—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार यह बतायेगी कि यह वेतन और बोनस की रकम किस कारखाने पर कितनी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—उपलब्ध सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३९१-३९४ पर।)

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि यह बिना चुकाये गये वेतन और बोनस की कुल रकम को मजदूरों को दिलाने के लिए सरकार की ओर से क्या उपाय किये गए हैं और उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश—तजवीज तो यह है कि यह जो वेतन चुकाया नहीं जा सका है और चुकाया नहीं जायगा वह लेबर वेलफेयर बोर्ड के काम में इस्तेमाल होना चाहिए।

*२५—**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)—[२५ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

बाढ़-ग्रस्त जिलों से विद्यार्थियों की मुआफी फीस के लिये मांग

*२६—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन १६ बाढ़ पीड़ित जिलों के गरीब छात्रों की फीस मुआफी में सहायता प्रदान की गई है उन जिलों से इस मद में अलग-अलग कितने-कितने रुपये की मांग की गई थी, तथा पूरे ५ माह के लिये कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

डाक्टर सीताराम--सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्रित की जा सकेगी ?

डाक्टर सीताराम--यह नहीं कहा जा सकता लेकिन यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सूचना एकत्रित की जा सकेगी तो सदन की मेज पर रखी जायगी ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

बस्ती जिले की नौगढ़ तथा डुमरियागंज तहसीलों में शुद्ध जल का आयोजन

*२७--श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बस्ती की नौगढ़ तहसील के पश्चिमी भाग तथा डुमरियागंज तहसील के उत्तरीय भाग में शुद्ध जल पीने का ग्रामीण जनता में अभाव है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नौगढ़ तहसील के पश्चिमी भाग में नियोजन तथा हरिजन विभाग द्वारा ४५ कुयें तथा डुमरियागंज तहसील के उत्तरी भाग में १९ कुयें बनवाये गये।

*२८--श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार जनता के लिये पीने के शुद्ध जल की व्यवस्था इस भाग में करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इस हेतु व्यवस्था की जा रही है।

*२९--श्री रामचन्द्र विकल--[१७ मई, १९५६ को प्रश्न २३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

देवरिया जिले में फीस मुआफी की सहायता

*३०--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि सन् १९५५ में बाढ़ के कारण दी गई फीस माफी की सहायता के रूप में देवरिया में किन स्कूलों को कितने रुपये, कितने विद्यार्थियों को दिये गये हैं ?

*३१--क्या यह सही है कि कुछ स्कूलों को अब तक नहीं मिली है ?

डाक्टर सीताराम--सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सूचना किसके द्वारा एकत्रित करायी जा रही है और कब तक यह तैयार हो जायेगी ?

डाक्टर सीताराम--विभागीय अधिकारियों द्वारा।

हरिजन कालोनी बनाने के सम्बन्ध में जानकारी

*३२--श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के प्लानिंग कमेटी से जो प्रार्थना-पत्र इस आशय का आया है कि जिले की प्रत्येक तहसील में एक-एक हरिजन कलोनी प्रति वर्ष बनवाई जाय, उस पर क्या कार्यवाही अब तक सरकार की तरफ से की गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जिला बस्ती की प्लानिंग कमेटी से इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र शासन के पास नहीं आया है। अतः उस पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*३३—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—[८ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

राजकीय हरिजन कन्या पाठशाला फरसाटार, जिला बलिया की सहायता बन्द करना

*३४—श्री रामरतन प्रसाद (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि जिला बलिया के अन्तर्गत कितनी राजकीय सहायता प्राप्त हरिजन प्राइमरी पाठशालायें चल रही हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—जिला बलिया में पांच हरिजन प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं।

*३५—श्री रामरतन प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि राजकीय हरिजन कन्या पाठशाला, फरसाटार की सहायता (एड) रोक दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, क्योंकि पाठशाला का प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं था।

हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों की निम्नतम योग्यता

*३६—श्री परमेश्वरी दयाल (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में हरिजन शिक्षा सुपरवाइजर कितने-कितने हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—अब हरिजन शिक्षा सुपरवाइजर का कोई पद इस विभाग के अन्तर्गत नहीं है। हरिजन शिक्षा सुपरवाइजरों का पद हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों में परिणत हो गया है और उन्हीं पदों के साथ सम्मिलित कर दिया गया है। हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों की कुल संख्या १११ है।

*३७—श्री परमेश्वरी दयाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिजन शिक्षा सुपरवाइजरों की निम्नतम योग्यता क्या है?

श्री हरगोविन्द सिंह—हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर, ग्रेड प्रथम की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल या मिडिल स्कूल (V.T.C.) है, और द्वितीय ग्रेड की न्यूनतम योग्यता मिडिल स्कूल है।

राजकीय हाई स्कूलों में इन्टरमीडिएट सेक्शन खोलने पर विचार

*३८—श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि सन् १९५६ में किन-किन राजकीय हाई स्कूलों में इन्टरमीडिएट सेक्शन खोले जायंगे?

श्री हरगोविन्द सिंह—मामला अभी विचाराधीन है।

बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने की मांग

*३९—श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई व्यवस्था इस प्रकार की सरकार करने जा रही है जिससे तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी में एक हायर सेकेंड्री स्कूल खुल जाय?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं ?

श्री रामसेवक यादव---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि तहसील हैदरगढ़ में एक भी हायर सेकेंड्री स्कूल अभी नहीं है ?

डाक्टर सीताराम---हो सकता है, संभव है।

श्री रामसेवक यादव---क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि कोई हायर सेकेंड्री स्कूल न होने के कारण वहां पर शिक्षा की स्थिति बहुत ही पिछड़ी हुई है ?

डाक्टर सीताराम---ऐसी बात तो नहीं है।

श्री रामसेवक यादव---क्या शिक्षा मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान जल्दी ही दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---आप स्पष्ट करें कि किस तरफ आपका मतलब है ?

श्री रामसेवक यादव---उस तहसील में जो शिक्षा की स्थिति खराब है, उसकी तरफ वह तवज्जह दे रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम---शिक्षा की स्थिति वहां खराब है ही नहीं।

शाहगंज रत्नाशुगर मिल, जौनपुर के गन्दे पानी को दूर बहाने का आश्वासन

*४०---श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहगंज रत्नाशुगर मिल, जौनपुर के गन्दे पानी को वहां से दूर बहाने के लिये क्या व्यवस्था हो रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह समस्या प्रदेश की तमाम मिलों के संबंध में है, अतएव सरकार इसकी समुचित व्यवस्था मिल विशेष की दृष्टि से नहीं, प्रदेश के आधार पर करने जा रही है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह समस्या सारे प्रदेश की है तो सरकार क्यों नहीं मिल मालिकों को मिल कायम करने के साथ ही समुचित व्यवस्था कायम करने के लिये बाध्य करती ?

श्री कैलाशप्रकाश---जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह समस्या है, और इस समस्या को ठीक करने के लिये सरकार प्रयत्न भी कर रही है। माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि सन् १९४९ में एक कमेटी भी इस बात के लिये विशेष कर बैठायी गयी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी। उस पर विचार हो रहा है और जो भी आवश्यक कार्यवाही इस विषय में करनी होगी वह करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ४९ से अब तक क्यों नहीं फैसला हो पाया ?

श्री कैलाशप्रकाश---फैसला इसी कारण नहीं हो पाया क्योंकि समस्या बहुत उलझी हुई है। जो पानी निकलता है किस चीज में इसका इस्तेमाल हो सकता है, किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, किस तरीके से इसकी खराबी को दूर किया जा सकता है, कहां इसको ले जाया जाय, किस तरीके से ले जाया जाय, ये सब सवाल उस में हैं, और इनके होने के कारण उस पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार को ज्ञात है कि सन् ५२ में मेरे शुगर मिल के प्रश्न पर माननीय श्रममंत्री, जो अब मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मिल के पानी का बहाव कहीं जल्दी से जल्दी किया जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश---कोई आश्वासन दिया, मैं इस समय नहीं कह सकता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां हैं नहीं, लेकिन सन् ५२ में उस कमेटी की रिपोर्ट आयी थी।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो कमेटी बैठी थी उसमें मुख्य सुझाव क्या-क्या दिये थे ?

श्री कैलाशप्रकाश---उसमें सुझाव कमेटी के भी थे और उनमें विशेषकर यह भी बातें थीं कि इस बात की खोज की जाय कि इस पानी को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, या खेती के लिये भी इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। स्वास्थ्य में इससे क्या क्या नुक्सानात पहुंचते हैं, सब चीजें उस कमेटी की सिफारिशों में समान थीं।

लखनेश्वरडीह, जिला बलिया में प्राचीन वस्तुओं की प्राप्ति

*४१---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि कुछ दिन पूर्व लखनेश्वरडीह (बलिया) में सरकार द्वारा खुदाई का कार्य चल रहा था ? यदि हां, तो वहां क्या मिला ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं, पर गत मार्च मास में उसका सर्वेक्षण कराया गया था जिसमें मृत्पात्र, मृण्मूर्तियां, पाषाण प्रतिमायें, गुरियां आदि मिली हैं।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या यह सर्वेक्षण जो चल रहा था उसका कार्य समाप्त हो गया या आगे फिर होने का है ?

डाक्टर सीताराम---इस सर्वेक्षण के कार्य को पारसाल शुरू किया गया था और अब वह समाप्त हो गया।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---सर्वेक्षण से जो वस्तुयें प्राप्त हुई हैं क्या उनकी परीक्षा की गयी है कि वह किस काल की हैं ?

डाक्टर सीताराम---जो वस्तुयें प्राप्त हुई हैं उनकी जांच की गयी है और उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि लखनेश्वरडीह ईसा मसीह की ६ठीं और ७वीं शताब्दी से चौदहवीं, पंद्रहवीं शताब्दी तक आबाद रहा।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या शिक्षा मंत्री जी को यह मालूम है कि कुछ वर्ष पूर्व वहां एक आदमकद मूर्ति प्राप्त हुई थी। इस कारण यदि यह सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है तो क्या उस स्थान का पुनः सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम---हां, भगवान् शिव की एक मूर्ति तो प्राप्त हुई थी। मैं अभी बतला चुका हूं कि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

*४२---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---[८ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४३---श्री विश्रामराय---[१५ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४४-४५---श्री रामसुन्दर पांडेय---[१५ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान

*४६--श्री मथुराप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में किन-किन संस्कृत पाठशालाओं को कितना-कितना अनुदान दिया जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ सं० ३९५ पर)

*४७-४८--श्री तेजासिंह [जिला मेरठ]--[८ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

इटावा जिले में माध्यमिक विद्यालयों को सहायता

*४९--श्री तुलाराम (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में जनता द्वारा संचालित एवं सरकारी मान्यता प्राप्त कौन-कौन से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं ? इनमें से किन-किन को और कितनी-कितनी वार्षिक सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सूचना संलग्न तालिका में सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३९६-३९७ पर)

राज्य में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत

*५०--श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस प्रदेश में पढ़े-लिखों का हाल का परसेंटेज (Percentage) क्या है ? इनमें से पुरुषों की, महिलाओं की अलग-अलग Percentage (प्रतिशत) क्या है ?

डाक्टर सीताराम--१९५१ की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार १०·८ प्रतिशत ।

पुरुष	..	१७.४	प्रतिशत
महिला	..	३.६	प्रतिशत

श्री सुल्तानआलम खां--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि पढ़ने वालों की तादाद इस सूबे में और सूबों की बनिस्बत कम क्यों है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--चूंकि और सूबों की जनसंख्या कम है और उनके पास सामग्री अधिक थी, इस कारण उन्होंने अपने यहां इस सूबे की अपेक्षा पढ़ने-लिखने वालों की तादाद अधिक बढ़ा ली है ।

श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि महिलाओं की तादाद ३·६ है, उसको बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है, या कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--स्कूल खोल रहे हैं और लड़कियों के लिये छात्रवृत्ति दे रहे हैं, जिसमें वह पढ़ने आ सकें ।

रायबरेली जिले में ग्राम सेविका तथा ग्राम लक्ष्मी

*५१--श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली में ग्राम सेविका तथा ग्राम लक्ष्मियों की क्रमशः क्या तादाद है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—रायबरेली में ग्राम सेविकाओं तथा ग्राम लक्षियों की संख्या क्रमशः १० तथा १७ है।

हिन्दी परामर्शदात्री समिति का संगठन

*५२—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह हिन्दी पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कार कब से दे रही है और उनको देने का आधार क्या है ?

डाक्टर सीताराम—वित्तीय वर्ष १९४८-४९ से। पुरस्कार हिन्दी परामर्शदात्री समिति की सिफारिश पर दिये जाते हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त परामर्शदात्री समित का संगठन किस प्रकार होता है ?

डाक्टर सीताराम—सरकार द्वारा किया जाता है, इसमें ६ मेम्बर्स होते हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष कितने लेखकों को पुरस्कार दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस परामर्शदात्री समिति में कौन-कौन सदस्य हैं ?

डाक्टर सीताराम—यह गोपनीय है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गतवर्ष कुल कितना रुपया पुरस्कार स्वरूप दिया गया था ?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परामर्शदात्री समिति के नाम गोपनीय क्यों हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जिसमें अच्छी तरह से किताबों की जांच हो सके।

झांसी जिले में ग्राम चुनाव में काम करने वाले अध्यापकों को भत्ता न मिलना

*५३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि झांसी जिला बोर्ड के अध्यापकों ने सन् १९५२ ई० के ग्राम चुनाव में काम किया था परन्तु उनको यात्रा का भत्ता अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो वह कब देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। लगभग आधे अध्यापकों को यात्रा भत्ता दे दिया गया है। शेष को इसे शीघ्रातिशीघ्र देने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक केवल आधे अध्यापकों को भत्ता दिये जाने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—आधे अध्यापक जिनको दिया गया है वे समय से मौजूद थे और जिनको नहीं मिल सका है उनका ट्रांसफर हो गया था। और उनके पास जो मनी-आर्डर्स गये वे लौट कर वापस आ गये। इसलिये उसमें देरी हुई।

श्रीरामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों का कुल कितना भत्ता था, कितना दिया गया और कितना शेष है ?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये भी सूचना की जरूरत होगी।

बोक्सा तथा थारू जातियों के विकास की योजनायें

*५४--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने बोक्सा तथा थारू पिछड़ी जातियों के सर्वांगीण विकास-हेतु कोई विशेष योजना बनाई है? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त योजना का विवरण सदन की मेज पर रखेगी?

डाक्टर सीताराम--हां। इस विभाग द्वारा पिछड़े क्षेत्र के बोक्सा तथा थारू जातियों के सर्वांगीण विकास-हेतु निम्नलिखित योजनायें बनाई गई हैं--

१--शिक्षा

इस विभाग द्वारा बोक्सा और थारू जातियों के बालक तथा बालिकाओं के शिक्षा हेतु चालू आर्थिक वर्ष में ३,००० रु० व्यय किया जायेगा।

२--गृह उद्योग

इस विभाग द्वारा उपरोक्त जातियों के आर्थिक उत्थान-हेतु गृह उद्योग के लिये अनुदान दिया जायेगा। चालू आर्थिक वर्ष में ४,००० रु० इस कार्य-हेतु व्यय किया जायेगा।

३--गृह तथा पेय जल योजना

इस विभाग द्वारा उपरोक्त जातियों के रहने के लिये अच्छे मकान तथा पानी पीने के लिये स्वच्छ जल का प्रबन्ध किया जायेगा। चालू आर्थिक वर्ष में योजना पर ८,००० रु० व्यय किया जायेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि ये बोक्सा और थारू जातियां प्रदेश के किन-किन जिलों में पायी जाती हैं?

डाक्टर सीताराम--थारू जातियां जैसी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की १९३१ की सेन्सस रिपोर्ट है उसके अनुसार नैनीताल के तराई इलाके में तथा खीरी, बहराइच गोंडा, गोरखपुर, पीलीभीत और बस्ती जिलों में पायी जाती हैं और बोक्सा जातियां नैनीताल, पीलीभीत और बिजनौर के जिलों में पायी जाती हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस विकास, योजना का जिक्र किया गया है उसके पहले भी उन जातियों के विकास के लिये कोई काम किया गया था?

डाक्टर सीताराम--पहले इतना काम नहीं किया गया था और अब मैंने जो प्रस्तुत किया है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बोक्सा और पिछड़ी जातियों की तादाद कितनी है?

डाक्टर सीताराम--१९५१ की सेंसस के मुताबिक थारू जाति की आबादी इस प्रांत में २५,०३३ है और बोक्सा की १९३१ में ७,६१८ थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सहायता उनकी उन्नति के लिये दी गई है वह अभी तक उपयोग में नहीं लाई गई है?

नोट--तारांकित प्रश्न ५४ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा।

डाक्टर सीताराम--ऐसी बात तो नहीं है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको ज्ञात है कि बोक्सा जाति बिजनौर में पाई जाती है ?

डाक्टर सीताराम--मैं तो उत्तर में बतला चुका हुं कि बोक्सा जाति बिजनौर में पाई जाती है ।

अतारांकित प्रश्न

मैनपुरी जिले में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा के लिये सहायता

१--**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सरकारी विद्यालयों में राजनैतिक पीड़ितों के लड़के व लड़कियों की संख्या क्या है जिन्हें शिक्षा निःशुल्क दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--निःशुल्क शिक्षा किसी को नहीं दी जाती केवल २ छात्रों की आधी फीस माफ है।

राज्य में जे० टी० सी० के ट्रेनिंग सेंटर

२--**श्रीमती व्रजरानी मिश्र** (जिला कानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जे० टी० सी० की ट्रेनिंग के सेंटर कहां-कहां हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३९८ पर)

३--**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय**--[८ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

मधुमक्खी पालने से शहद की प्राप्ति

४--**श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी** (जिला कानपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्रम हितकारी केन्द्रों द्वारा सन् १९५२ से संचालित होने वाली मधु मक्खी पालने की योजना से सन् १९५२ से १९५५ के दिसम्बार माह तक कितना शहद प्राप्त हुआ ?

आचार्य जुगल किशोर--इस समय के अन्दर कुल १११ १/४ पौण्ड शहद प्राप्त हुआ है ।

स्थानीय शासन से सम्बद्ध कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास श्री रामसेवक यादव ने एक काम रोको प्रस्ताव भेजा है क्योंकि मैं उसको महत्वपूर्ण नहीं समझता हूं और अनिश्चित भी समझता हूं, इसलिये उसको पढ़कर सुनाने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। वह केवल स्थानीय शासन से सम्बन्धित है और जिस विषय पर है वह यह है कि कहीं-कहीं पर स्थानीय अफसर माइक्रोफोन उपयोग की इजाजत नहीं देते हैं, ऐसी फुटकर बातों के सम्बन्ध में वह है। इससे सरकार से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है, इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं।

शनिवार, १९ मई, १९५६ को सदन की बैठक बुलाने के संबंध में संकल्प

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्म सिंह)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार सदन की बैठक शनिवार को नहीं होती है तथापि कुछ विधेयकों को शीघ्रातिशीघ्र पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सदन संकल्प करता है कि यह सदन अपने नियमित समय पर १९ मई, १९५६ को भी जो शनिवार है, बैठे।

श्री अध्यक्ष—किसी को आपत्ति तो नहीं है।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार सदन की बैठक शनिवार को नहीं होती है तथापि कुछ विधेयकों को शीघ्रातिशीघ्र पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह सदन संकल्प करता है कि यह सदन अपने नियमित समय पर १९ मई, १९५६ को भी जो शनिवार है, बैठे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ पर विचार जारी रहेगा।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—जब यह संकल्प पारित हो गया है तो क्या इस गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक पर विचार के लिये कुछ अधिक समय मिल सकेगा?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, इस प्रस्ताव का उससे मतलब नहीं। और भी बहुत से विधेयक हैं और मैं समझता हूं कि कल शायद स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा था कि गन्ने के सम्बन्ध में श्री गेंदासिंह जी से उनसे बात हुई थी, और उस विषय पर विवाद होगा शायद एक घंटा या डेढ़ घंटा। माननीय गेंदा सिंह जी कह रहे थे शायद डेढ़ घंटे उस पर बहस हो। मैं समझता हूं कि अगर वह विषय सामने रहा तो इस विधेयक पर विचार समाप्त हो जाने के बाद उस विषय पर विचार के लिये काफी समय मिल जायगा। मैं समझता हूं कि उस पर विचार के लिये तीन बजे से पांच बजे तक का समय ठीक होगा। इस प्रकार थोड़ा समय अधिक भी उसके लिए मिल जायगा। अगर आप (श्री गेंदासिंह से) उस पर डेढ़ घंटे ही विचार करने के लिये कहें तो मैं वही निश्चित करने को तैयार हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—मैं तो उद्योग मंत्री जी के उस हठ पर मजबूर था कि दो घंटे के बजाय डेढ़ घंटा ही रहे। मैं समझता हूं कि दो घंटे उस पर विचार होना चाहिये। यह मुनासिब है।

श्री अध्यक्ष—इस गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक के खत्म हो जाने के बाद दो घंटे का समय गन्ने के सम्बन्ध में विवाद के लिए मिलेगा। अगर यह सवा तीन बजे खत्म हुआ तो १५ मिनट का बैठक का समय बढ़ा देंगे क्योंकि दो घंटे का समय उसके लिये उचित होगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसमें संभव है कि वह पहले वक्तव्य में कुछ इजाफ करें। दूसरे लोगों को भी बोलने का मौका होना चाहिये उसमें। इसलिये दो घंटे का समय उसके लिये निश्चित रहेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करना चाहता था कि उद्योग मंत्री जी शुगर मिल्स के सम्बन्ध में जो अपना वक्तव्य कल देंगे, उसकी एक कापी अगर हम लोगों को एक घंटा पहले मिल जाती तो हम लोग भी उसे पढ़ कर पहले से कुछ जानकारी हासिल कर लेते।

श्री अध्यक्ष—जो उस रोज उन्होंने पढ़ा था उसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर उनकी कोई नयी मालूमात हों और वह उन्हें देना चाहें तो उस जानकारी को वक्तव्य रूप में पढ़ने की मैं उन्हें इजाजत दे दूंगा ताकि उसके ऊपर आपको विवाद करने में सहूलियत हो सकें, लेकिन उसकी कापी मैं नहीं दे सकूंगा क्योंकि उसकी नकलें तैयार नहीं हैं और शायद कल ही वे प्राप्त हो सकें। तो जब तक वह नया वक्तव्य मेरे पास न आ जाय, मैं उसकी नकल नहीं दे सकता हूं। उसकी एक नकल विरोधी दल के नेता जी को दिलवा दूंगा।

श्री गेंदा सिंह—उसकी कापी बंट जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—कल सबेरे ही पहिले वक्तव्य की नकल बंट जायगी।

*गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६

†खंड ४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ पर विचार जारी रहेगा। कल श्री अवधेश प्रताप सिंह भाषण दे रहे थे।

(श्री अध्यक्ष ने श्री अवधेश प्रताप सिंह की अनुपस्थिति में श्री नवल किशोर का नाम पुकारा।)

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन कल पेश किया गया था उसका मैं विरोध करता हूं। अवधेश प्रताप सिंह जी ने जब यह संशोधन पेश किया तो उनका कहना यह था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का कार्य क्षेत्र जो कि ९ पूर्वी जिलों में सीमित है उसको आगे न बढ़ाया जाय। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह भी कहा था कि अच्छा यह होता कि अगर सिर्फ टीचिंग और रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटीज ही कायम की जातीं। जहां तक उनका विचार है, वह ठीक ही है और अगर संभव हो सकता होता तो मैं समझता हूं कि सरकार भी ऐसा ही करती और करती तो अच्छा होता। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस तरह से स्टूडेंट्स की मांग है और जिस तरह से उनकी तादाद बढ़ती जाती है और जो हमारे पास सीमित साधन तथा रिसोर्सेज हैं, उन सब बातों को देखते हुए यह एक मजबूरी थी कि हमको टीचिंग तथा एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी बनानी पड़ी। जब शुरू में यह बिल आया तो उस समय यही विचार था कि इसका कार्यक्षेत्र केवल ९ जिलों तक ही सीमित हो, लेकिन ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में, जो हमारे पूर्वी भाग के साथी थे उन्होंने यह मांग पेश की कि कुछ और जिले इसमें बढ़ा दिये जायं। इस समय तो यह बात ठीक नहीं समझी गई कि इसमें, इसके कार्यक्षेत्र में कुछ जिले और बढ़ाये जायं, लेकिन यह अधिकार सरकार को दे दिया गया है कि अगर वह चाहे तो इसका कार्यक्षेत्र बढ़ा सकती है और इसके साथ-साथ इसमें यह भी प्रतिबन्ध है कि जब कभी सरकार इस अधिकार का उपयोग करेगी तो उसको यहां पर हमारे सामने लायेगी ताकि उसके ऊपर इस भवन को इस बात का मौका मिले कि वह इस पर अपना विचार-विनिमय कर सके। मैं समझता हूं कि जो वह चाहते हैं वही सरकार भी चाहती है। दोनों में कोई विशेष मतभेद नहीं है,

* १७ जनवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

† १७ मई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

सिर्फ इतना ही है कि एक पावर सरकार के पास है कि आइन्दा जब जरूरत पड़ेगी तो वह उसका इस्तेमाल कर सकेगी और इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन आवश्यक नहीं है और इसको वह वापस ले लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, जो संशोधन माननीय बालेन्दुशाह जी ने रक्खा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जो अधिनियम है उसमें यह कहा गया है कि सरकार यदि चाहे तो विज्ञप्ति प्रकाशित कर के (सरकारी गजट में) किसी जिले को अथवा उसके भाग को उसमें बढ़ा सकती है। श्रीमन्, शिक्षा के जगत में जनता जिस अबाध गति से उत्सुक है और सरकार की अपर्याप्त सहायता के बावजूद भी अपने बल से आगे बढ़ती चली जा रही है, उस दशा में यह जो माननीय बालेन्दुशाह जी का संशोधन है वह अनुपयुक्त सा मालूम पड़ता है। मेरा ख्याल है कि इस संशोधन को रखते समय उन्होंने आपने दिमाग में टेहरी-गढ़वाल का नक्शा खींचा हुआ था। उनका विश्वास है कि जो जिले गोरखपुर विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं उन्हीं की तादाद बहुत बड़ी हो जायगी इसलिये और जिलों को उसमें मिलाने या घटाने की आवश्यकता नहीं है। आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा तादाद हो गयी थी और उसका भार बहुत ज्यादा हो गया था और उसी भार को संभालने के लिये इस गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गयी है। इसलिये अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लिया गया तो शिक्षा की प्रगति में बहुत बड़ी हानि पहुंचेगी। कई जिले अभी ऐसे हैं जिनमें कोई डिग्री कालेज नहीं है और वहां की जनता की ओर से उसकी मांग बड़ी तेजी से हो रही है। जैसे गाजीपुर जिले में कोई डिग्री कालेज नहीं है। वहां की जनता और अधिकारी इस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि वहां पर डिग्री कालेज खुल जाय। ऐसी दशा में इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा देना अनुपयुक्त होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन को हरगिज भी मंजूर न करे।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बालन्दुशाह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। श्रीमन्, यदि ध्यान से इस बिल को देखा जाय....

श्री अध्यक्ष--सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया है। मैं समझता हूं कि इस पर संक्षेप में कहा जाय।

श्री रामेश्वर लाल--श्रीमन्, यदि इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की मंशा की तरफ देखा जाय तो यह निश्चित है कि पूर्वी जिलों में विश्वविद्यालय और शिक्षा की कमी और उसकी अनिवार्यता को देखते हुए ही यह यूनिवर्सिटी खोली गयी। इसलिये इस यूनिवर्सिटी से पूर्व के ९ जिले सम्बन्धित हैं।

कल श्रीमन्, इस संशोधन के पक्ष में बोलते हुए माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने एक बहुत बड़ी दुःखप्रद युक्ति प्रस्तुत की, वह यह कि पूर्व-पश्चिम का सवाल। उन्होंने जगन्नाथ मल्ल जी के विरोध के बाद अपने भाषण में कहा कि जगन्नाथ मल्ल जी ने इसका इसलिये विरोध किया कि वे पूर्वी जिले के हैं और पूर्व के ९ जिले उससे सम्बन्धित हैं। वह नहीं चाहते हैं कि उसके ज्युरिस्डिक्शन में किसी तरह की कोई घटा बढ़ी हो। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी यदि ध्यानपूर्वक देखें और गहराई में जाने का प्रयत्न करें कि यूनिवर्सिटी खोलने का प्रयत्न सब से अधिक किसने किया तो उनको मालूम होगा कि वे लोग पूर्वी यू० पी० के नहीं थे। सेंट एन्ड्रूज के प्रिन्सिपल मिस्टर चक्कू ने ही यह योजना चलाई कि गोरखपुर में यूनिवर्सिटी बनायी जाय। और जो दूसरे खास लोग यूनिवर्सिटी बनाने के समर्थन में थे वह सब पूर्व के नहीं थे बल्कि पश्चिम के थे।

[श्री रामेश्वर लाल]

इसलिये मैं कहूंगा कि पूर्व या पश्चिम के विषय को लेकर हमारी आवाज को दबाने की किसी प्रकार की चेष्टा करना मैं समझता हूं उचित नहीं है। जहां तक महाराजकुमार बालेन्दुशाह का जिक्र है वह जो चाहते हैं कि ९ जिलों से अधिक और भाग न मिलाए जायं वह ठीक नहीं है और जिस तरह से कि विधेयक में रखा गया है वही उचित है। हमारे प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या को देखते हुए यह तय करना कि प्रान्त के सारे जिलों का व्यवस्थित रूप से रीजनल डिवीजन कर के विद्यार्थियों को पढ़ने की सुविधा देने की बात न तो मुनासिब है और न उचित ही दिखाई पड़ती है। इसलिये महाराज कुमार जी का यह संशोधन किसी तरह से भी उचित नहीं है और माननीय मंत्री जी को किसी तरह से भी इसे कबूल नहीं करना चाहिए।

शिक्षा उपमन्त्री (डाक्टर सीताराम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी ने जो संशोधन यहां पर प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं। मेरे विरोध करने के पहले ही कई माननीय सदस्यों ने अपनी विचार धाराओं को इस संशोधन के प्रति रखा है। मैं थोड़े में यही कहना उचित समझूंगा कि अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो बड़ा अनर्थ होगा। क्योंकि यह सम्भव है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनने के बाद बहुत से डिपार्टमेंट उसमें कभी खुल सकेंगे जो अपनी तरह के नए हो सकते हैं और वहां की पढ़ाई वगैरह भी अच्छी हो सकती है और उसको देख कर अन्य जिलों के विद्यार्थी भी लालायित हो सकते हैं कि उनको भी वहां एडमिशन मिल जाय और यह भी हो सकता है कि ९ जिलों के बाहर के प्रगतिशील आदमी उसी तरह के कालेज खोल कर इसमें एफीलिएट कराना चाहें तो इस तरह से तो वह ऐसा करा सकेंगे लेकिन जैसा वह चाहते हैं उस तरह से तो यह चीज केवल ९ जिलों तक ही सीमित रहेगी और बड़ा अनर्थ हो जायगा।

साथ ही साथ यह जो प्रतिबन्ध है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एतदर्थ कोई भी विज्ञप्ति राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के पूर्वानुमोदन के बिना जारी नहीं की जायगी"। यानी कोई भी कालेज जो इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होगा तो उसके लिए दोनों सदनों की पूर्व स्वीकृति होगी और उस पर पूरा विचार करके पारित करने के बाद ही कोई भी कालेज उस विश्वविद्यालय से जो उन ९ जिलों के अतिरिक्त का होगा, सम्बद्ध किया जा सकेगा। इसलिए मैं माननीय बालेन्दुशाह जी से अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन को रख कर वह विश्वविद्यालय के दायरे को संकीर्ण न करें और इस संशोधन को वह वापस ले लें तो अति उत्तम होगा।

श्री अध्यक्ष—महाराजकुमार बालेन्दुशाह नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति ४ में शब्द "किन्तु" से लेकर पंक्ति ६ के शब्द "सकती है" तक निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

५—(१) धारा ४ में उल्लिखित जिलों में स्थित समस्त कालेज, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा यूनिवर्सिटी से संबद्ध (Affiliated) हों, ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार एतदर्थ सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे, विश्वविद्यालय से संबद्ध समझे जायंगे। यू० पी० ऐक्ट सं० ८, १९२६।

(२) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के अनुमोदन से, नये कालेजों को संबद्धता संबंधी विशेषाधिकारों के निमित्त स्वीकृति दे सकता है तथा परिनियमों एवं अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा अनुसार, पहले से ही सम्बद्ध कालेजों के विशेषाधिकारों में अभिवृद्धि कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय के कानवोकेशन हाल से दस मील के अर्धव्यास (radius) के भीतर कोई भी नया सम्बद्ध कालेज स्थापित नहीं किया जायगा।

(३) विश्वविद्यालय के लिये यह वैध (lawful) न होगा कि वह किसी स्नातकोत्तर उपाधि (post graduate degree) के निमित्त अध्यापन कार्य के लिये किसी कालेज को संबद्धता प्रदान करे और ऐसे किसी भी कालेज को, जो उपधारा (१) के अधीन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समझा जाय, तत्सम्बन्धी कोई भी संबद्धता १९५५-५६ के शैक्षिक वर्ष के अन्त में समाप्त हो जायगी।

श्री नवल किशोर—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति २ में से शब्द सम्बद्ध निकाल दिया जाय। इस संशोधन के बाद प्रतिबन्ध इस प्रकार से पढ़ा जायगा "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय के कानवोकेशन हाल से दस मील अर्धव्यास (radius) के भीतर कोई भी नया कालेज स्थापित नहीं किया जायगा। इसमें जो "सम्बद्ध" शब्द इस्तेमाल हुआ था वह अनावश्यक था। इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया। मुझे आशा है कि सरकार इसे स्वीकार करेगी।

डाक्टर सीताराम—स्वीकार है।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं इसका विरोध करता हूं। उसकी वजह यह है कि जहां तक डेफिनीशन देखी जाय उसमें साफ यह जाहिर कर दिया गया है कि कांस्टिट्युएंट कालेज क्या होगा और एफिलियेटेड कालेज क्या होगा और जब कि यह शब्द लाये जा रहे हैं "नो न्यु एफिलियेटेड कालेजेज" तो ऐसी परिस्थिति में इसके मानी यह होंगे कि किसी भी स्टेज पर दस मील के रेडियस के अन्दर कोई दूसरा कांस्टीट्युएंट कालेज बनाना चाहेंगे तो वह भी नहीं बन पायेगा। इसलिये मैं माननीय उपमंत्री व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कि वह देखें कि जहां तक परिभाषा है उसमें कालेज की डेफिनीशन कहा है, सिर्फ डेफिनिशन एफिलियेटेड कालेज की है और दूसरे आपके कांस्टीट्युएन्ट कालेज की है। अगर आपने उस जगह शब्द लिख दिया कालेज तो उसके मानी होंगे कि कोई नया कालेज नहीं खुल सकता। अगर सम्बद्ध हटा दिया गया तो उसके मानी होंगे कोई नया कालेज नहीं खोला जा सकता, इस तरह से कांस्टिट्युएंट कालेज नहीं खुल सकेगा और एफिलियेटेड कालेज के लिये तो आप चाहते ही हैं कि वह दस मील के रेडियस के अन्दर न खोला जाय। ऐसी परिस्थिति में मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

आशा करता हूं कि वह इस पर गौर करेंगे कि कहीं ऐसी गलती न होने वाली हो जिसके लिये हमें फिर बैठना पड़े और आइन्दा फिर सुधार करना पड़े।

श्री नवल किशोर—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय अवधेश प्रताप सिंह ने जो कांस्टिट्युएंट कालेज के संबंध में एतराज किया उनको थोड़ा-सा भ्रम है। हमारे सामने जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की रूपरेखा है उसमें यह है कि महाराणा प्रताप सिंह कालेज ही सिर्फ एक कांस्टिट्युएंट कालेज है और वह विश्वविद्यालय का अंग है। चूंकि उनकी एक शर्त थी अपने नाम को कायम रखने की उसको कांस्टिट्युएंट कालेज की शक्ल दे दी गई वरना यह बात नहीं होती। वह भी हमारी यूनीवर्सिटी ही होती और कोई सेपरेट कालेज नहीं होता। मंशा यह है कि इस यूनीवर्सिटी का जहां तक संबंध है इसको एक टीचिंग यूनिवर्सिटी रक्खा जाय। दूसरे यह भी है कि जो मौजूदा कालेज हैं उनके अन्दर पोस्ट ग्रेजुएट की टीचिंग खत्म हो जाय और नये कालेजेज न खोले जायं और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी यूनीवर्सिटी में आयें। कांस्टिट्युएंट कालेज का इससे कोई संबंध नहीं है। यह इन्नोसेंट अमेंडमेंट है इसे स्वीकार होना चाहिये।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, माननीय नवल किशोर जी ने जो बातें कहीं वे ठीक हैं और इसी कारण से कोई एक अलग कांस्टिट्युएंट कालेज गोरखपुर के दस मील के अन्दर स्थापित नहीं हो सकता और न कोई एफिलियेटेड कालेज ही। टीचिंग की पूरी जिम्मेदारी जो कुछ होगी वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी की होगी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी खुद ही टीचिंग का कार्य करेगी। कोई उससे अलग कालेज स्थापित न हो इसलिये यह संशोधन रक्खा गया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति २ में से शब्द "सम्बद्ध" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (२) का प्रतिबन्ध हटा दिया जाय।

श्रीमन्, मैं सरकार का ध्यान बनारस और लखनऊ विश्वविद्यालय जो है उसके दस मील के अन्दर जो डिग्री कालेज हैं, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं शिक्षा मंत्री से सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि इससे शिक्षा में नुक्सान होगा। यह ठीक भी नहीं है कि दस मील के क्षेत्र में गोरखपुर शहर ही में कोई व्यक्ति कोई डिग्री कालेज खोलना चाहे तो उसको खोलने से रुकावट डालना, ऐसा, प्रतिबन्ध लगाना शिक्षा में हानि पहुंचाना है। मैं नहीं मान सकता हूं कि उस डिग्री कालेज के खुल जाने पर विश्वविद्यालय पर कोई असर पड़ेगा। मेरा यह ख्याल है कि डिग्री कालेज के खुलने से विश्वविद्यालय को लाभ ही मिलेगा। नुक्सान नहीं हो सकता। इसलिये कि उस डिग्री कालेज के जो संचालक होंगे वह अपने उत्साह और लगन से उस डिग्री कालेज को चलायेंगे और चलाने के बाद विश्वविद्यालय के भार को हल्का करेंगे। साथ ही साथ यह भी कहना गलत है कि डिग्रीकालेज के खुल जाने से गोरखपुर विश्वविद्यालय को नुक्सान पहुंचेगा। जो छात्र समझेंगे कि विश्वविद्यालय में डिग्री कालेज से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी वह डिग्री कालेज में पढ़ने नहीं जायेंगे। इसलिये यह प्रतिबन्ध लगा देना कि कोई डिग्री कालेज न खोले यह अनावश्यक है और मैं यही निवेदन करूंगा कि जब बनारस विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय में यह प्रतिबन्ध नहीं है। वहां के विश्वविद्यालयों ने छूट दे रखी है। लखनऊ शहर में डी० ए० वी० डिग्री कालेज है, बनारस में डी० ए० वी० डिग्री कालेज है। मैं समझता हूं; कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिये यह प्रतिबन्ध लगाना नुकसानदेह है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन को मान लें और इस प्रतिबन्ध को हटा दें।

श्री नवल किशोर—अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन अभी पेश किया गया मैं इसका विरोध करता हूं। उसकी वजह यह है कि जैसा अभी पांडेय जी ने कहा कि ऐसा प्रतिबन्ध लखनऊ में नहीं है, इलाहाबाद में नहीं है। मगर वह एक बात भूल जाते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय काफी समय से हमारे प्रदेश में हैं और मुख्तलिफ विश्वविद्यालयों में हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय नया विश्वविद्यालय बन रहा है। एक बच्चा है जो अभी पैदा होने वाला है। पैदा भी नहीं हुआ है। उसमें दिक्कत यह है कि अगर इस तरह का कोई नियंत्रण न हुआ और कालेज इस तरह से खुलते चले गये, तो इस युनिवर्सिटी के बनाने का जो खास मंशा है कि इसको टीचिंग यूनिवर्सिटी बनायें, वह खत्म हो जायगा। दूसरे यह भी पता नहीं कि उसमें कितने विद्यार्थी आयेंगे, उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जायगी या नहीं, इन सब दिक्कतों को ध्यान में रखते हुये यह उचित ही है कि शुरू-शुरू में इस तरह का प्रतिबन्ध हो। अगर तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जायगी, तो जब यूनिवर्सिटी मच्योर हो जायगी, ग्रो अप हो जायगी तो प्रतिबन्ध हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर, इस संशोधन का समर्थन करना तो अवश्य असंभव-सा होगा। परन्तु मुझे माननीय नवलकिशोर जी के भाषण के उपरान्त यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि यदि आज किसी चीज की उत्पत्ति नहीं हुई है तो उसके बारे में हम क्या सोचें। लेकिन यह पैदा तो हो चुकी। यह मुमकिन है कि पैदा होते वक्त आप को ज्यादा ख्याल न हुआ हो। अगर कोई चीज पैदा नहीं हुई तो उसके बारे में बात करना ही अनुचित प्रतीत होता है। हां, माननीय नवलकिशोर जी का यह कहना है और माननीय मंत्री महोदय ने भी अपनी सहमति प्रकट की कि हम यह चाहते हैं कि गोरखपुर के दस मील के अन्दर भविष्य में कोई कांस्टीटुएंट कालेज न हो।

महाराणा प्रताप कालेज को एक अंग मानते हैं। सही है उसका एक अंग है। कांस्टीटुएंट कालेज यदि कोई दूसरा भी खुलेगा तो वह भी वैसा ही अंग माना जा सकता है तो इस तरह से मैं यह नहीं समझ पाया कि वह अपने अधिकारों को क्यों इतना सीमित करना चाहते हैं। यदि वह नहीं चाहते हैं तो इस विधेयक से या यह आगे चलकर जो अधिनियम होगा उससे कोई पाबन्दी सरकार पर नहीं होती है कि जरूर ही १० मील के अन्दर कांस्टीटुएंट कालेज खोले। यह तो एक तरफ से सरकार की नीति रही है और सरकार बारम्बार यह कहती आयी है कि हमको यह अधिकार दिये जायं यदि कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो तो वैसी दशा में हम उसका सामना कर सकें और उसको सम्हालने के लिये हम पर भरोसा होना चाहिये और इस सदन द्वारा अधिकार प्राप्त होना चाहिये। जब मैंने अभी यह कहा था कि भविष्य में चल कर बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुये अब जैसा कि माननीय मल्ल जी का यह संशोधन था तो उस परिस्थिति में तो यही अच्छा होगा कि आप इसको बिल्कुल न रखिये। ऐसी परिस्थिति में मैं केवल यह कहूंगा कि इस पर ध्यान से सोच लें, अब भी वक्त है कि कोई आइन्दा ऐसी गलती न हो जसके लिये हमको पश्चात्ताप करना पड़े।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का, जो राम सुन्दर पांडेय जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको तो सभी लोग मानते हैं कि पूर्वी जिले शिक्षा के अभाव में हैं और इसको देखते हुये गोरखपुर यूनिवर्सिटी खोली गई ताकि वहां के लोग आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें और यह प्रतिबन्ध लगा देना कि १० मील के अन्दर कोई डिग्री कालेज न खुले तो यह शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में बाधक होगा। श्रीमन्,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसुभग वर्मा]

अगर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है, लोगों को शिक्षा में आगे बढ़ाना है तो अगर वहां १० मील के अन्दर कोई चाहता है कि हम वहां डिग्री कालेज चला सकें और उनमें अगर यह ताकत है कि यह डिग्री कालेज खोल कर चलावें तो उससे सम्बद्ध करा देना यह अनुचित नहीं होगा। तो इन सब विचारों को रखते हुये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को वे स्वीकार करें।

डाक्टर सीताराम—माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का विरोध करता हूं। उसका खास कारण यह है कि अभी गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि आचार्य जुगल किशोर कमेटी जो बनी थी उन्होंने भी संस्तुति सरकार के सामने दी थी कि यहां के जो दो डिग्री कालेज हैं वे इस स्टैन्डर्ड के नहीं कि अधिक दिनों तक मेन्टेन किये जायं। इतने पुराने कालज जैसे सेंट एन्ड्रूज और महाराणा प्रताप जब यह दोनों इंस्टीट्यूशन्स बहुत दिनों से स्थापित हुये हैं लेकिन फिर भी इस प्रांत के बड़े-बड़े शिक्षा महारथियों के दृष्टिकोण से अच्छे स्टैंडर्ड के नहीं "कहे" जा सकते तो अब नये जो कालेजेज १० मील के रडियस के अन्तर्गत खुलेंगे कैसे आशा की जा सकती है कि वह स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में यूनिवर्सिटी को काफी मजबूत बनाने के लिये यह अति आवश्यक है कि अमेंडमेंट को डिस्करज किया जाय जिसे कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने सदन के समक्ष उपस्थित किया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के विरोध में माननीय नवलकिशोर जी और उपमंत्री जी ने जो तर्क उपस्थित किया है उस तर्क से मैं प्रभावित नहीं हो सका हूं कि अपने संशोधन को वापस करूं। माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि बनारस और लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत पुराने हैं और यह विश्वविद्यालय नया है इसलिये पुराने को तो तरजीह देनी चाहिये कि दस मील के अन्दर डिग्री कालेज खोल लें। नये को नहीं मिलनी चाहिये। यदि यही इच्छा माननीय नवलकिशोर जी की है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रतिबन्ध में यह लिख दिया जाय कि दो चार पांच साल तक कोई डिग्री कालेज नहीं खुलेगा और न संबंधित होगा। अगर यह तर्क है तब तो सुविधा मिल सकती है डिग्री कालेज खोलने की और उनके तर्क के अनुसार कोई विश्वविद्यालय को नुक्सान भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन श्रीमन्, यह तर्क बिल्कुल बेबुनियाद है। बनारस विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय जब खुला तो डिग्री कालेज वहां पर थे और विधेयक में कोई इस तरह का प्रतिबन्ध है ही नहीं और न रखा गया था और न माननीय नवलकिशोर जी ऐसा सोचने वाला या माननीय मंत्री जी जैसा सोचने वाला कोई माननीय सदस्य ही इस सदन में या पार्लियामेंट में रहा होगा। यह प्रतिबन्ध शिक्षा में नुक्सान पहुंचाने वाला होगा। जैसा नवलकिशोर जी ने कहा कि आगे कुछ कठिनाई पड़ेगी तो परिवर्तन कर दिया जायगा, यह ठीक नहीं है। माननीय नवलकिशोर जी चाहते हैं कि सदन का खर्चा बढ़ता रहे और एक ही विधेयक बार-बार संशोधित होता रहे। यह कोई अच्छी चीज नहीं है। दूसरा तर्क दिया माननीय उपमंत्री जी ने कि जो दो डिग्री कालेज गोरखपुर में थे उनकी अवस्था शिक्षाविदों की नजरों में कोई अच्छी नहीं थी और इसलिये उस डिग्री कालेज को भी विश्वविद्यालय में सन्निहित कर दिया गया। श्रीमन्, यह पहली बार है कि जब मैंने यह सुना है। मैं नहीं मानने के लिये तैयार हूं कि जो गोरखपुर में दोनों डिग्री कालेज हैं उनकी अवस्था ये जितने संबंधित होने वाले डिग्री कालेज अन्य जिलों के हैं उनसे खराब है बल्कि कुछ मानों में अच्छी ही है। गोरखपुर डिग्री कालेज जो दोनों हैं उन्होंने अपने को समर्पित किया है विश्वविद्यालय में वह इसलिये नहीं किया है कि वह लोग चला नहीं सकते थे या

उनकी पढ़ाई खराब थी बल्कि श्रीमन्, इसलिये किया है कि विश्वविद्यालय जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जायं और उसकी तरक्की में रुकावट डालने वाले हम लोग न कहे जायं। लेकिन रुकावट डालने वाले डिग्री कालेज वह हैं आगे चल कर भी हो सकते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो मैं यह कहूंगा कि यह जो संशोधन रखा गया है कि यह प्रतिबन्ध हटा दिया जाय, अगर माननीय नवल किशोर जी की यह राय है कि कुछ दिनों के बाद यह हटाया जा सकता है तो इस विधेयक में यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि चार साल, पांच साल के बाद इस तरह का कालेज खोलने का अधिकार दस मील की एरिया में रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, यह संशोधन एक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इस संशोधन की पृष्ठिभूमि में महत्व का प्रश्न यह है कि इस भवन को यह निर्णय करना है कि गोरखपुर का भावी विश्वविद्यालय भावी रूप का हो। इस बिल में जो उसकी रूपरेखा निर्धारित की गयी है वह है कि गोरखपुर के लिये, यह टीचिंग यूनिवर्सिटी होगी और गोरखपुर के बाहर ९ जिले जिनके नाम इसमें दिये हुये हैं उनके लिये यह अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होगी। इस संशोधन को यदि मान लिया जाय तो उसका अर्थ यह होगा कि इस यूनिवर्सिटी का रूप पूर्णतया और सम्पूर्णतया अफिलिएटिंग ही होगा, परन्तु आगरा यूनिवर्सिटी से इसका अन्तर यह होगा कि जैसे और कालेजेज हैं वैसे यह यूनिवर्सिटी भी चाहे तो अपने कालेज खोल सकती है।

(इस समय कोरम न होने पर घंटी बजायी गयी और कोरम होने के उपरांत कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

तो मैं कह रहा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय किस रूप का होगा, उसकी शिक्षा की प्रणाली क्या होगी। तो इस विधेयक में यही रखा गया है कि जहां तक गोरखपुर का संबंध है, गोरखपुर में जो कालेजेज इस समय हैं उनके अतिरिक्त और कोई कालेज नहीं जुड़ेगा और जितनी शिक्षा वहां होगी वह केवल यूनिवर्सिटी के द्वारा ही दी जायगी। तो अगर यह प्रतिबन्ध इसमें से हटा दिया जाता है तो चूंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय का रूप विकृत हो जाता है इस कारण मुझे आपत्ति है इसको स्वीकार करने में।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (२) का प्रतिबन्ध हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री तेज प्रताप सिंह— आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (३) को निम्नरूप में रख दिया जाय—

"(३) विश्वविद्यालय के लिये यह वैध (lawful) न होगा कि वह देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, गोंडा, बहराइच तथा जौनपुर के जिलों के कालेजों को छोड़ कर किसी स्नातकोत्तर उपाधि (पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री) के निमित्त अध्यापन कार्य के लिए किसी कालेज को संबद्धता प्रदान करे और ऐसे किसी भी कालेज की तत्सम्बन्धी कोई सम्बद्धता १९५५-५६ के शैक्षिक वर्ष के अन्त में समाप्त हो जायगी।"

जैसा कि विधेयक प्रस्तुत है उसमें यह व्यवस्था की गयी है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को छोड़ कर किसी भी कालेज के लिए यह छूट नहीं दी जा सके कि वह पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज में शिक्षा दे सके, लेकिन जो मैंने संशोधन पेश किया है उसका अर्थ यह है कि गोरखपुर जिले को छोड़ कर बाकी ८ जिलों को पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग की फैसिलिटीज देनी चाहिये। यह हो सकता है कि गोरखपुर में जब विश्वविद्यालय खुल रहा है तो उसके आसपास १० मील तक या उस जिले में वह कालेज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज की शिक्षा न दे सकें। यह तो उचित भी मालूम होता है परन्तु बाकी ८ जिले

[श्री तेज प्रताप सिंह]

जो हैं, जो कालेजेज स्थापित हैं उनमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज क्यों न लिये जायं? इसका कोई कारण समझ में नहीं आता है। बाकी और जितने जिले अपने प्रदेश में हैं उनमें अब भी कालेजेज हैं और उनको इतनी छूट है कि वे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज ले सकते हैं। तब इस विधेयक के द्वारा इन आठ जिलों को यह छूट न देना कहां तक उचित है? जब यह छूट और जिलों में है तो इन जिलों में यह छूट देनी चाहिये। तो एक तो इसका कारण यह है और दूसरा कारण यह है कि यदि किसी कालेज पर यह प्रतिबन्ध लगाया जाय कि वह पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग न दे सके तो फिर अच्छे टीचर्स उनमें नहीं जायंगे और इस तरीके से उनका स्टैंडर्ड भी अच्छा नहीं रह सकेगा। तीसरे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के लिये यह जरूरी है कि उसमें विद्यार्थी कम हों और विद्यार्थी कम होते ही हैं तो किसी भी कालेज के लिये यह बहुत ही आसान होगा कि वह किसी एक या दो विषय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में टीचिंग दे सकें। कोई दिक्कत नहीं पैदा होती है कि वह दो-तीन विषयों में शिक्षा न दे सकें। तो इस कारण भी यह गलत मालूम होता है कि ऐसा प्रतिबन्ध उस पर लगा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं आपके संशोधन के बारे में यह जानना चाहता हूं कि आपका यह संशोधन उसका विरोध कर रहा है जो आप कह रहे हैं। प्रतिबन्ध लगाने का संशोधन है और उसको आप कहते हैं कि वह प्रतिबन्ध जहां यूनिवर्सिटी का कार्यक्षेत्र है वहां लागू न किया जाय। उसका मतलब यह है कि कहीं भी न लगाया जाय। तो यह विरोधात्मक है। सिर्फ इतना अन्तर आपके संशोधन से आता है कि वे अगर किसी और जिले को विश्वविद्यालय के क्षेत्र परिधि में शामिल कर लिया जाय बाद में तो उस जिले में यह प्रतिबन्ध लागू रहेगा और उसमें पोस्ट ग्रेजुएट के लिये वह शामिल न कर दिया जाय। इस विधेयक में विश्वविद्यालय के क्षेत्र के जिले गिना दिये हैं, इन जिलों को छोड़ कर बाकी जिले उसके क्षेत्र में वही होंगे जो भी नये शामिल कर दिये जायेंगे।

श्री तेज प्रताप सिंह—अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर छूट जायगा?

श्री अध्यक्ष—हां, गोरखपुर छूट जायगा और जो नया जिला बाद में शामिल होगा वह भी छूट जायगा। यानी आप इतना बंधन लगा लेंगे यह आप साथ-साथ समझ लें।

श्री तेज प्रताप सिंह—यह आपका कहना ठीक है तो जो नया जिला या जिले का कोई हिस्सा शामिल किया जावेगा वह जरूर छूट जाता है। इतनी कमी तो मैं महसूस करता हूं जरूर, लेकिन अभी तो ९ जिले ही हैं। इसलिये यदि यह संशोधन रख दिया जाता है तो उन आठ जिलों को मुक्त कर दिया जायगा कि वहां (उन कालेजों) के टीचर्स पोस्ट ग्रेजुएट, कोर्सेज में टीचिंग कर सकें। तो मैं यह बतला रहा था कि स्टाफ जो इन कालेजेज में होगा और इन जिलों के नाम मैंने गिनाये ही हैं तो उनका स्टाफ अच्छा नहीं हो सकेगा और फिर वे कालेज सारे के सारे विषयों पर पोस्ट ग्रेजुएट की टीचिंग तो देना नहीं चाहेंगे। और अगर एक या दो विषय लेते हैं तो अध्यापक सहूलियत के साथ शिक्षा उसमें दे सकते हैं। और फिर जब आपकी नयी यूनिवर्सिटी गोरखपुर में स्थापित होगी तो क्या उसमें पहले ही पहल सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज लिये जा सकेंगे। ऐसा प्रबन्ध नहीं हो सकेगा ऐसा मैं मानता हूं। तो इस प्रकार से भी मेरा संशोधन उचित मालूम होता है और इसके साथ-साथ एक कारण यह भी है कि जब उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों को यह सुविधा मिली हुई है कि वे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज को ले सकें तो जो आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती या अन्य जिले हैं, जो कि गोरखपुर से दूर हैं वहां के विद्यार्थियों को मजबूर करना कि वे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज को केवल विश्वविद्यालय में ज्वाइन करें और वहीं पढ़ें, यह ठीक नहीं मालूम होता है।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना केवल इसीलिये की गयी है कि जो पूर्वी जिले हमारे प्रदेश के हैं उनको एक विश्वविद्यालय की सुविधा मिल सके।

श्री हरगोविन्द सिंह--इसका मतलब जहां तक मुझे मालूम होता है वह सिर्फ यह निकलता है कि उन्हीं ८ जिलों में जो कि इसमें दिये हुये हैं पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज रहें और कहीं न रहें और जो आगे इसमें कोई जिला जोड़ा जाय उसमें भी न रहें।

श्री अध्यक्ष--गोरखपुर जिले में वे चाहते हैं कि सिवाय यूनिवर्सिटी के और कोई न रहें।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि जो ८ जिले दिये हुये हैं वही रहें और कहीं न रहें।

श्री तेज प्रताप सिंह--ऐसी बात नहीं है।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे यही भ्रम हो रहा था।

श्री तेज प्रताप सिंह--अच्छा हुआ आपका भ्रम निवारण हो गया।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो भ्रम रखा था वह सही है और मैं समझता हूं कि उतनी गलती मुझसे रह गयी है।

श्री अध्यक्ष--उसके लिये मैं यह कह रहा था कि अगर आप उन जिलों का नाम न लेकर जो विधेयक में दिया हुआ है कि "विश्वविद्यालय के लिये वह वैध न होगा कि वह किसी स्नातकोत्तर उपाधि (post graduate degree) के निमित्त अध्यापन कार्य के लिये गोरखपुर जिले के किसी कालेज को संबद्धता प्रदान करे" ऐसा कर दीजिये।

श्री तेज प्रताप सिंह--यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी प्रकार से कर दूं क्योंकि मुमकिन है कि आगे चल कर कोई और जिला शामिल कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--जी हां।

श्री तेज प्रताप सिंह--तो मेरा संशोधन इस तरह से हो जायगा कि खंड ५ का उपखंड (३) निम्न रूप से रख दिया जाय--

"विश्वविद्यालय के लिये यह वैध न होगा कि वह किसी स्नातकोत्तर उपाधि (post graduate degree) के निमित्त अध्यापन कार्य के लिये गोरखपुर जिले के किसी कालेज को संबद्धता प्रदान करे और ऐसे गोरखपुर के किसी भी कालेज की, जो उपधारा (१) के अधीन विश्वविद्यालय से संबद्ध समझा जाय, तत्सम्बन्धी कोई भी संबद्धता १९५५-५६ के शैक्षिक वर्ष के अन्त में समाप्त हो जायगी।"

श्री हरगोविन्द सिंह--यह संशोधन जो आप पेश कर रहे हैं उसका इस संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो संशोधन आपने पहले दिया था उसका अर्थ तो यह हुआ कि जो ८ जिलों के संबंधित कालेजेज गोरखपुर यूनिवर्सिटी से होंगे उनमें तो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज दिये जा सकते हैं। उसके अलावा गोरखपुर में या यदि कभी सरकार यह समझे कि केवल ८ जिलों के अलावा ९वां या १०वां जिला भी गोरखपुर में शामिल कर दिया जाय तो जो ऐसे नये शामिल किये हुये जिले होंगे वहां या गोरखपुर में पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग न होगी। अब जो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं उसका मतलब यह हुआ कि वहां तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग होगी, और जगह नहीं होगी। तो ये दोनों विपरीत हुये।

श्री अध्यक्ष—इसका अर्थ यह हो जायगा कि गोरखपुर के जो आठ जिले हैं बस्ती, आजमगढ़ वगैरा उनको छोड़कर यदि कोई बाद में और जिले शामिल करेंगे उनमें पोस्ट ग्रेजुएट के लिये इजाजत दी जा सकती है और केवल गोरखपुर जिले में स्वयं यूनिवर्सिटी को छोड़ कर और जिले के अन्य भाग में कहीं भी इन क्लासेज को इजाजत नहीं होनी चाहिये। यह मतलब उनका जो संशोधन से संशोधित रूप में अब आया है उसका है।

श्री तेज प्रताप सिंह—मैं यह कह रहा था कि उन कालेजों का स्टैन्डर्ड भी अच्छा नहीं हो सकेगा और दूसरे यह कि यूनिवर्सिटी सारे विषयों में वैल इक्विप्ड भी नहीं हो सकेगी। इसलिये मुमकिन नहीं होगा कि विश्वविद्यालय ठीक तरह से अपने यहां सब विषयों में शिक्षा को चला सकें। इसलिये उनको छूट देने का प्रश्न था और गरीबी का भी प्रश्न इसमें था कि जो विद्यार्थी गरीब हैं वह वहीं इन कालेजेज में पढ़ सकते हैं जो डिग्री देते हैं और उनको गोरखपुर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह हर प्रकार से उपयुक्त है और मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसको अवश्य स्वीकार करेंगे। इतना जरूर होना चाहिये कि जब विश्वविद्यालय गोरखपुर में होगा तो उस जिले में और कालेजेज नहीं होने चाहिये, क्योंकि वहां तो विद्यार्थी आ सकते हैं। इसलिये मैंने इसको ऐक्सक्लूड कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन से सहानुभूति रखता हूं और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर गौर करें। यह समस्या बड़ी गम्भीर है। जो सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है वह नया है। अब तक यह होता था कि एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी के अन्दर तरह-तरह के कालेजेज होते थे। कहीं बी० ए० तक पढ़ाई होती थी और कहीं पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज होती थीं और यूनिवर्सिटी डिप्लोमा और डिग्री दिया करती थी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की रूपरेखा टीचिंग कम एफिलियेटिंग है। इसके द्वारा गोरखपुर के अन्दर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज भी रखी गई हैं और जिलों में जहां डिग्री कालेजेज हैं और जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफीलियेटेड होंगे उनसे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज छीन ली गई हैं। मैं समझता हूं कि अगर यह केवल टीचिंग यूनिवर्सिटी होती तो समस्या पैदा नहीं होती। गोरखपुर में आपने ठीक किया कि दस मील के अन्दर जितनी शिक्षा होगी यूनिवर्सिटी के ही अन्तर्गत होगी। लेकिन आप उन ८ जिलों को वंचित कर रहे हैं जहां कि डिग्री कालेजेज हैं और जहां पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज हो सकती हैं, उन पर रोक लगा रहे हैं। इसका अर्थ यह होगा कि आप गोरखपुर में पूरा प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे और जहां तक साइंस का सवाल है यूनिवर्सिटी में ८०–९० सीट्स की ही व्यवस्था होगी तो बड़ी दिक्कत होगी और परेशानी होगी।

अब यह सिद्धान्त माना गया है कि जहां तक हो सके टीचिंग यूनिवर्सिटी की व्यवस्था की जाय और एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटीज को खत्म किया जाय तो आप मौका दें कि आठ जिलों के कालेजों में भी पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई की व्यवस्था हो और सम्भव है कि वह समय आये कि यह कालेज स्वयं टीचिंग यूनिवर्सिटी का स्थान ग्रहण कर लें। जहां तक पूर्वी जिलों की आवश्यकता का सवाल है। ३५–४० लाख की आबादी हर जिले की है और जब तीन-चार पंचवर्षीय योजनायें बन जायं तो एक-एक जिले में एक-एक यूनिवर्सिटी हो जाय तो यह ऐसी बात नहीं है जो सम्भावना के विपरीत हो। इससे यह जरूरी हो जाता है अगर आज आपके यहां उपयुक्त पोस्ट ग्रेजुएट कालेज हैं तो उनको आप रखें। आप उनका कंट्रोल करें, उनका स्टैंडर्ड बढ़ाएं और उनमें अगर क्षमता है तो उनको बढ़ने का अवसर दें। आप तो खुद अपना प्रबन्ध नहीं कर

सकेंगे और उनको भी रोक रहे हैं। अभी तक सिद्धान्ततः इस बात को किसी ने नहीं माना। आप का जौनपुर कालेज मेरे ख्याल में बहुत माकूल कालेज है और उम्मीद है कि वह बढ़ जायगा। अगर आप चाहते हैं तो संभवतः ४-५ वर्ष के बाद ही वह इतना पनप सकेगा कि उसमें काफी क्षमता आ जायगी और जैसा आगरा में हुआ कि जहां कालेजों के लिये विशेष स्थान रखना पड़ा, संभव है यहां भी वैसा ही करना पड़े। अगर आप उनको बी०ए० तक ही रोक देंगे तो उनका स्टाफ भी नीचे के स्तर का हो जायगा और पढ़ाई भी नीचे के स्तर का हो जायगी और कुछ दिन बाद उनकी पढ़ाई और गोरखपुर की पढ़ाई में जमीन-आसमान का अन्तर हो जायगा। लेकिन अगर उनमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज हों तो बी०ए०की पढ़ाई में भी इतना फर्क न होगा जितना कि गोरखपुर और जौनपुर में यूं होगा। इस तरह से आप उनको सेकिन्ड रेट और थर्ड रेट कालेजेज बना देंगे। अगर पोस्ट डिग्री क्लासेज रखें तो उनमें कंपिटीशन की भावना आयेगी। हां, आप उनका स्टैन्डर्ड उठा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि गोरखपुर की तरह ही वहां पर भी शिक्षा हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते और गोरखपुर में मोनापोली रख कर उसे टीचिंग यूनिवर्सिटी ही बना रहे हैं तो मैं यह अपने माननीय मित्र शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि यह एक काफी महत्वपूर्ण विषय है। मैं ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी में तो था नहीं, मुमकिन है वहां इस पर काफी बहस हुई हो, लेकिन मेरा निजी विचार यह है कि आप इस प्रकार का बंधन डिग्री कालेजों पर न लगायें और माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन यहां रखा है उसको आप स्वीकार कर लें।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तेज प्रताप सिंह जी की तरमीम के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह सर्व विदित है कि हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग बहुत ही गरीब है, उच्च शिक्षा को रोकने का अगर शिक्षा मंत्री जी का मतलब नहीं है तो इस धारा को उन्हें जरूर स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं प्रत्यक्ष इस बात को देहात के जीवन में देखा है कि जब से प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल या हाई स्कूल और कहीं कहीं कालेज भी देहातों में खुले और वहां शिक्षा बढ़ी और नये कालेज वहां खुले तब से गरीब से गरीब विद्यार्थी भी अपने घरों पर रह कर, रूखा-सूखा खाकर और करीब की संस्थाओं में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सके हैं। हम इस बात को देखते हैं पूर्व के जिन जिलों में कालेजेज हैं वहां के पास के लड़के वहां आकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त करते रहे हैं। यह बहुत अच्छी चीज रही है, लेकिन इस क्लाज को मान लेने के बाद वह गरीब विद्यार्थी इस सुविधा से वंचित हो जायंगे और जो ओवर क्राउडिंग इस गोरखपुर यूनिवर्सिटी में होगी उसको शिक्षा मंत्री जी सम्हाल नहीं सकेंगे। यूं ही हम देखते हैं कि हर साल हमारे प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये जो दौड़ होती है और भर्ती होने के लिये क्या मुसीबत होती है वह सबके सामने है। उनकी दयनीय स्थिति को हम सब लोग जानते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि कालेजों में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज बन्द करने से गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थियों की भीड़ होगी वह शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी के लिये एक सिरदर्द हो जायगी। इसलिये मेरा उनसे यह निवेदन है कि वे इस पर शान्ति चित्त से विचार करें। मैं समझता हूं कि वे पीसफुल कोएक्जिस्टेंस और पीसफुल कंपीटीशन के सिद्धान्त को मान कर चलें। शिक्षा मंत्री जी को यह मान लेना चाहिये। यह बात सही है कि गोरखपुर जिले में ऐसे कालेजेज नहीं होने चाहिये जो बी०ए० के बाद पढ़ायें। लेकिन उसके अलावा जो ८ जिले हैं उनमें इस चीज का प्रतिबन्ध होना अनुचित होगा। बहुत से कालेजेज ऐसे हैं जिनकी किन्हीं विषयों में पढ़ाने की विशेषता होती है, उन विषयों के पढ़ाने में वे दक्ष होते हैं इसलिये जो सुविधा उनको प्राप्त है उसको जारी रखा जाय। इससे यूनिवर्सिटी को यह मौका मिलेगा कि वह अपने यहां के शिक्षा के स्तर

[श्री झारखंडे राय]

को बढ़ायें, ऊंचा उठायें ताकि दूसरे स्थानों के विद्यार्थी यह देख कर कि फलां युनिवर्सिटी में फलां विषय की शिक्षा अच्छी होती है, अपने जिले के निकट के कालेजों को छोड़ कर वहां आयें। इस प्रकार माननीय मंत्री जी को पीसफुल कोएक्जिस्टेंस और पीसफुल कंपटीशन के सिद्धान्त को तो मान ही लेना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस तजवीज को अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय काटजू साहब ने इसका बहुत सुन्दरता से समर्थन किया और जो व्याख्या उन्होंने की उसके बाद और कुछ कहना बाकी नहीं रह जाता। मैंने स्वयं देखा है कि पूर्व में और खासकर जौनपुर और बलिया में ऐसे ऐसे कालेजेज हैं जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा बहुत अच्छी तरह से दी जा रही है और उनका उद्देश्य यही है कि डिग्री कालेज हो जायं। अगर यह रख दिया गया तो उनका उत्साह भंग हो जायगा तथा शिक्षा के क्षेत्र में कमी हो जायगी। आप गोरखपुर में युनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, उसका अभी प्रारम्भ है तो फिर यह कैसे मान लिया जाय और किस प्रकार से यह आश्वासन दिलाया जा सकता है कि वहां हर जगह के लोगों को सुविधा मिल जायगी, वहां एडमिट हो जायेंगे? इसको देखते हुए मंत्री जी को यह देखना चाहिये कि जो एक चीज कायम है उसको बन्द किया जाना उचित न होगा। आप यह कर सकते हैं कि जो-जो सब्जेक्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट के वहां चल रहे हैं उनके अलावा आप उनको नया कोई सब्जेक्ट न दें। एक प्रतिबन्ध यह लगा दिया जाय कि जो-जो सब्जेक्ट्स वहां पढ़ाये जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट के उनमें ही वे अपने को मजबूत बनायें तथा नये सब्जेक्ट्स की इजाजत उनको न दी जाय। यह तो मैं मानता हूं लेकिन यह नहीं मानता कि जो सुविधा अभी तक मिली हुई है उसको भी छीन लिया जाय। इससे जौनपुर तथा दूसरे स्थानों में जो अच्छे कालेजेज हैं उनका उत्साह भंग हो जायगा। इसलिये मैं मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, जो बहस इस विषय पर चल रही है, उससे मैं समझता हूं कि इसका जो तीसरा प्रतिबन्ध है वह निकाल दिया जाय। यह जो गोरखपुर युनिवर्सिटी है वह दो प्रकार की है। जहां तक गोरखपुर का संबंध है, वह टीचिंग यूनिवर्सिटी है और उसके अतिरिक्त जो और आठ जिले उससे संबंधित किये गये हैं उनके लिये वह एफिलीएटिंग यूनिवर्सिटी है तो फिर क्यों नहीं आगरा की तरह से उसको एफ़िलीएटिंग यूनिवर्सिटी आप नहीं बनाते हैं? एक बात यह भी है कि समझा यह गया कि हमारी यूनिवर्सिटियों में केवल साहित्यिक शिक्षा ही होती है और औद्योगिक या टेकनीकल शिक्षा नहीं हो रही है, तो हम इसमें यह करने जा रहे हैं कि औद्योगिक शिक्षा भी हो। यह सम्भव हो सकता है कि यह जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है उसमें साहित्य के और एक या दो और विषय ही हों और जो जौनपुर का जिला उसके पास है वहां या किसी दूसरे स्थान में कृषि या कोई और किसी तरह का कोई औद्योगिक कालेज कायम हो जाय और वहां आवश्यकता प्रतीत हो तो वहां पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी भी हो तो वह हो सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस धारा का जो यह तीसरा प्रतिबन्ध है जिसके अनुसार इन ८ जिलों में कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी न हो सकेगी, इसको निकाल दिया जाय। इसका मतलब यह होगा कि और जो जिले होंगे उनमें यूनिवर्सिटी को अधिकार होगा कि वह पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज की भी आज्ञा दे सकती है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में भी कुछ हो सके और ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो गोरखपुर में शिक्षा न देना चाहें और किसी और स्थान पर देना चाहें और चाहें कि वहां पर भी लोग विकसित होकर पूरे दर्जे पर पहुंच जायं।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का प्रतिबन्ध न लगाय जाय कि दूसरे जिलों में पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए सम्बद्ध न हो और यह अधिकार यूनिवर्सिटी को रहे और सरकार का भी कुछ दखल रहे और जहां जैसी आवश्यकता हो वहां वैसा वह करे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह जो संशोधन है, यही नहीं बल्कि आइन्दा भी बहुत से संशोधन आ रहे हैं जिनमें तीसरे उपखंड को निकालने की बात है, उनको ध्यान में रखते हुए इस ३ उपखंड को ही निकाल दिया जाय और यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी भी आगरा यूनिवर्सिटी की तरह एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटी हो जाय और एम० ए०, एम० एस-सी० की स्टडी भी हो सके और वह कालेज केवल साहित्य अध्ययन के ही न हों बल्कि वह औद्योगिक, मेडिकल और साइन्स आदि की शिक्षा देते हों। आशा है मंत्री जी मेरी इस भावना पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जरा शीघ्रता करने के ख्याल से अगर यह उपखंड (३) के संशोधन सब साथ लिए जायं तो उचित होगा। श्री नवल किशोर जी, आप अपना संशोधन उपस्थित कर दें, मौर्य जी तो हैं नहीं।

***श्री नवल किशोर**---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (३) की पंक्ति ५ में शब्द "१९५५-५६ शैक्षिक वर्ष के अन्त में" के स्थान पर शब्द "सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए दिनांक से" रख दिए जायं।

मैंने जो यह संशोधन पेश किया है उसका मन्शा केवल यह है कि मूल अधिनियम में जो शब्द दिए गए हैं वह यह है कि विश्वविद्यालय के लिए यह वैध न होगा कि वह किसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए अध्यापन कार्य के लिए किसी कालेज को एफीलिएट करे और इस तरह से किसी भी कालेज को जो एफीलिएशन है वह १९५५-५६ के शैक्षिक वर्ष के अन्त में जो ३० जून तक चलता है, खत्म समझा जायगा। मैं चाहता हूं कि चूंकि समय कम है इसलिए पहले सरकारी गजट में एक इस तरह की विज्ञप्ति प्रकाशित करा दी जाय और राज्य सरकार उसमें कोई तारीख मुकर्रर कर दे और उस दिन से वह समाप्त समझी जाय। जहां तक माननीय तेज प्रताप सिंह जी की मन्शा यह है कि जो आलरेडी प्राविजन है कि जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी चल रही है उनमें पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए खत्म न किया जाय, उन्होंने उसमें कुछ कठिनाई भी बताई, वह कठिनाई है मैं इसको मानता हूं और मेरी सहानुभूति उनकी इस कठिनाई से है; लेकिन हमें देखना यह है कि यह जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है वह हम किस तरह की बनावें? माननीय काटजू साहब ने कहा कि चूंकि यह एक एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है इसलिए ऐसी बात करना कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज की टीचिंग का अख्तियार न दिया जाय, उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि यह टीचिंग-कम-एफिलियेटिंग यूनीवर्सिटी है। मुझे अन्देशा है कि एफिलियेटिंग कालेजेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज की टीचिंग को रक्खा गया तो क्या यह टीचिंग यूनीवर्सिटी रहेगी या नहीं। खाली गोरखपुर को छोड़ दिया जाय तो अकेला गोरखपुर इस यूनीवर्सिटी को फीड नहीं कर सकेगा। पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के लिये जब हम यूनीवर्सिटी बनाना चाहते हैं और बनेगी तो उसमें हमें मिनिमम स्टाफ रखना होगा, प्रोफेसर्स रखने होंगे, रीडर्स रखने होंगे और सीनियर व जूनियर लेक्चरार्स रखने होंगे जो काफी क्वालिफाइड और हाइली पेड होंगे। अगर अन्य जगह भी पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चलते रहे और यहां भी चलते रहे तो संख्या काफी नहीं होगी तो जिस परपज के लिये विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं वह परपज पूरा नहीं होगा। एक बात यह कही गई कि ऐसा करने से टीचर्स का स्टैन्डर्ड गिर जायगा और डिग्री कालेज में अच्छे टीचर्स नहीं आयेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवल किशोर]

मुझे याद है कि आगरा यूनीवर्सिटी पर जब बहस चल रही थी उस समय भी इस बात का जिक्र आया था और पास किया गया कि कालेजेज को-आप्शन होगा कि या तो अपने यहां से इंटरमीडियेट क्लासेज हटा दें या पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज हटा दें हालांकि उसमें सरकार ने कुछ टाइम लिमिट बढ़ा दी है। उसमें एक ही भावना थी कि उसमें इंटरमीडियेट कालेजेज होते हैं और बाद में वे डिग्री कालेजेज बनते हैं, तो ९९ परसेंट स्टाफ वही रहता है और जो इंटरमीडियेट क्लासेज में रहता था और डिग्री कालेजेज में जब पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोले जाते हैं तो उनमें भी वही स्टाफ रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि एजूकेशन का स्टैन्डर्ड गिर जाता है। काटजू साहब ने भी कहा कि स्टैन्डर्ड गिर जाता है। आज बुनियादी सवाल यह है कि हम क्वालिटी को बढ़ायें या क्वांटिटी को ? अगर आपकी मंशा क्वांटिटी बढ़ाना है और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को यूनीवर्सिटी से निकालना है तो इन सब कालेजेज में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज रखिये और उससे स्टैन्डर्ड चाहे जितना भी घटिया हो, वह रहे, लेकिन जब यह मांग होती है कि हमें क्वालिटी बढ़ाना है और जहां तक मैंने अध्ययन किया है जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं सबका निश्चित मत है और उनसे मैं भी सहमत हूं कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज को यूनीवर्सिटी तक ही कंफाइंड रक्खा जाय। लखनऊ, इलाहाबाद में भी यही होना चाहिये लेकिन वहां दिक्कत यह है कि तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि स्टूडेंट्स का वहां यूनीवर्सिटी तक ही सीमित करना कठिन है; लेकिन यहां इस बात के एक्सपेरीमेंट्स करने की कोशिश की गई है—चूंकि नई यूनिवर्सिटी है उसमें यह कोशिश की गई है और यह देख रहे हैं कि पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेस को हटा देने से इन कालेजेज में कोई विशेष कठिनाई तो नहीं है और गोरखपुर यूनीवर्सिटी में काफी संख्या विद्यार्थियों की मिल सकेगी जहां कि स्टैन्डर्ड आफ एजूकेशन स्वाभाविक तौर से ऊंचा होगा तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा अच्छा होगा।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, श्री जुगल किशोर कमेटी की रिपोर्ट में यह था कि जो मौजूदा कालेजेज हैं उनका स्टैन्डर्ड इतना भी नहीं है कि उनको डिग्री कालेजेज की तरह भी मेनटेन किया जाय। जौनपुर का कैसा है या गोंडा का कैसा है ? इसमें मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मेरी यह डेफिनिट फीलिंग है पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज की बाबत कि उनका स्टैन्डर्ड ऊंचा कर दिया जाय। थ्योरिटिकली यह अच्छी बात है कि उन पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि यह स्टैन्डर्ड हो तभी उनको पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज की टीचिंग की परमिशन दी जायगी। यह चीज प्रेक्टिकली ठीक नहीं है। जहां तक साइंस का सम्बन्ध है मुझे मालूम हुआ है कि गोंडा में बलरामपुर कालेज है। उसके लिये एक बड़ा अच्छा डोनेशन महाराजा बलरामपुर ने दिया है और वहां की जो लेबोरेटरी है वह बहुत बढ़िया है और वेल इक्विप्ड है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे प्राविजन के बाद उस लेबोरेटरी का इस्तेमाल तो नहीं हो पायेगा जितना कि उसका आम तौर से होना चाहिये। लिहाजा साइंस में—चूंकि उसमें सीट्स लिमिटेड होती हैं—उसके विषय में जरूर यह कहना चाहूंगा कि यदि संभव हो सके, यदि बलरामपुर कालेज की तरह जैसी उसमें लेबोरेटरी है वैसे ही एक दो कालेजेज में और हों उनकी बाबत अगर सरकार कोई आज्ञा दे सके, विशेष रूप से, तो अच्छा होगा। वैसे आम तौर से यही अच्छा रहेगा कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज की टीचिंग गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही केन्द्रित रहे।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से खंड ५ के उपखंड का उपखंड (३) निकाल दिया जाय इसका प्रस्ताव करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मैं चाहता यह था कि जो तर्क दिये गये हैं इसके पक्ष में उनकी पुनरावृत्ति न करूं और इसी कारण मैं इस प्रतीक्षा में था कि जब कोई विरोध इसका हो तो उसके उपरान्त मैं अपने विचार प्रकट करूं। माननीय काटजू जी के भाषण के उपरान्त माननीय मंत्री जी को यह रुख देखना चाहिए कि उनके भाषण की बात ही नहीं बल्कि जो आज सदन की रवैया है उनको यह समझना चाहिए, जो आज यह संशोधन आ रहे हैं, ये निर्दोष हैं। सदन की एक राय है कि यह संशोधन स्वीकार हों। माननीय नवल किशोर जी के भाषण के बारे में मुझे यह कहना है कि जो वह भाषण देते रहें उनकी वह परिस्थिति थी, वह उस आलम में थे, जब कि उनको यह पता न था कि जो एक तरफ वह कह रहे हैं, दूसरी तरफ उनमें यह विश्वास न था, वह यह मारल करेज न फील करते थे कि जो वह कहते हैं.....

श्री अध्यक्ष--इस तरह का आक्षेप नहीं होना चाहिए, कि कौन से किसी सदस्य में मारल करेज नहीं है। आप कृपया वापस लें अपने शब्दों को।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मैं उसे वापस लेता हूं। मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं सिर्फ इस वजह से, जिस रूप से उन्होंने भाषण दिया है और अन्त में उन्होंने स्वीकार किया कि गोंडा जिले में महाराजा बलरामपुर ने जिस तरह से बलरामपुर कालेज में धन और साधन उपलब्ध किये हैं, उसको देखते हुए वह स्वयं इसके लिए शंकित हैं और उनको भय है कि यदि इस रूप में यह व्यवस्था हुई एक कालेज की, एक विद्यालय की, शिक्षा के प्रति, बहुत ही बड़ा अहित होगा। एक तरफ तो यह है कि वह देखते हैं, वह जानते भी हैं—जौनपुर के बारे में मैं कुछ न कहना चाहूंगा क्योंकि माननीय मंत्री महोदय को उस जिले के बारे में मुझसे अधिक जानकारी हो सकती है। लेकिन जब माननीय नवल किशोर जी गोंडा के सम्बन्ध में स्वीकार करते हैं तो फिर क्या जरूरत बाकी रहती है कि मैं सबूत दूं और माननीय मंत्री पर रोशन करूं कि वह देखें कि बहुत से डिग्री कालेज ऐसे भी हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी से अच्छे हैं और उनके पास अधिक साधन और सामग्री है। वह इनकार कर रहे हैं। उनके इनकार ही में आनन्द आता है। मुझे यह कहना है कि माननीय नवल किशोर जी यह कहते हैं कि यदि दूसरे जिलों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज और डिप्लोमाज इन कालेजेज में देने का अधिकार दे दिया तो उसका परिणाम यह कहीं न हो कि उसके फलस्वरूप यह रूपरेखा न हो कि कहीं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट के इतने कम विद्यार्थी न आएं कि वह यूनिवर्सिटी चला न पाये। जब यह कांफीडेंस उनमें नहीं तो क्या मैं यह समझूं कि सरकार अपनी इस परिस्थिति और इस कानून के जरिये वह गोंडा के लिए और दूसरे कालेजों के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए केवल यह सिद्धान्त रखना चाहती है, उनको एक्सप्लायट करना चाहती है कि इस कानून के जरिये दूसरे जिलों के लड़के मजबूरन गोरखपुर आएं। यह सच है कि गोरखपुर के लड़के गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले सकते हैं। लेकिन दूसरे जिलों के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए बहुत-सी कठिनाइयां हैं, इससे कोई अपरिचित नहीं हैं। वह भारत में कौन ऐसा है जिसको इस बात का परिज्ञान न हो कि देहात के बालक किस कठिनाई से और किस आर्थिक संकट का सामना करते हुए डिग्रीज उपलब्ध करते हैं? उनके लिए यह कहना कि जौनपुर का एक विद्यार्थी गोरखपुर में आवे और विद्याध्ययन करे इसमें जो आर्थिक समस्या उसके सामने आती है उससे पार पाना उसके लिए बहुत ही कठिन प्रतीत होता है।

मान्यवर, इसके माने में केवल यह समझा कि जौनपुर के बालकों के लिए जहां से कि हमारे माननीय मंत्री महोदय भी आते हैं, यह उचित और सुविधाजनक होगा कि वह गोरखपुर जाकर विद्याध्ययन करे या यदि यह हो कि जौनपुर जिले की स्थिति इतनी सुधर चुकी हो कि लोगों में कोई कठिनाई न होगी, वह चाहे जौनपुर में पढ़ें, चाहे गोरखपुर में पढ़ें, तो बात दूसरी है। लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए, श्रीमन् और भारत में आज नहीं बल्कि आज से २५ साल के अन्दर भी वह स्थिति नहीं आती है कि जब कि हम यह दावे से कह सकें कि हर एक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

और उसकी आर्थिक अवस्था को देखते हुए वह एक ऐसी वस्तु हो कि जिस पर उसके लिए चिन्ता न करनी चाहिए। मान्यवर, यहीं नहीं बल्कि आज भी लन्दन में भी, यूरोप में भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जहां पर लोग समझते हैं कि यह किस की यूनिवर्सिटी है जैसे आज किसी को क्लासिकल के लिए जाना है तो वह आक्सफोर्ड में जायगा, इसको सब जानते हैं कि वह क्लासिकल यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से अगर साइंस के लिए किसी को भेजना चाहते हैं तो वह समझते हैं कि इसके लिए कैम्ब्रिज है और आज हमारी इन यूनिवर्सिटीज के बारे में क्या रूप-रेखा है इसका न सरकार को ज्ञान है और न माननीय मंत्री जी को ज्ञान है। एक तरफ माननीय नवल किशोर जी चाहते हैं कि टीचिंग रहे, ठीक है, लेकिन आठ जिलों को इग्नोर भी नहीं कर सकते थे, उन जिलों की एक मांग थी उस मांग को सरकार ठुकरा नहीं सकती थी और ठुकराकर रह कैसे सकती थी? आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी की जरूरत थी और गोरखपुर में आप उसको टीचिंग रखिए, ठीक है, लेकिन जो दूसरे जिले हैं जहां पर कि मैंने बतलाया कि आर्थिक संकट है और यह भी मैंने निवेदन किया है कि आज कल इस बल का दुरुपयोग हो रहा है कि आप हर जिले के विद्यार्थियों को विवश कर रहे हैं कि वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पा सकता है.....,

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि संक्षेप में ही आप कहें। समय निर्धारित है, यह पकोआ ज्ञात ही है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—इसके अलावा यह देखते हुए कि आगरा यूनिवर्सिटी का भार, बोझा, आप कम करना चाहते थे मगर उस रास्ते को आप नहीं अपनाते जिसके भार को कम करने के लिए यह विधेयक लाया गया, वह रास्ता आपको पसन्द नहीं है। श्रीमन्, यह क्या है, यह विरोधाभास किस-किस अंग में हम पाते हैं? यह तो श्रीमन्, जैसे कि अंग्रेजी में आक्सीमोरन है, पैराडाक्स है, आखीर इस इनकांसिस्टेंसी की इन्तिहा भी कुछ है? एक तरफ माननीय नवलकिशोर जी इसको टीचिंग चाहते हैं दूसरी तरफ यह भी उनको स्वीकार है कि कुछ जगह एफिलिएशन भी अनिवार्य है, यह भी वह समझते हैं कि कुछ डिग्री कालेज ऐसे हैं कि जिनके पास सब साधन हैं और उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री न देने से वह भयभीत भी हैं। श्रीमन्, मैंने इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार यह सुना स्टैन्डर्ड, स्तर। कहा यह जाता है कि हम यह देखें कि क्वांटिटी पर विशेष ध्यान दें या क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर ध्यान देकर कोई भी देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है, क्वालिटी पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा और क्वांटिटी जो है वह भी एक ऐसी चीज है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके बीच में सामंजस्य होना चाहिये और जब तक कि किसी मुल्क में किसी भी प्रदेश में वह सामंजस्य नहीं पाया जायगा और सुचारु रूप से लोग उस पर नहीं चलेंगे तो यह सम्भव है यह वाद-विवाद के लिए तो ऐसा कहा जा सकता है कि हम एक तरफ क्वांटिटी को देखते हैं और दूसरी तरफ क्वालिटी भी याद आती है, लेकिन दोनों में सामंजस्य करना होगा।

मान्यवर, मैं आपकी बात को याद रखते हुए इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और सोचेंगे कि इसमें ऐसी बात नहीं है जो कि दलबन्दी की हो। यह तो दलबन्दी के ऊपर की चीज है। विद्या का एक ऐसा प्रश्न है जिसमें किसी पार्टीबन्दी का सवाल नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी इसमें सहमत हैं और वह भी इस बात की जरूरत समझते हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के ऊपर हमारे बहुत से सम्मानित सदस्यों ने प्रकाश डाला है और मेरे लिए अब कुछ बहुत कहने को नहीं रह गया है। मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस

संशोधन का समर्थन किया। वैसे तो माननीय काटजू साहब ने बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश डाला और पहले और भी सदस्यों ने, विशेष रूप से एक-एक विषय पर एक-एक अंग पर अलग-अलग सबने प्रकाश डाल दिया है। माननीय नवल किशोर जी भी इसकी स्पिरिट से सहमत हैं, लेकिन उन्होंने जैसा कहा कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए, उसके अध्यापन के लिए अगर विश्वविद्यालय ने और कालिजेज को मान्यता दी तो ऐसा न हो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में लड़के पर्याप्त संख्या में न पहुंच सकें। मैं समझता हूं कि यह कल्पना एक गलत सी कल्पना है। आज जब कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज में ओवर क्राउडिंग होता है और हम व्यवस्था नहीं कर पाते हैं उनके अध्यापन की, ऐसी हालत में ऐसी कोई दिक्कत सामने नहीं आयेगी। माननीय राजा वीरेन्द्र शाह ने भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से प्रकट कर दिया कि जौनपुर में, गोंडा, बलिया, आजमगढ़ में इतने अच्छे कालिजेज हैं जो कि आजकल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज में अध्यापन दे रहे हैं, यदि यह विधयक जैसा कि है, वैसा पारित किया गया तो एक बड़ी अड़चन पैदा हो जायगी और उनको एक बड़ा धक्का लगेगा। वहां का स्टाफ कहां जायगा, वहां का जो अच्छा स्टाफ है जो कि आज कल पढ़ा रहा है पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज को, वह कहां जायगा?

श्री हरगोवद सिंह—कहां? जौनपुर में? जौनपुर में एम० ए० नहीं हैं। कहीं नहीं हैं, किसी कालिज में नहीं हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह—इस तरीके से दिक्कत एक सामने पैदा हो जायगी। बहरहाल इस तर्क को मान भी लें।

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरा तर्क अगर मानने लगे तो फिर...

श्री तेजप्रताप सिंह—मैं तो आपका तर्क मान भी लेता हूं, लेकिन आप कभी भी नहीं मानते हैं। अच्छा भी तर्क हो, तो चूंकि मैं प्रस्तुत करता हूं, इसलिए आप मानने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसा आपकी तरफ से होता है, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं कि आपको भ्रम हो या गलतफहमी हो तो उसको साफ कर दूं। यदि उसको आप मान भी लें तो उसके अलावा यह तर्क दिया जाता है कि क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान न देकर क्वांटिटी की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये, क्योंकि आकांक्षाएं लोगों की बढ़ रही हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं। तो इस तर्क को मान कर के जो आवाज लगाई जाती है उसको मान कर हम को लाजिमी हो जाता है कि हम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के अध्यापन की व्यवस्था हर जगह कर दें। क्योंकि जैसी कि आज की हमारी हालत है, उससे आजमगढ़, जौनपुर आदि जो दूर के जिले हैं उनके कोनों से लड़के नहीं आ सकते हैं। माननीय झारखंडे राय ने कहा कि जो लोग वहां से बी० ए० और एम० ए० की डिग्री लेने आते हैं वह आटा और लकड़ी लेकर आते हैं, बड़ी गरीबी की हालत में रहते हैं और किसी न किसी तरह से शिक्षा प्राप्त करते हैं। वैसी हालत में भी यह लाजिमी हो जाता है कि हम वहां ऐसी व्यवस्था रख दें और इस संशोधन का केवल इतना मतलब था कि आज के हालात को देखते हुए यह हर प्रकार से उपयुक्त है कि हम इन कालेजेज को इस तरह से शिक्षा देने की व्यवस्था करें कि वह उनमें एम० ए० आदि की टीचिंग दे सकें। तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे मानेंगे। हां, वैसे तो वे नहीं मानेंगे क्योंकि मेरे तर्क को वे कभी मानते नहीं हैं किन्तु जब कि हर पार्टी के लोगों ने और जो कि सुयोग्य हैं, मैं तो योग्य नहीं हूं लेकिन बहुत से माननीय सदस्य जो बहुत ही सुयोग्य हैं उन्होंने जब इस पर प्रकाश डाला है तो ऐसी हालत में मेरा तर्क न समझ कर दूसरों का तर्क समझ कर इसको जरूर स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—माननीय नवलकिशोर जी, आपको अपने संशोधन के बारे में कुछ कहना है या नहीं।

श्री नवलकिशोर—जी नहीं।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, अभी माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने कहा कि मैं इतना हठी हूं कि उनके तर्क को मैंने कभी भी नहीं माना। श्रीमन्, मैं तेजप्रताप सिंह जी को विश्वास दिलाता हूं कि उसका यह कारण नहीं है कि वह उस तरफ बैठे हैं और मैं इस तरफ बैठा हूं लेकिन वह कारण और है कि क्यों उनके तर्कों को मानने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। वह स्वयं देख लें। इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी का विधेयक जब इस भवन के सामने था तब माननीय तेजप्रपात सिंह जी ने एक बड़ा भारी लम्बा सा भाषण दिया था कि हम इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी को तोड़-मरोड़ रहे हैं। वह टीचिंग यूनीवर्सिटी थी, उसको हम असोसियेटेड कालेजेज के साथ मिला कर उसकी सारी शक्ल को विकृत कर रहे हैं और मैंने उस समय कहा कि जो स्थिति इस समय इलाहाबाद या लखनऊ यूनिवर्सिटी में है कि उन्होंने बहुत से कालेजेज को अपने में सम्बद्ध कर रखा है वह नियम के अनुकूल रहा हो या नियम के प्रतिकूल रहा हो यह प्रश्न तो दूसरा है लेकिन इस विधेयक में भी वही अवस्था रखी जा रही है जो अवस्था उनमें है और आज तेजप्रताप सिंह जी जब एक नई यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है और जब उसकी रूपरेखा निश्चित की जा रही है और जब कि हम यह चाहते हैं कि उसकी टीचिंग का स्तर ऊंचा हो तब तेजप्रताप सिंह जी की ओर से यह कहा जा रहा है कि नहीं इसको सब जगह ऐसा बना दीजिये कि चाहे कोई पढ़े लिखे न लेकिन डिग्री उसको एम० ए० की जरूर मिल जानी चाहिये। आज अवस्था यह क्या है इससे हमको आंख नहीं मूंदना चाहिये। आज ये जितने कालेजज हैं, बड़ी विलक्षण बात है श्रीमन् कि कोई कालेज दस वर्ष से है, कोई बारह वर्ष से है, किसी के पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज नहीं है और कहा यह जाता है कि बलरामपुर में से जहां डिग्री क्लासेज का फर्स्ट ईयर खुल रहा है, उसको आप क्यों रोक रहे हैं? वह यहां हिन्दुस्तान की सब यूनिवर्सिटियों से बढ़ कर चार छः दस वर्ष में वह विलक्षण यूनीवर्सिटी हो जायगी। उसको कालेज ही क्यों रखा जाय? जिस कालेज में अभी एक क्लास खुल रहा है डिग्री का वह कालेज अभी यह कह दिया जाय कि उसके पास तो साइंस की इतनी सामग्री हो गई है कि उसका विकास रोक दिया जाय, बढ़ाव रोक दिया जाय, यह तो शिक्षा के प्रति बड़ा दुर्व्यवहार होगा। तो मैंने अध्यक्ष महोदय!

अपनी उत्सुकता की बात बतलाता हूं—अभी अपने उपमंत्री जी से पूछा कि यह तो कुल बहस आगरा यूनिवर्सिटी में जैसे होती थी कालेजेज को पोस्ट ग्रेजुएट करने की वैसे ही है। तो क्या कोई आगरा यूनिवर्सिटी का तो बलरामपुर में नहीं पहुंच गया है, आखिर क्या बात है। तो मालूम हुआ कि बात यही है। जितने कालेजेज हैं पी० डी० कालेज ले लीजिये, मैं उसके बारे में चूंकि जानता हूं जो व्यक्ति वहां इंटरमीडियट क्लासेज को पढ़ाने के लिये एप्वाइंट हुआ हो आज वहां का प्रिंसिपल है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिये बहुत लड़ता है इसलिये कि पोस्ट ग्रेजुएट हो जायगा तो यों तो ८०० या १००० तो शायद वे पाते ही हैं और मिल जायगा।

मैंने जो आगरा यूनिवर्सिटी में यह रखा कि किसी कालेज के लिये यह आवश्यक होगा कि यदि उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट और इंटरमीडियट दोनों हैं तो एक को हटायें, यह कोई इसलिये नहीं किया कि मैं शिक्षा का अवसर लोगों को नहीं देना चाहता। लेकिन मैंने देखा कि वहां जितने कालेजेज हैं शायद ९० से अधिक प्रतिशत ऐसे हैं जहां टीचर जो हाई स्कूल में पढ़ाने के लिये थे वही पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ा रहे हैं। यही नहीं, एक बड़े भारी सम्मानित व्यक्ति जो पी-एच० डी० की कापियां देखते हैं उन्होंने कहा कि पी-एच० डी० बाइ दि डायम प्रोडयूस होते हैं, हर वक्त जितने पी-एच० डी० चाहो। आगरा यूनिवर्सिटी में गरीबी की ही बात सोच करके शायद यह हो गया कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स तो रहें ही लेकिन साइन्स के भी कुछ सब्जेक्ट्स में अब प्राइवेट

पास कर सकते हैं। लेबोरेटरी में न जाइये, टेस्ट ट्यूब न छूइये और कैमेस्ट्री, बोटेनी और जूलाजी, इन सब चीजों में प्राइवेट कर लीजिये। इसलिये हमको अपने दिमागों में साफ होना चाहिये कि आखिर शिक्षा हम कहते किसको हैं ? अगर शिक्षा का अर्थ यही हो कि हर एक आदमी को डिग्री प्राप्त करना उपलब्ध हो तो फिर मैं तो कहता हूं कि गांव-गांव में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिये जिसमें उसको कहीं न जाना पड़े।

एक साहब ने मुझसे एक दफा कहा, गोकि वास्तविकता तो यह नहीं थी कि हाई स्कूल में बहुत लड़के फेल हुये, तो मैंने कहा कि फिर जरूरत क्या है, ऐसा क्यों न किया जाय कि हर एक गार्जियन लिख दे कि हमारा लड़का दसवीं तक योग्यता प्राप्त कर चुका है और बोर्ड उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया करे ? एक स्तर तक तो सब को अधिकार है इस बात का कि उतनी योग्यता प्राप्त करें। लेकिन एक स्तर के ऊपर आपको इस बात का निर्धारण करना पड़ेगा कि आप अपनी शिक्षा में इस प्रकार का वर्गीकरण करें, ऐसे लोगों की रचना करें जो राष्ट्र को कुछ दे सकें, जिनसे राष्ट्र को कुछ लाभ हो। आखिर प्रत्येक आदमी की शिक्षा पर राष्ट्र का कुछ धन लगता है। बहुत से लोग हैं जिनके कोई सम्बन्धी किसी स्कूल या कालेज में नहीं पढ़ते हैं लेकिन उनका भी रुपया शिक्षा संस्थाओं में लगता है चाहे उसका अंश कम ही क्यों न हो।

श्री अध्यक्ष—अभी आप कुछ समय लेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, थोड़ा समय लूंगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री मलखान सिंह, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, इस समय यह कह रहा था कि इस संशोधन पर विचार करते समय हमें अपने विचारों में स्पष्ट होना चाहिये। यदि ऐसी बात है और माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिये हमारे प्रान्त में साधनों की कमी है। इस कारण से बहुत से प्रतिभाशाली लड़के जिनको उच्च शिक्षा या पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा मिलनी चाहिये थी वह इससे वंचित रह जाते हैं तो यह समझ में आती है कि इन कालेजेज को भली प्रकार से सुसज्जित करने के बाद यह अधिकार दिया जाय कि यह अपने यहां पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोल सकें। लेकिन जैसा मैंने कहा आगरा यूनीवर्सिटी में कोई कड़ा प्रतिबन्ध नहीं था उस समय भी इन कालेजेज को यह सुविधा नहीं दी गई और आज बनारस यूनिवर्सिटी इतनी नजदीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इतनी नजदीक है और अगर यह यूनिवर्सिटी में न भी जाना पड़े तो आगरा यूनिवर्सिटी में ऐज प्राइवेट कंडीडेट बैठ सकते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों इन कालेजेज को पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने का अधिकार दिया जाय।

जब एक कमेटी इसी कार्य के लिये मुकर्रर की गई थी तो उसकी यही राय है कि इन जिलों के अधिकांश कालेजेज ऐसे हैं जिनको डिग्री क्लासेज भी उपलब्ध नहीं होनी चाहियें। वह इतने नीचे के स्तर के हैं और यदि सचमुच में कोई ऐसा लड़का है तो उसके लिये अवश्य आपको मालूम होगा कि सरकार द्वारा एक-एक लड़के को ६०—६० रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है जिसमें वह पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी को कायम रख सकें और पढ़ सकें। लेकिन यदि आपने इसको भी सस्ता कर दिया और सब कालेजेज में पोस्ट ग्रेजुयेट क्लासेज दे दिये तो विश्वास मानिये कि इसका नतीजा यही होगा कि जिस प्रकार से अब बहुत से हमारे इन कालेजों से पोस्ट ग्रेजुएट निकलते हैं उसका तो आपके पास मापदंड है कि आपके जो पी० एस० सी० और आल इंडिया सरविसेज के ऐक्जामिनेशन होते हैं

[श्री हरगोविन्द सिंह]

उसकी सूची देख लीजिये। आप देखेंगे कि किस तरह से उनका स्तर नीचे गिरता जा रहा है और एक समय आयगा जब हमको और आपको यह कहते हुये शर्म लगेगी कि हम ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट्स पैदा कर रहे हैं कि जिनके अपने विषय में इतना ज्ञान भी नहीं होता कि वह ग्रेजुयेट भी बन सकें। इस कारण से मैं समझता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की दृष्टि से और शिक्षार्थियों की दृष्टि से आवश्यक है कि आप उच्च शिक्षा का प्रबन्ध केवल यूनिवर्सिटी में ही करें जिसमें सचमुच में ऐसे नवयुवक पैदा कर सकें जो उपयुक्त हों। इन थोड़े शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री तेजप्रताप सिंह---अधिष्ठाता महोदय, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने कहा था कि जब इलाहाबाद युनिवर्सिटी संशोधन विधेयक प्रस्तुत था, उस समय मैंने ऐसा कहा था कि आप युनिवर्सिटी के करेक्टर को तोड़-मरोड़ रहे हैं और आज कैसे एफिलियेटिंग युनिवर्सिटी के लिए यह सब बातें कह रहे हैं। मैं इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। मैंने ऐसा कहा था . . .

श्री अधिष्ठाता---जरा शार्ट कर दीजिये।

श्री तेजप्रताप सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैंने यह कहा था कि इसके करेक्टर को मेन्टेन करना चाहिए यह बात सच है। तोड़ने मरोड़ने वाली बात यह थी कि आप इसकी आटोनोमी का हरण कर रहे हैं। वहां की बिल्डिंग जो बरबाद हो रही है, उनके लिए कोई अनुदान नहीं दे रहे हैं और वहां के जो अध्यापक हैं उनके पे स्केल्स को भी नहीं बढ़ा रहे हैं और वहां जो कर्जा लदा हुआ है, उसकी ओर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और केवल उसकी अटोनोमी को खत्म करने जा रहे हैं। मैंने यह अर्ज किया था और उसका एक उज्ज्वल इतिहास है। उसने बड़ी सेवा हमारे प्रदेश की की है तो इसलिए उसके युनिटरी करेक्टर को मेन्टेन किया जाय और आगरा यूनिवर्सिटी में आप जो चाहें कर सकते हैं। तो यह मैंने कहा था और इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रेस करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ५ का उपखंड (३) निम्न प्रकार से रख दिया जाय :---

"(३) विश्वविद्यालय के लिए यह वैध (lawful) न होगा कि वह किसी स्नातकोत्तर उपाधि (Post-Graduate Degree) के निमित्त अध्यापक कार्य के लिए गोरखपुर जिले के किसी कालेज को सम्बद्धता प्रदान करे और ऐसे गोरखपुर जिले के किसी भी कालेज की जो उपधारा (१) के अधीन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समझा जाय तत्सम्बन्धी कोई भी सम्बद्धता १९५५-५६ के शैक्षिक वर्ष के अन्त में समाप्त हो जायेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---अब मैं नवलकिशोर जी का संशोधन लेता हूं। प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (३) की पंक्ति ५ में शब्द "१९५५-५६ शैक्षिक वर्ष के अन्त में" के स्थान पर शब्द "सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके राज्य सरकार द्वारा नियत किये गये दिनांक से" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---अब श्री महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी का संशोधन है। जिसे श्री अवधेश प्रताप सिंह ने पेश किया था। प्रश्न यह है कि खंड ५ का उपखण्ड (३) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ५-क

श्री नवलकिशोर--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के बाद निम्नलिखित नया खंड ५-क के रूप में जोड़ दिया जाय :--

"५-क--घटक कालेज वे होंगे जो परिनियमों द्वारा नामोल्लिखित हों।"

यह बात तो बहुत सीधी सादी है, मेरा इससे यही मतलब है कि कांस्टिटुएंट कालेजेज वही माने जायेंगे जो इन्स्टीटयूट्स के अन्दर हों।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--मान्यवर, अगर कांस्टीटयूयेन्ट कालेजेज की डेफिनीशन देखी जाय तो मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक है उसमें साफ लिखा है कि जिनको गवर्नमेंट या युनिवर्सिटी माने या जो युनिवर्सिटी होगी, उसके अन्दर कई कांस्टीटयुएन्ट कालेजेज होंगे। लिहाजा इस संशोधन की आवश्यकता इस समय नहीं मालूम होती। मैं आशा करता हूं कि माननीय नवलकिशोर जी इसको देख लेंगे और अपने इस संशोधन को वापिस ले लेंगे।

डाक्टर सीताराम--मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ५ के बाद निम्नलिखित नया खंड ५-क के रूप में जोड़ दिया जाय :--

"५-क--घटक कालेज वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा नामोल्लिखित हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि नया खंड ५-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खण्ड ६

६--विश्वविद्यालय इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों के लिए होगा और उसमें जाति अथवा वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायगा किन्तु इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायगा कि विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम (course of study) में अध्यादेशों द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक विद्यार्थी प्रविष्ट करने को बाध्य है। विश्वविद्यालय सभी जातियों तथा वर्गों के लिए होगा।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

७--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकार होंगे :--

(१) विद्या (learning) को ऐसी शाखाओं में शिक्षण का प्रबन्ध करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे तथा अनुसंधान कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना, विश्वविद्यालय के अधिकार।

(२) धारा ५ की उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित कालेजों को सम्बद्ध करना तथा उनके कार्य का निर्देशन एवं नियंत्रण;

(३) उपाधियों, डिप्लोमों, तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं की स्थापना करना (institute);

(४) उपाधियों, डिप्लोमों तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं के निमित्त परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें ऐसे व्यक्तियों को प्रदान एवं सम्प्रदान करना (grant and confer)—

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय या किसी कालेज में किसी पाठ-क्रम का अध्ययन किया हो; या

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा तदर्थ अभिज्ञात (recognized) किसी संस्था में या स्वतंत्र रूप से परिनियमों तथा अध्यादेशों में उल्लिखित प्रति-बन्धों के अधीन अनुसंधान कार्य (research) किया हो;

(ग) जो शिक्षा संस्थाओं के ऐसे अध्यापक हों जो अध्यादेशों में एतदर्थ नियत शर्तें पूरी करते हों या जो उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग में स्थायी रूप से नियोजित (employed) निरीक्षण पदाधिकारी (inspecting officer) हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों;

(घ) जो ऐसी महिलायें हैं जिन्होंने परिनियमों में विहित शर्तों के अधीन निजी अध्ययन किया है;

(ङ) जो परिनियमों में विहित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय या किसी घटक अथवा सम्बद्ध कालेज के पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष हों।

(५) परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तों तथा रीति से सम्मान्य उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टतायें (honorary degrees or other distinctions) प्रदान करना;

(६) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, ऐसे डिप्लोमें प्रदान करना तथा उनके निमित्त ऐसे व्याख्यानों (lectures) तथा शिक्षण की व्यवस्था करना जिसे विश्वविद्यालय निर्धारित करे;

(७) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के निमित्त सहयोग करना जिन्हें विश्व-विद्यालय निर्धारित करे;

(८) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन पदों (teaching posts) की स्थापना करना तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना,;

(९) कालेजों और हालों में शिक्षण देने के निमित्त अध्यापकों को अभिज्ञात करना ;

(१०) कालेजों की सम्बद्धता संबंधी शर्तें नियत करना तथा नियतकालिक (periodical) निरीक्षणों द्वारा और अन्य प्रकार से अपना यह समाधान करना कि वे शर्तें पूरी की जा रही हैं ;

(११) परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार फेलोशिप [जिसके अन्तर्गत यात्रिक फेलोशिप (travelling fellowships) भी हैं], छात्रवृत्तियों (scholarships), विद्यावृत्तियों (studentships) तथा पारितोषिकों (prizes) की स्थापना करना और उन्हें प्रदान करना;

(१२) हालों तथा छात्रावासों की स्थापना एवं संधारण (maintenance) तथा विश्वविद्यालय एवं कालेजों के विद्यार्थियों के निवास के निमित्त निवासस्थानों को अभिज्ञात करना ;

(१३) ऐसे शुल्क (fees) तथा अन्य परिव्यय (charges) मांगना और प्राप्त करना जो अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायं ;

(१४) विश्वविद्यालय तथा कालेजों के विद्यार्थियों के निवास का अधीक्षण (supervision) और नियंत्रण करना और उन विद्यार्थियों के अनुशासन का नियमन करना तथा उनके स्वास्थ्य को उन्नत करने का प्रबन्ध करना;

(१५) प्रशासकीय (administrative), करणिक (ministerial) तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना; तथा

(१६) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित अन्य समस्त कार्य और बातें करना चाहे वे उपर्युक्त अधिकारों से आनुषंगिक हों या न हों।

श्री तेजप्रताप सिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) को निम्न रूप में रख दिया जाय :—

"(१)' विद्या (learning) की ऐसी शाखाओं विशेषकर water control engineering, soil improvement engineering, temperature control engineering, food processing technology, "Chemurge engineering", rural industrial counselling, rural administration, rural social selfare, rural land and village planning, social engineering, rural sociology, rural arts, rural medecal service में शिक्षण का प्रबन्ध करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे तथा अनुसंधान कार्यों, विशेषतया Research in population, rural economic research, rural industrial research, research in housing and building materials, agricultural research, ethical research, psychological research, sociological, anthropological and cultural research, research in rural public administration की विशेष रूप से व्यवस्था करना और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना"।

अधिष्ठाता महोदय, जब से गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की बात चली तब से यह बात बराबर कही जाती रही कि इस विश्वविद्यालय को रूरल वायस दिया जायगा, इसको रूरल युनिवर्सिटी बनाया जायगा। लेकिन जब यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत

[श्री तेजप्रताप सिंह]

हुआ तो हमें इस बात का खेद हुआ कि इसमें इस बात की चर्चा तक नहीं की गयी कि उसका कोई रूप रूरल बायस पर स्थित किया गया है। अगर इस प्रकार के विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश में खोले जायेंगे, जैसे कि आवश्यक हैं तो उससे हमारी ग्रामीण समस्याएं हल न हो सकेंगी। इसका जिक्र हमारे यहां के विद्वानों और इस विषय के विशेषज्ञों ने किया है। उन्होंने बराबर इस बात पर जोर दिया है कि रूरल यूनिवर्सिटी हमारे यहां खुलनी चाहिए। मैं भी उसी दृष्टि से उसी बात को ध्यान में रखकर इस संशोधन को यहां लाया हूं, क्योंकि आखिर किसी विश्वविद्यालय का नाम यदि ग्रामीण विश्वविद्यालय रख दिया जाय तो उससे काम चलने का नहीं है। यदि हम उसके कोर्सेज में ऐसी व्यवस्था कर दें कि जिनमें उन तमाम बातों का विधान हो सके जिनकी कि जरूरत है और जिनसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की तरक्की हो सकती है, तभी हमारा ग्रामीण यूनिवर्सिटी का उद्देश्य सफल हो सकता है। इसलिए जहां विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विषयों के शिक्षण का प्रबन्ध किया गया है उसमें हमने इन विषयों को रख दिया है। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी को इसमें कोई आपत्ति न होगी।

अब मैं थोड़ा यह समझा देना चाहता हूं कि इसमें हमने यह विषय क्यों रखे हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें वाटर कन्ट्रोल इन्जीनियरिंग के बारे में कहा गया है। खास तौर से हमारे प्रदेश के पूर्वी इलाके में हमेशा बाढ़ आया करती है और यदि इस भयानक समस्या को हमने अपने यहां हल नहीं किया तो मैं समझता हूं कि हमने कुछ भी नहीं किया। अब इस समस्या को हल करने के लिए कोई ऐसी एजेंसी न हो तो काम नहीं चल सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उधर जो यह एक विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, उसमें इन विषयों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय ताकि वहां की समस्या आसानी से हल की जा सकती है और मैं समझता हूं कि यह एक सही कदम होगा। आप जानते हैं कि वहां पर बहुत सी नदियां हैं उनके पानी को कन्ट्रोल करके हम सिंचाई की अधिक व्यवस्था कर सकते हैं और उसके साथ ही वहां बहुत सी इन्डस्ट्रीज भी सेट अप हो सकती हैं। आजकल यहां यह जरूरी नहीं है कि शहरों में ही बड़े-बड़े उद्योग बसाये जायं, बल्कि गांव तक देहातों में छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे नहीं चलाये जायेंगे तब तक इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता। छोटे उद्योग-धंधे खोलने से ही प्रदेश का भला हो सकता है। किस तरह से पानी से एनर्जी बन सकती है और उस एनर्जी से छोटे-छोटे उद्योग-धंधे स्थापित हो सकते हैं और हमारा विकास हो सकता है। यह सबको विदित है।

इसके साथ-साथ एक विषय मैंने स्वायल इम्प्रूवमेंट इंजीनियरिंग का भी रखा है। जो हमारे यहां की नदियां और नाले हैं, और जिनसे बाढ़ आया करती है और उनसे जमीन का कटाव होता रहता है, उसको किस तरह से रोका जाय। इस विषय की हमें निश्चित शिक्षा देना है। अगर विद्यार्थी इस विषय में सुशिक्षित होंगे और इस ओर ध्यान दिया जायगा तो जो नदियों से बाढ़ में कटाव होता है, उसको हम रोक सकेंगे। यह भयंकर व्याधि जो कि टी० बी० की तरह हमारी भूमि के साथ लगी हुई है, अगर हम उसको नहीं रोकते हैं तो आजकल जो पैदावार होती है, वह भी आगे चलकर नहीं होगी। इसमें शिक्षा देने से और इस तरह से कार्य करने पर थोड़ी बहुत गल्ले की समस्या भी हल हो सकेगी।

इसके अलावा हमारा देश एक गर्म देश है, और सूर्य के ताप या रोशनी से अगर हम कुछ लाभ उठा सकते हैं तो वह भी हमें उठाना चाहिए। आजकल सोलर एनर्जी से बहुत लाभ उठाने की कोशिश हो रही है, हमें भी ऐसे विषय अपने यहां रखने चाहिए। क्योंकि अभी तक हम इस ओर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे विषयों की ओर हमें विश्वविद्यालय के शिक्षण में विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इससे आपका बहुत लाभ सम्भव हो सकता है। इसी तरह से शिमर्जिक इंजीनियरिंग है। आप जानते हैं कि गन्ने से शक्कर बनती है और उसकी जो छोई होती है, जिसे खोई भी कहते हैं वह बाहर रह जाती है और बेकार जाती है। उसका भी कुछ उद्योग होना चाहिए, उसके बारे में भी अगर कुछ शिक्षा दी जाय कि उसका क्या और

कैसे उपयोग हो सकता है तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। इसी तरह से जूट की भी छूटन-छाटन पड़ी रहती है, उसका भी उपयोग हो तो बड़ा फायदा हो सकता है। मोलेसिस भी बड़ी तादाद में बेकार पड़ा रह जाता है अगर उससे अल्कोहल तैयार कर सकें और इस पर विश्वविद्यालय में शिक्षा दें या उसके अन्तर्गत कालेजेज में तो उससे भी बहुत बड़ा हित हो सकता है। इन्डस्ट्रीज के बारे में भी कि कौन-कौन इन्डस्ट्रीज हम खोल सकते हैं, उसके बारे में राय देने के लिए रूरल इन्डस्ट्रियल कौंसिलिंग के विषय में शिक्षा दी जाय और उसके विशेषज्ञ लोग बनें तो उससे हमारी ग्रामीण जनता बहुत फायदा उठा सकती है। इसी प्रकार से और भी अन्य विषय हैं।

एक विषय में मैं और कहना चाहूंगा वह है रूरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हमारे यहां हर गांव में पंचायतें हैं। पंचायतों का काम किस प्रकार से उचित रूप से चल सके और किस तरह से लोकली हम अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को समुन्नत कर सकें इसकी शिक्षा कहीं दी जाय तो उससे बहुत लाभ हो सकता है। लोग उन कामों को करना नहीं जानते जैसा कि हमारा आजकल का अनुभव है। अगर यह व्यवस्था भी कर देते हैं तो उससे भी फायदा हो सकता है।

इसी तरह से लैन्ड ऐन्ड विलेज प्लानिंग है। उसके द्वारा भी बड़ा फायदा पहुंचाया जा सकता है। आप जानते ही हैं कि गांव में सफाई के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। वहां के मकान ठीक से नहीं बने हुए हैं और आजकल लोग गांवों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, शहरों की तरफ ज्यादातर ध्यान देते हैं कि किस तरह से वहां की प्लानिंग हो, किस तरह से मकानों की सफाई हो, किस तरह से उनके स्ट्रीट्स और रास्ते बनें। ये सारी बातें इसके अन्तर्गत आती हैं। अगर रूरल एरियाज में भी इन बातों की तरफ ध्यान दें, तो हम देहातों को अच्छा बना सकते हैं और उनकी अच्छी तरह से सफाई की ओर ध्यान दिला कर उनका भला कर सकते हैं।

अब अनुसंधान के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। अनुसंधान चाहे जिस विषय पर वह करे, लेकिन जो विषय मैंने गिनाये हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाय तो उससे ज्यादा फायदा हो सकता है। जैसा इसमें दिया गया है, जैसे रिसर्च इन पापुलेशन। पापुलेशन भी बहुत बढ़ी हुई है। यह बड़ी भारी समस्या हमारे सामने है और यूनिवर्सिटीज व कालेजेज में अच्छी तरह से कोई व्यवस्था की जाय, रिसर्च की जाय तो उससे भी बड़ा फायदा हो सकता है। अधिष्ठाता महोदय, अभी जो कुछ भी उपचार चल रहा है और जो कुछ शिक्षा इस विषय पर चल रही है, उसका कोई फायदा देहातों में नजर नहीं आता। पूर्वी प्रदेश में हमारे विशेष रूप से पापुलेशन बहुत है। उधर इस विश्वविद्यालय में हम यदि इसका प्रबन्ध करते हैं तो, बर्थ कन्ट्रोल, आदि या और जो पापुलेशन रोकने की तरकीबें हैं उस ओर ध्यान दे सकेंगे। इस प्रकार विद्यार्थी अच्छी तरह से उसमें शिक्षित हो सकेंगे और उस ओर हमारे कदम उठ सकते हैं ताकि हम पापुलेशन को जो आज बढ़ रही है अबाध गति से उसको भी रोक सकते हैं। एक बड़ी भारी समस्या उठ सकती है और यदि उसका समाधान या हल और उसके बारे में रिसर्चेज हों, तो वह सबसे उपयुक्त हो सकता है गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए। इसी तरह से रूरल एरियाज के बारे में और भी समस्याएं हैं। हमारे देहात में मकान ठीक से नहीं बन पाते हैं। बहुत रद्दी किस्म का सामान पड़ा रह जाता है, गांवों में और अगर ढंग से इसे इस्तेमाल करें, तो उससे ज्यादा फायदा हो सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा यहां पर पी० डब्लू० डी० विभाग द्वारा इस ओर कुछ अन्वेषण किये जाते हैं और जैसा कि कुछ दिन पहले हमें बात हुआ था कि एक ऐसा प्लास्टर निकाला गया है जिससे अगर मकानों की छत्त की जाय, उस प्लास्टर को मकानों में लगाया जाय तो उनकी जीवन परिधि बहुत लम्बी की जा सकती है यानी वह करीब-करीब सीमेंट का काम दे सकता है। इस तरह के अन्वेषण यदि वहां स्थानीय कालेजों में किये जायं और विश्वविद्यालयों में किये जायं तो उससे भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जगह-जगह वहां की विशेष समस्याएं होती हैं, विशेष मैटीरियल्स होते हैं, यदि उनका अन्वेषण वहां किया जाय, तो लोगों को बड़ा लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो यह जो विषय दिये हुए हैं

[श्री तेज प्रताप सिंह]

इसके विषय में राधाकृष्णन् कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें डिटेल में दिया हुआ है और मैंने उसको अध्ययन करके सोचा है कि अगर इनको इस उपखंड में रख दिया जाय तो उससे बड़ा हित हो सकता है। इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार करें। दिक्कत इसलिए भी नहीं होगी कि जिस विषय में विश्वविद्यालय शिक्षा देना चाहे, उसमें इसको स्वीकार कर लेने पर कोई रोक-टोक नहीं होती। इसमें केवल यही लिखा गया है कि विशेषकर इस पर ध्यान दें। इसलिए भी कोई दिक्कत नहीं आती। अतः माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार करें।

*श्री गेंदा सिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय तेजप्रताप जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में जिन आवश्यक बातों की तरफ ध्यान दिलाया है हमको ऐसा लगता है कि इस तरह ध्यान अभी तक दूसरे लोगों ने नहीं दिलाया था। मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि माननीय तेजप्रताप जी के इस संशोधन का समर्थन करूं। मैं शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा उपमंत्री जी और विशेषकर के नियोजन मंत्री जी, जो इस समय सदन में उपस्थित हैं उनका ध्यान अवश्य आकर्षित करूंगा इस संशोधन की ओर कि वह इस संशोधन की मैरिट पर विचार करें और उसको स्वीकार कराने में सहयोग प्रदान करें। खासतौर से हमारी समस्या, जो इस प्रदेश के पूर्वी भाग की है, आबादी की वृद्धि है। जब आबादी की वृद्धि की समस्या सामने आती है तो उसकी बेरोजगारी और भुखमरी, गरीबी ये सारी चीजें सामने आती हैं। गोरखपुर का डिवीजन जो है वह इस प्रदेश का निर्धन बेरोजगार डिवीजन है। यह कहने की जरूरत नहीं है। इस पर कितनी बार विवाद हो चुका है और यह स्वीकार भी किया जा चुका है कि सबसे अधिक निर्धन और बेरोजगार डिवीजन यह है और उसका उदाहरण प्रत्यक्ष हमारे सामने यह है कि आज हम हिन्दुस्तान के किसी कोने में किसी कालोनी में अगर मजदूर खोजें तो उसमें सबसे अधिक मजदूर गोरखपुर डिवीजन का मिलेगा। बड़ा भयानक काम है। उसमें जिन्दगी कम हो जाती है। फिर भी गोरखपुर अपनी रोजी के लिये उस भयानक काम को करने के लिये उद्यत होता है और जाकर किसी तरह अपनी रोजी कमाता है।

इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जो हमारे सूबे में आम तौर से जमीन का अनुपात आबादी पर है उसमें सबसे अधिक अनुपात गोरखपुर डिवीजन का है। गोरखपुर के डिवीजन में कुछ ऐसे भी जिले हैं जिन जिलों में एक हजार से अधिक प्रति वर्ग मील की आबादी है। अब उनके खाने पीने का सवाल, उनकी रोजी का, उनके गुजारे का सवाल इतना बड़ा है जिस सवाल को हल किये बिना सरकार को किसी प्रकार भी छुटटी नहीं हो सकती। तो मैं सोचता हूं कि जो संशोधन तेजप्रताप जी का है अगर इस प्रकार से वहां के लोगों को पढ़ाया लिखाया जाय तो कुछ सवाल तो हल ही हो सकता है।

अब उन्होंने जो सवाल किया है कि नाम इसमें खास तौर से लिखा है तो स्वायल इरोजन पर स्वायल कंजर्वेशन के नाम पर तो मैं समझता हूं कि चाहे वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट हो या स्टेट गवर्नमेन्ट हो करोड़ों रुपये खर्च करने को तैयार है और इस बात की कमी है कि हमारे यहां ट्रेंड परसनल नहीं मिलते, योग्य आदमी नहीं मिलते कि स्वायल को कंजर्व करने में हमारी सहायता करें। स्वायल इरोजन का सवाल जो जमीन के कटने का सवाल है नदियों से यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नदियां भी कुछ गोरखपुर डिवीजन में चारों तरफ से जो सूबे भर की नदियां हैं वह जाकर के इकट्ठी हो गई हैं यमुना को छोड़कर के .....

श्री हरगोविन्द सिंह—सबको रस मिलता है वहां ।

श्री गेंदा सिंह—मालूम नहीं उन्होंने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। लेकिन यह हमारे भाग्य की बात है । असल में यह विपत्ति के साधन नहीं हैं यह तो सम्पत्ति है । योग्य हाथों में यह पड़े, योग्य शासकों के साथ में इनका पाला पड़े तो यह वैभव के साधन हैं और अगर यह वैभव के साधन नष्ट करने के साधन बनें तो फिर यह सोचना पड़ेगा कि कैसे लोगों के हाथ में यह साधन पड़े हुए हैं ? तो मैं केवल इतना ही कहूंगा इस पर कि योग्य शासक भी चाहता हूं कहना । यह नदियां जो हमारे लिए अभिशाप बनी हुई हैं वह हमारे लिए आशीर्वाद सिद्ध हों इसके लिए यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कुछ अगर नवजवान निकल सकें जो इनकी अच्छी तरह से पूजा कर सकें और स्वायल को कंजर्व करने में मददगार हमारे हों, स्वायल इरोजन को रोकने में मददगार हों तो फिर मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी बहुत नेकनाम होगी, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बहुत नेकनाम होगी । अभी जिन नदियों की चर्चा मैं कर रहा था घाघरा, सरयू, राप्ती, बड़ी गंडक, छोटी गंडक और इससे छोटी छोटी नदियां और जो हैं यह दर्जनों नदियां इकट्ठी हो करके गोरखपुर डिवीजन में चारों तरफ से बरसात के दिन तबाह करती हैं और जिस वक्त पानी की जरूरत होती है उस वक्त सूखा पड़ता है। तो हमारी तो समस्या यह है कि बरसात में नदियां हमको तबाह न करें और जिस वक्त पानी की जरूरत हो वह सस्ते कीमत पर पानी लेकर के हम अपने खेतों में पहुंचा सकें । यह रूरल इकोनामी, रूरल प्राबलम सबसे बड़ी प्राबलम हमारे यहां की है जो हमारी खेती को किसी तरह से नष्ट-भ्रष्ट और बरबाद न करने पावे, जाड़े के दिनों में या गरमी के दिनों में उनके पानी से हम ज्यादा फायदा उठा सकें तो अगर ऐसी तालीम गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मिल सके और मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी तालीम यूनिवर्सिटी दे नहीं सकती है अगर ऐसी तालीम यूनिवर्सिटी दे नहीं सकती तो यूनिवर्सिटी खोलने की आवश्यकता नहीं। मैं इस तरह की यूनिवर्सिटी खोलने का बहुत पक्षपाती नहीं हूं कि जिस यूनिवर्सिटी में बच्चों को अपना बाप अपनी सारी कमाई लगाकर के पढ़ा दे तो और बीस बाईस की उम्र में जब वह ग्रेजुएट हो करके निकलें तो वह अपने मां बाप के ऊपर एक बोझ भी बन जायं तो ऐसे लोग पढ़ लिख करके भी कोई घर के लिये, समाज के लिये अधिक कारगर हो सकते हैं यह मैं नहीं मानता । वह अपने घर के भी मददगार हो सकें, समाज के लिये भी उपयोगी सिद्ध हो सकें ऐसे लोगों की आवश्यकता है ।

तो मैं चाहता नहीं हूं कि ज्यादा वक्त इस पर लगाया जाय और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी की इच्छा का भी ध्यान रखता हूं। वह स्वयं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बड़े मददगार हैं तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करे, गोरखपुर में यूनिवर्सिटी कुछ उपयोगिता दूसरी यूनिवर्सिटियों से अधिक प्राप्त करे उसमें बजाय इसके कि किसी डिग्री कालेज को हम किसी और तरीके से दबाव से कहें कि इस डिग्री कालेज के विद्यार्थी गोरखपुर की यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ें बल्कि गोरखपुर की यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा आकर्षण हो कि जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नौजवानों को आने में ज्यादा चाव पैदा हो अगर ऐसी यूनिवर्सिटी बन सके तो बड़ी अच्छी बात होगी और तेजप्रताप जी का जो संशोधन है वह गोरखपुर की यूनिवर्सिटी के इस काम में मदद देता है । हां,

[श्री गेंदासिंह]

एक बात मैं यह निवेदन कर दूं कि जो इच्छा है सरकार की गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लिखाने की तो तेजप्रताप जी के इस संशोधन को स्वीकार कर लेने में उसमें कोई रुकावट नहीं पड़ती। उन्होंने यह कहा है कि "विद्या की ऐसी शाखाएं, विशेषकर" तो "विशेषकर" तो ये रहें। दूसरी बातें जो भी सरकार चाहती है वह रहे उससे कोई इसका विरोध नहीं है, वह भी पढ़ाई जायं और यह भी पढ़ाई जायं। इससे विशेष रुचि दिखाने की इच्छा है माननीय तेजप्रताप जी की। उन्होंने तो माननीय मंत्रियों की भी कुछ बातों को ध्यान में रखा है। यदि माननीय नियोजन मंत्री की बात का ध्यान न रखा गया होता तो सबको शिकायत हो सकती है, हमको भी शिकायत होती। क्योंकि नियोजन मंत्री जी से एक मर्तबा मैंने पूछा था कि आखिर फैमिली प्लानिंग का भी कुछ नियोजन होगा वह भी नियोजन में शामिल है? तो मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि गुप्ता जी जानें। तो आबादी की तरफ भी उनकी शिकायत है हालांकि हम नहीं चाहते कि हमारी आबादी कम कर दी जाय। वह तो हमीरपुर वाले चाहते हैं कि हमारी आबादी कम कर दी जाय। वह तो समझते हैं कि हमारी आबादी अगर बढ़ जायगी तो अधिष्ठाता महोदय यहां तो आबादी के ऊपर फैसले हुआ करते हैं। तो यह तेज प्रताप जी का जो संशोधन है उसका इस हिस्से तक में बहुत जोर के साथ समर्थन नहीं करता लेकिन मैं ध्यान में रखता हूं इस बात को कि अगर आबादी बढ़ती ही चली जाय तो भोजन कहां से मिलेगा? तो थोड़ा गुप्ता जी का भी ध्यान रखना पड़ता है। वह अन्न मंत्री हैं उनको भोजन का प्रबन्ध करना है। तो केवल अपने ख्याल के ऊपर कायम रखने से तो काम नहीं चल सकता। इसलिये उस गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अगर इस विषय पर कुछ अधिक जोर दिया जाय, अधिक कड़ाई रखी जाय तो हर्ज क्या है? तेजप्रताप जी ने हालांकि कुछ वैसा संशोधन रखा है उसका मुझे विरोध करना चाहिये था मगर मुझे ध्यान रखना पड़ता है।

श्री रामसुभग वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—कोरम है।

श्री गेंदासिंह—तो अधिष्ठाता महोदय मैं इस मामले में सोचता हूं कि मगर मिलनी चाहिये नियोजन मंत्री जी से भी और सरकार की जो एक घोषित नीति है उस नीति के अनुसार ही यह संशोधन है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो नयी खुलने जा रही है दूसरी यूनिवर्सिटियों में इस तरह के विषय की पढ़ाई लिखाई में कुछ कठिनाई पड़ सकती है लेकिन इस यूनिवर्सिटी की तो शुरुआत है और ऐसी जगह पर शुरुआत है जिस जगह पर कि सचमुच आबादी का मसला बड़ा टेढ़ा है। तो वहां पर इन विषयों पर पढ़ाई लिखाई का प्रबन्ध हो सके, हमको ऐसा विश्वास है कि शिक्षा मंत्री जी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी और अगर इनके संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो उसमें कोई कठिनाई इस विधेयक में एक यूनिवर्सिटी के संचालन में नहीं पड़ती।

श्री नवलकिशोर—अधिष्ठाता महोदय, माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया, मैं नहीं जानता कि वह स्वयं भी उसके बारे में कहां तक सीरियस हैं लिहाजा मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या वह वाकई में समझते हैं कि उनका जो संशोधन है वह प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है? मैं समझता हूं, नहीं है। दूसरी बात यह कि उन्होंने जो एक लम्बी सूची दी वह सूची

भी एक्जास्टिव नहीं है। यदि हम सूची बनाने पर आयें तो इस बात पन्नों में सूची आ सकती है। लेकिन क्यों उस बहस को छोड़ दें। तीसरी बात राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में से केवल कुछ सूत्र ही लेकर सूची को पेश कर देना और उसके रिफरेंस को छोड़ देना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। उन्होंने जो ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात कही है उस पर उन्होंने एक बहुत बड़ा चैप्टर दिया है और उसमें उन्होंने बताया है कि क्या-क्या परिस्थितियां होनी चाहिये, कुछ कंडीशन्स उन्होंने बताई हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी बनने के पहले आवश्यक हैं जैसे बेसिक स्कूल्स बनने चाहिये, उसके बाद बेसिक हायर सेकेन्डरी स्कूल्स बनने चाहिये और उसके बाद इंनिशपेटिव पर पीपुल्स कालेजेज की स्थापना होनी चाहिये तब चौथे स्टेज पर यूनिवर्सिटी बननी चाहिये। अगर वह सेट अप हमारे यहां नहीं है और अब ऐसा सेट अप नहीं है तब जो नई यूनिवर्सिटी बनने वाली है उसके ऊपर इन सब बातों को लाद देना मैं समझता कि सिवाय इसके कि हम कह सकते हैं कि या तो हम सीरियस नहीं हैं और या हम इसकी शिक्षा को इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। जहां तक भावनाओं का सम्बन्ध है वह बहुत अच्छे हैं अच्छा हो यदि ऐसा यूटोपिया बन जाय जिसमें दुनिया की जितना साइंसेज है, जितने आर्ट्स कल्चर्स हैं, जितने साहित्य हैं और जितने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं वह सब इंट्रोड्यूस कर दिये जायं मैं भी समझता हूं कि इससे ज्यादा खुशी की बात होने वाली नहीं है लेकिन देखना तो यह है कि असलियत बात क्या है, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आपके पास क्या ट्रेन्ड स्टाफ है।

जहां तक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध है उसके लिये हमारे यहां रुड़की में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और आपको पता है कि वह एक अन्तर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जिसमें एशिया और अफ्रीका के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ सकेंगे। लिहाजा बेहतर हो कि उस विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की जितनी ब्रांचेज हो सकती हों उनको वहां खोल सकें हर जगह उसकी रिपीटेशन न हो। आप कह सकते हैं कि एम० ए० और बी० ए० तो बहुत सी जगह हैं उसकी रिपीट क्यों करते हैं। मेरा जवाब यह है कि बी० ए० और एम० ए० को तो हम जनरल एजूकेशन में शामिल करते हैं, वह टेक्निकल एजूकेशन की चीज नहीं है और टेक्निकल एजूकेशन में और जनरल एजूकेशन में तो हमें कुछ न कुछ भेद करना ही पड़ेगा। अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कही गई और यूनिवर्सिटी को विस्तृत करने की बात कही गई। आइडिया बहुत अच्छा है मगर उसको आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप कर सकते हैं। राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में जो इतना बड़ा चैप्टर है उसमें कोई स्पेसिफिक शर्त उसकी नहीं दी गई है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस यूनिवर्सिटी का पैटर्न बहुत कुछ लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसा है। अगर आप समझते हैं कि दूसरा पैटर्न हो सकता है तो इस पांच साल के लिये छोड़ देना चाहिये। राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पहले बेसिक स्कूल्स खुलेंगे, हायर सेकन्डरी स्कूल्स खुलेंगे और उसके बाद पीपुल्स कालेजेज खुलेंगे तब उसके बाद कहीं यूनिवर्सिटी का नम्बर आयेगा। वरना सीधी-सीधी बात यह है कि उसी पैटर्न पर हम विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है। जहां तक कृषि कालेज का सम्बन्ध है, हमारे पास एक एग्रीकल्चर कालेज है और टेक्निकल कोर्सेज के लिये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनको हम डेवलप कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें उसमें दे दी गई हैं जिनके बारे में जहां तक मुझे मालूम है मैं नहीं जानता कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी इस देश में हो। जहां वह सब हों। कोई विदेश में शायद हो तो हो कि जिसमें वह तमाम सूची जो माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने दी है वह कहीं एक ही विश्वविद्यालय के अन्दर हो। मैं तो समझता कि नहीं है।

[श्री नवलकिशोर]

एक बात जो कोर्सेज को कही गयी है वह बड़े ऊंचे खयालात हैं मगर प्रैक्टिकल नहीं है । अच्छा यह हो कि जो बात हम कहें वह प्रैक्टिकल कहें, जो हमारे साधन हैं, जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार कहें तो ज्यादा अच्छा है ।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह—मान्यवर, मैं तो इस संशोधन के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं । पहले तो मैं माननीय गेंदासिंह जी की शंकाओं को दूर करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं और वह जहां तक नियोजन मंत्री को बराबर इस बात के लिये उलाहना देते हैं तो मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह से इंतजाम कर रखा है कि आशंका की कोई जरूरत नहीं है । हां, जब तक कि कोई ऐसी खुशखबरी न हो जिससे कि माननीय गेंदासिंह जी का संकेत उस तरफ हो। वर्ना यह तो बिल्कुल सही बात है कि नियोजन मंत्री महोदय प्रैक्टिस भी करते हैं और बिलीवर भी हैं उस थ्योरी में कि आबादी बढ़ती जा रही है, गोरखपुर डिवीजन में बहुत सी परेशानियां और उलझनें पैदा होती जा रही हैं। उसको देखते हुये उन्होंने तो ऐसा इन्तजाम कर रखा है जिसकी कोई शिकायत ही नहीं हो सकती है । हां, अगर कोई खुशखबरी ऐसी हो जो माननीय गेंदासिंह जी जानते हों और सदन को न बताना चाहते हों तो वैसी परिस्थिति में वह कर सकते हैं । वरना तो कोई ऐसी परिस्थिति है नहीं जिसकी ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करें ।

दूसरी बात मुझे माननीय नवल किशोर जी के सम्बन्ध में कहनी है । माननीय तेजप्रताप सिंह जी से यह शिकायत हो सकती है कि सब रिसर्चेज हैं केवल बायोलाजिकल रिसर्च नहीं है लेकिन यह मैं नहीं समझा कि आखिर माननीय नवल किशोर जी को आपत्ति किस बात पर है । विधेयक स्पष्ट कहता है कि "विद्या की ऐसी शाखाओं में शिक्षण का प्रबन्ध करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे तथा अनुसन्धान कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना" । उनका कहना यह है कि एक स्ट्रेस वह ले करते हैं । एक तरीके से वह आब्जेक्टिव है कि आप यूनिवर्सिटी में विशेष रूप से किन सब्जेक्टों पर ध्यान देंगे । इससे इस विधेयक में कोई विकृति पैदा नहीं होती जिससे भविष्य में कोई कठिनाई उत्पन्न हो सके । जैसे कांस्टीट्यूशन में आप देखें बहुत से आब्जेक्टिव्ज हुआ करते हैं। उसी तरह से वह चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का लक्ष्य यह होना चाहिये कि इन सब्जेक्ट्स में विशेषकर शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध किया जाय । माननीय नवल किशोर जी ने कांटेक्स्ट की बात कही । मैं समझता हूं कि कोई ऐसा कांटेक्स्ट नहीं है जिसके यह विपरीत पड़ता हो । केवल एक चीज पर वह विशेष ध्यान दिलाना चाहते थे। वह थी व्यावहारिकता कि यह कहां तक प्रैक्टिकल है कि यह सब चीजें एक साथ एक यूनिवर्सिटी में रह सकती हैं । मैं इसको स्वीकार करता हूं । लेकिन संशोधन का अभिप्राय यह नहीं है कि एक साथ या फौरन इसी वक्त आप सब सब्जेक्ट्स का प्रबन्ध कीजिये । वह तो केवल एक उद्देश्य है कि सदैव यूनिवर्सिटी के अधिकारी और सरकार इस ओर ध्यान रखें कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें विशेष रूप से शिक्षा देने का और कुछ ऐसे रिसर्चेज हैं जिनके लिये भी समुचित प्रबन्ध होना चाहिये । यदि मैं नवलकिशोर जी का ध्यान आकर्षित कर सकूं तो यदि उनको आपत्ति यह है कि इस विधेयक में इतनी लम्बी चीज हो जायगी और वे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सूक्ष्म रूप में इस खंड को चाहते हैं तो मैं समझ सकता था कि उनका तर्क क्या है। लेकिन जिस रूप में माननीय तेजप्रताप सिंह ने रखा है यह किसी रूप में बाधक नहीं है। इसका व्यावहारिक रूप दे सकें तो ठीक है वरना कम से कम यह लक्ष्य और उद्देश्य तो हमारा रहेगा ही कि जब कभी हमारे पास साधन हों, जब हमारे पास इतना धन हो, जब इतनी सुविधायें हमको प्राप्त हों तो इन विषयों में हम रिसर्च करेंगे और इन सब्जेक्ट्स में हम शिक्षा प्रदान करेंगे। मुझे कोई ऐसी बात मालूम नहीं हुई जिसकी वजह से मंत्री महोदय इसको अस्वीकार करें। हां, यह जरूर है कि नवलकिशोर जी की बात इस समय मान ली जाय तब तो उनको भी आपत्ति हो सकती है। वह यह समझते हैं कि एक दम से एक साथ सब सब्जेक्ट्स खोल दिये जांय तो मुझे स्वीकार है कि यह असम्भव है। लेकिन एक उद्देश्य है और उसको रखने में आपको क्या आपत्ति है?

*श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। जहां तक इसका उद्देश्य है मैं उसको पढकर सुनाना चाहूंगा कि "इस विश्वविद्यालय को ग्रामीण स्वरूप देना अभिप्रेत था जिससे कि वह उस क्षेत्र के आर्थिक साधनों तथा समस्याओं के अनुरूप बन सके। किन्तु प्रस्तुत विधेयक में इस विषय में विश्वविद्यालय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और उसे स्वेच्छानुसार अपने कार्यों को नियोजित करने की स्वतंत्रता दी गई है।" इसमें प्रतिबन्ध नहीं है बल्कि इच्छा पर है कि वह ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यह विश्वविद्यालय जो खुल रहा है उसकी तरफ संकेत है।

अधिष्ठाता महोदय, यदि यह संशोधन मान लिया जाता है तो इसका आशय पूरा हो जाता है और जो विधेयक की प्रस्तुत धारा है उसके खिलाफ भी नहीं पड़ता है। इसमें भी लर्निंग को बढ़ाने का जैसा वह उचित समझे अधिकार दिया जाता है। इस संशोधन के द्वारा एक संकेत होता है कि वह इस ओर अग्रसर हो। वैसे उनकी मनमानी पर है जैसा चाहें वह करें। इस संशोधन से यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे प्रदेश में और इस देश में शिक्षा के संबंध में कमेटियां बनीं और सबने एक मत से कहा है कि हमारे यहां की शिक्षा प्रणाली कोई अच्छी नहीं है और माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे कि इससे देश को विशेष लाभ नहीं हो रहा है। यह बात दूसरी है कि हम ग्रेजुएट्स और क्लर्कस बना कर तैयार कर दें लेकिन देश की खेती बाढ़ी को कैसे बढ़ा सकते हैं, गरीबी को दूर कैसे कर सकते हैं बढ़ती हुई जन-संख्या को कैसे रोक सकते हैं? इन सब चीजों की ओर यह कोई कदम नहीं उठाती है। इससे शिक्षा का अभिप्राय पूरा नहीं होता है।

माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने संशोधन के द्वारा इस तरफ ध्यान दिलाया है कि अपने यहां जो शिक्षा प्रणाली फैली हुई है उसमें नवीनता लाने की कोशिश की गई है। पता नहीं क्यों मंत्री जी को इस संशोधन के मानने में अड़चन तथा परेशानी हो रही है। सरकारी पक्ष के लोगों को आपत्ति है और खास तौर से नवल किशोर जी को और उन्होंने बड़ी अजीब दलील दी है कि आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। यदि ऐसा तो वह रुड़की में मौजूद हैं। अधिष्ठाता महोदय, यदि मैं उनकी दलील मान लूं तो इसके खोले जाने की आवश्यकता ही नहीं है क्यों कि यहां पर लखनऊ तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, एक एग्रीकल्चरल कालेज खुला हुआ है अगर सोचा जाय कि इससे प्रदेश का कार्य

*वक्ता ने भाषण का पुनवर्क्षीण नहीं किया।

[श्री रामसेवक यादव]

बन सकता है तो इसकी जरूरत नहीं है। पता नहीं उन्होंने कैसे ऐसी दलील दी। इसका तो कोई इलाज नहीं है कि अगर कोई विरोधीदल की ओर से बात आये तो उन्हें उसका विरोध करना है। बुद्धि संगत बात कही जाय तो उसको समझने की कोशिश की जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा उपयोगी संशोधन इस विधेयक के लिये और कोई नहीं हो सकता है। अधिष्ठाता महोदय, अगर यह मान लिया जाता है तो एक आपत्ति उठ सकती है कि इतना बड़ा काम कैसे हो सकेगा। अब प्रैक्टिकल है या इंप्रेक्टीक्ल है इसका फैसला कौन करेगा? आप खड़े होकर कह दें कि यह इंप्रेक्टिकल है, मैं कहता हूं कि यह प्रेक्टिकल है। अधिष्ठाता महोदय, इसमें तो एक सीधी सी बात है। हमें यह कार्य करना है। अब कैसे करना है यह निर्भर करता है हमारी क्षमता पर। हमारी जो क्षमता होगी, हमारे पास जो साधन होंगे, उनके अनुसार हम इस दिशा में बढ़ते जायंगे और अग्रसर होते जायंगे और इन चीजों की प्राप्ति के लिये हम प्रयत्न करते रहेंगे। तो इसमें प्रेक्टिकल होन या न होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

एक बात और कही गई इसे मान लेने से इस यूनिवर्सिटी को चलाने में और खास कर इस उद्देश्य को लेकर चलाने में एक विशेष दिक्कत पड़ेगी और वह यह है कि बेसिक स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, जूनियर हाई स्कूल्स और हाई स्कूल्स भी खोलने पड़ेंगे। मैं अधिष्ठाता महोदय, आपसे कहता हूं कि यदि हम इसको मान भी लें तो एक दिन में ही सब कुछ करने को तो यहां कहा नहीं जा रहा है। आपको बाधा क्या मिलती है कि इस तरह के स्कूल्स न खोले जायं और इसके अलावा टेक्निकल स्कूल्स तो आपको जगह जगह मिलते भी हैं। यदि आपके दिल में इस राज्य को इंडस्ट्रियल बनाने की बात है और आप इसकी बड़ी आबादी को रोजगार देना चाहते हैं तो अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसको मानने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जो आपकी बड़ी बड़ी योजनायें हैं, जो आपके दिमाग में बड़े बड़े प्लान हैं वह सब अगर आप इस संशोधन को नहीं मानते तो स्वप्न बनकर ही रह जायंगे और देश की तरक्की नहीं हो सकेगी। ऐसी दशा में हमें इस बात को स्वीकार करने की जरूरत है।

रहा दूसरे विषय के बारे में। तो मैं उसमें कहना चाहता हूं कि इसका मतलब यह नहीं होता कि आप दूसरे विषयों की शिक्षा न दें। सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कराया जाता इस बात की तरफ और आपके जो विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं उनको इस ओर खींचते हैं, उनके हाथ को बांध देते हैं, नहीं तो वह पूरे स्वे छाचारी हो जायंगें और जिस तरह से चाहेंगे यूनिवर्सिटी को चलायेंगे। इस गड़बड़ी को रोकने का हमारा जो अभिप्राय है, इस न मानने से वह पूरा नहीं हो सकेगा। जिस तरह से अभी तक यूनिवर्सिटी से क्लर्क ग्रेजुएट निकलते रहे हैं और हमारे देश के लिए एक समस्या बनते रहे हैं वैसा ही इसमें भ होगा और उस समस्या में कुछ इजाफा ही होगा। तो इसलिये मैं आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं और खास कर मंत्री जी, उपमंत्री जी तथा अपने मित्र से कि वह इस संशोधन को मान लें। इसमें कोई वैसी बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—मेरा निवेदन यह है कि जो माननीय सदस्य बोलें वह इस बात का ख्याल रखें कि पहले कही हुई बात दोहराई न जाय।

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने ठीक कहा किन्तु जिन लोगों ने पिछले भाषण न सुने हों, उनसे तो यह हो सकता है कि वही शब्द दोबारा आ जायं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूर्वी जिलों की आवश्यकताओं को देखते हुए यह सरकार ने महसूस किया कि वहां गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना

की जाय और वह विश्वविद्यालय ऐसा हो कि जो पहले से चल रहे हैं उनसे कुछ भिन्न हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले विश्वविद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ कर निकलते थे वह यह समझते थे कि हमारी पढ़ाई केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए ही है। हमारे जो पूर्वी जिले हैं उनमें पहले काफी बेकारी और बेरोजगारी थी और है। वह इलाका हर तरह से दबा हुआ है। यह विश्वविद्यालय इसलिए खोला जा रहा है कि वहां के लोग विद्याध्ययन करके, शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करके वहां की फैली हुई बेकारी और बेरोजगारी को दूर करें। तो इस मंशा से अगर यह विश्वविद्यालय खोला गया है तब यह और दूसरी युनिवर्सिटीज़ से भिन्न होगा और इसका मंशा भी पूरा हो सकेगा। माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रक्खा है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, वह ग्रामीण जीवन की जितनी भी जरूरी चीज हैं वह उसमें, सब आ जाती हैं। अगर उनकी वहां शिक्षा दी जाय तो वहां शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति वहां से निकलेंगे वह स्वावलम्बी होंगे और हमारे देश और प्रदेश के उत्थान में बहुत बड़ा सहयोग पहुंचायेंगे। इस लिए उन्होंने जो संशोधन रक्खा है, उसकी मंशा को समझते हुए मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी उसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री झारखंडे राय--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय तेजप्रताप सिंह जी द्वारा प्रस्तुत तरमीम की ताईद करता हूं। इस यूनिवर्सिटी की सार्थकता इसी बात में है कि इस तरमीम को सरकार और शिक्षा मन्त्री कृपा कर स्वीकार कर लें, अन्यथा यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ाते जाने से हमारे प्रदेश और देश की किसी भी मूलभूत समस्या का हल नहीं हो सकता। यों तो माननीय शिक्षा मन्त्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली से शिक्षित बेकारों की संख्या बढ़ रही है। और हमारे समाज के कर्णधारों में बेकारों की समस्या को हल करने की इच्छा है। इस लिए इन बेकारों की भीड़ को एक वैसी ही पुरानी परम्परा के आधार पर यूनिवर्सिटी कायम करके बढ़ा कर किसी भी प्रकार से हम उपयोगी कार्य नहीं कर सकते हैं। हम सब को आशा थी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी जब स्थापित की जायगी, तो उसमें ऐसी नयी चीजें होंगी, जो हमारे सारे समाज की पुनर्स्थापना में सहायक होंगी। लेकिन हम युनिवर्सिटी की स्थापना बिलकुल पुराने ही ढंग से की जा रही है। इसमें कोई नया कदम या स्कीम नहीं दिखायी पड़ती है जो हमारे लिए सहायक हो। इसलिए इस तरमीम को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां तक इसकी व्यावहारिकता की बात है आप पहले उसमें उन्हीं विषयों को लें, जिनकी हमारे प्रदेश की प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए मैं सोचता हूं कि हमारे शिक्षा मन्त्री जी इस संशोधन के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। जहां तक इसकी व्यावहारिकता का प्रश्न है, कि माननीय नवलकिशोर जी ने कहा, कि यह व्यावहारिक नहीं है, मैं समझता हूं कि इसमें अव्यावहारिकता का कोई आधार मालूम नहीं देता, क्योंकि जब इस बिल के उद्देश्य में इस बात को स्वीकार किया गया है कि इस युनिवर्सिटी को ग्रामीण वातावरण देने की चेष्टा करेंगे तो ग्रामीण वातावरण का शुभारम्भ कहीं न कहीं से तो होगा ही। उस दिशा में यह तरमीम प्रयास मात्र है। इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मन्त्री जी से अपील करूंगा कि वे इस तरमीम को स्वीकार कर लें। उसे व्यावहारिकता देने के लिए जितने विषय सम्भव हों, उनको ले लिया जाय और बाकी जैसे-जैसे युनिवर्सिटी का विस्तार होता जाय, वैसे-वैसे अन्य विषयों को भी ले लिया जाय।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, जो संशोधन भवन के सम्मुख प्रस्तुत है उसका एक पहलू है। एक पहलू तो उसका व्यक्तिगत है। दूसरा पहलू उसका यह है कि आया वह इस विधेयक का अंग बन सकता है या नहीं। तीसरा पहलू यह होता है कि स्कीम एक विश्व-विद्यालय की परिधि में रखी जा सकती है या नहीं। मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय ने और सभी उन माननीय सदस्यों ने जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, वह केवल एक पहलू से ही प्रभावित हुए हैं और वह है इन विषयों की उपयोगिता। इस में कोई दो राय नहीं हो सकतीं, जितने विषय इसमें दिये गये हैं और शायद और भी बहुत से विषय होंगे, जो इस सूची में न होंगे, उनकी उपयोगिता उन विषयों में अपने स्नातकों को शिक्षा देने और उनको तैयार करने, यह

[श्री हरगोविन्द सिंह]

कोई नहीं कहेगा कि देश के लिए वह उपयोगी वस्तुएं न होंगी। यह कहना कि प्रत्येक स्नातक जो इन विषयों की शिक्षा प्राप्त करेगा, वह स्वावलम्बी होगा, तो वह स्वावलम्बन भी आप एक ही दृष्टि से कह सकते हैं और वह इसलिए कि चूंकि इन विषयों में अभी स्नातक कम हैं, एक ऐसे देश में या राष्ट्र में जो अभी निर्माण के कार्य में लगा हो और ऐसे स्नातकों की संख्या जहां न के बराबर है, तो अभी उनको यहां नौकरियां मिल जायंगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि वह स्ववालम्बी होंगे, लेकिन इन में कोई भी एक विषय ऐसा नहीं है जिस को पढ़कर स्नातक वहां से निकल कर नौकरी के अलावा अपना जीवनोपार्जन कर सकें, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा इस में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, कि इन विषयों की अपनी एक उपयोगिता है और आवश्यकता है उस के प्रति हमारा प्रयत्न होना चाहिए उस दशा में, उसके एक पहलू पर तो मैं पूर्णतः सहमत हूं। दूसरा पहलू यह होगा कि क्या वह विषय इस विधेयक के अंग बनाये जा सकते हैं, इस विधान सभा द्वारा ?

आप सब को यह जानकार खुशी होगी कि माननीय तेज प्रताप सिंह जी ही युनिवर्सिटी की स्वतन्त्रता के शायद सब से बड़े हामी इस सदन में हैं, जो घंटों इस बात के लिए, मैं यह कह दूं कि लखनऊ, आगरा या इलाहाबाद के विश्वविद्यालय विधेयकों में कोई उन की स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं हुआ लेकिन फिर भी मेरे इस कथन पर विश्वास न कर के वह सरकार की निन्दा यही करते हैं कि वहां स्वतन्त्रता का अपहरण हो रहा है। तो यहां जो उनका प्रस्ताव है उसको अगर हम स्वीकार कर लें, और युनिवर्सिटी से यह कहें कि नहीं और एक माननीय सदस्य ने कहा था कि युनिवर्सिटी को इस बात की स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिए और उनको बांधना चाहिए कि यह करें, तो मैं समझता हूं कि जिस को वह युनिवर्सिटी की स्वतन्त्रता कहते हैं, उस पर प्रथम कुठाराघात यहीं से आरम्भ होगा। इस बात की स्वतन्त्रता तो उन विशेषज्ञ की है, जो युनिवर्सिटी में हैं और जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिये दिया है। यह तो कहा जाता है कि उन को हमें बाध्य नहीं करना चाहिए कि आप इन्हीं विषयों की शिक्षा दीजिये। यदि हम उनको बाध्य कर सकते हैं तो यह हो सकता कि आप जिस को उपयोगी समझते हैं, उस विषय को मैं उपयोगी न समझूं मैं उपयोगी समझूं, और आप न समझें, इस कारण कि मैं इस तरफ बैठा हूं, कि आप इच्छानुसार यूनिवर्सिटीज को बाध्य करदें कि वे किन्हीं खास विषयों की शिक्षा दें। मैं यह जानता हूं कि श्री झारखंडे राय जी के लिए यह बात कोई बड़ा महत्व नहीं रखती होगी, क्योंकि वे जिस विचार के व्यक्ति हैं, उनकी जो राजनीति है उसमें शिक्षा, या जीवन का कोई पहलू हो, रहन सहन हो, इस सब का पूरा अधिकार सरकार को होना ही चाहिए। तो इस लिए वे इसकी गम्भीरता को शायद उस दृष्टि से न देख सकें जिस दृष्टि से हम या और सदस्य, जो उस तरफ बैठे हैं, जो उनके विचारों से सहमत नहीं हैं, वे देखें। लेकिन मुझे जो इसमें आपत्ति है वह केवल यह है कि हम यूनिवर्सिटियों को, अपनी इच्छा होते हुए, इन विषयों की उपयोगिता को जानते हुए, हम बाध्य नहीं कर सकते कि वे इन्हीं चीजों की शिक्षा दें। यह उनके उनके निर्णय की बात है। जब हम किसी युनिवर्सिटी का विधेयक बनाते हैं तो हमें और आप को यह भूलना नहीं चाहिए कि हम केवल इसी बात के अधिकारी हैं कि उस यूनिवर्सिटी का किस प्रकार से प्रबन्ध हो उसका खाका खींच दें। हम केवल यही कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी किस प्रकार से संचालित हो, किस प्रकार से उसका प्रबन्ध हो, क्या उसकी संस्थायें हों, किसके क्या अधिकार हों, इतना ही हम कर सकते हैं। हम यह नहीं कर सकते कि हम यहां बैठकर यह बनावें कि युनिवर्सिटी का क्या सिलेबस हो, युनिवर्सिटी का क्या करीक्यूलम हो। यह आप नहीं कर सकते कि आप यहां बैठकर यूनिवर्सिटी का टाइम टेबिल बनावें या आप वहां के शिक्षकों की नियुक्ति करें।

तो मैं समझता हूं कि यह जानते हुए भी कि इन विषयों की उपयोगिता अधिक से अधिक है और चाहे आपको यह काम रुचिकर मालूम हो या अरुचिकर मालूम हो परन्तु यदि आप यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता के पक्षपाती

हैं, अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटियों को स्वतंत्र वातावरण में रहकर अपना विकास करने का अवसर मिले, तो आपको मानना पड़ेगा कि आप इस प्रकार के प्रतिबन्ध युनिवर्सिटी पर नहीं लगा सकते।

तीसरी बात जो मैं आप के समक्ष रखना चाहता हूं वह यह है कि विधेयक के किसी अंश में किसी भाग में आपको कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिससे आप यह कह सकें कि युनिवर्सिटी को किसी भी दशा में शिक्षा देने से कोई बाधा पड़ती है, विधेयक की किसी धारा में ऐसा नहीं है। वे यह सब शिक्षा और इसके अतिरिक्त और शिक्षा भी दे सकती हैं। लेकिन मैं तो नहीं जानता और मैं समझता हूं कि सदन के बहुत माननीय सदस्य हमारी तरह से अनभिज्ञ होंगे, हां तेजप्रताप सिंह जी जानते होंगे, लेकिन मैं तो अभी यह समझता हूं कि यदि एक विषय में यह चीजें रखी जायं, तो वह बिलकुल नामुमकिन होगा। जैसा मैंने कहा कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कोई एक युनिवर्सिटी का नाम भी जानना चाहूंगा जहां इतने सब विषय पढ़ाये जाते हों। यह अनेक अनेक विषय अनेक अनेक चीजों से सम्बन्ध रखते हैं जैसे स्वायल कन्जर्वेशन ले लीजिये, एग्रीकलचर रिसर्च ले लीजिये, पेस्ट ले लीजिये, यह सब ले लीजिये, यह विषय आप को एक युनिवर्सिटी को देना होगा। हां, जितनी युनिवर्सिटीज हैं उन सब को एक में कर दिया जाय, एक कम्प्रिहेंसिव ऐक्ट बना दिया जाय, उसमें एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी भी होगी, इंजीनियरिंग युनिवर्सिटी भी होगी, मेडिकल युनिवर्सिटी भी होगी, और इस प्रकार की जितनी युनिवर्सिटीज हैं, वे होंगी, यह हो सकता है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह सम्भव नहीं इन सब विषयों शिक्षा कहीं न कहीं अवश्य हमारे देश में भी होती है, लेकिन वह दो डिपार्टमेंट्स से संबंध है, दो फैकल्टीज में कन्सर्न्ड है, दो युनिवर्सिटीज से कन्सर्न्ड है। अभी मैंने अपने स्वास्थ्य मन्त्री जी से पूछा कि मेडिकल सर्विसेज तो समझ में आता है, लेकिन यह मेडिकल रूरल सर्विसेज क्या बात है। यह तो है नहीं कि शहर का रहने वाला मनुष्य एक दूसरे प्रकार का जानवर है और देहात में रहने वाला मनुष्य दूसरे किस्म का जानवर है। एक अर्बन मेडिकल सर्विस होगी तो एक रूरल मेडिकल सर्विस होगी तो इसके मानी क्या हुए? कुछ तो ऐसी चीज है जैसे मेडिकल सर्विस जैसी रूरल होगी, वैसी अर्बन होगी, हां आप रूरल एरियाज में अधिक सामग्री एकत्रित करें, उसके वितरण का समुचित प्रबन्ध करें, इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका आइंडिया कम से कम मुझ को तो क्लियर नहीं है और लोगों का क्लियर हो, तो मैं नहीं जानता। तो आप एग्रीकल्चर से जितनी चीजें सम्बन्धित हैं आप उसमें कहिये ये सब फैकल्टीज होना चाहिए, ये चीजें बढ़ायी जानी चाहिएं। जितनी चीजें इंजीनियरिंग से सम्बन्धित हैं, जितनी चीजें टेक्निकल से सम्बन्धित हैं, आप उसमें कहियें कि वे युनिवर्सिटी व कालेजेज में पढ़ायी जायं।

आज हमारे यहां ब्यूरो आफ साइकालोजी है उसमें यह देखा जाता है कि इस लड़के में किस बात की मनोवृत्ति है। इसकी प्रवृत्ति मेडिकल की तरफ जाने की है या इंजीनियरिंग की तरफ जाने की है। इलाहाबाद में उसका एक हेड आफिस है। ब्योरो आफ साइकालोजी अब और ५ जिलों में खोला गया है और हम स्कूलों के टीचर्स को लेकर वहां शिक्षा दे रहे हैं ताकि वह शिक्षा टीचर्स अपने स्कूलों में दें और वहां वे बच्चों की प्रवृत्ति का अध्ययन कर सकें कि किसकी प्रवृत्ति किस तरफ है, लेकिन वह ऐसे स्टेज की बात है जब लड़का कहीं जाता नहीं है। हाई स्कूल या इन्टरमीडियेट के बाद उसको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, मेडिकल में जाना चाहिए, फिलास्फी में जाना चाहिए ये ऐसी चीजें हैं जो नीचे के स्टेज पर आप निर्धारित करें। उसमें एक रिसर्च हो। इलाहाबाद में उसकी रिसर्च होती है। पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में यहां अब साइकालोजी में शिक्षा दी जा रही है और लोग उसमें डाक्टरेट ले रहे हैं, उसमें रिसर्च कर रहे हैं। यह भले ही तेज प्रताप सिंह जी ने एक आविष्कार किया हो और गेंदा सिंह जी बहुत खुश हो कर उसके लिए बधाई देते हों लेकिन जैसा मैंने कहा एजुकेशन की एक गीता बन गयी है, और उस गीता में यह शब्द कोई नहीं समझता कि किस प्रकार से उसे कार्यान्वित किया जाय। मैंने अपने से इसको पेश करने में इसी वजह से देर हुई कि किस तरह से क्या किया जाय।

अब आखिर में मैं इसी नतीजे पर आया, बहुत से इस नतीजे पर आये—गवर्नमेंट आफ

[श्री हरगोविन्द सिंह]

इन्डिया ने कमेटी बैठायी, उसने कह दिया कोई युनिवर्सिटी रूरल नहीं हो सकती—रूरल इन्स्टीट्यूशन्स हो सकती हैं। तो इसके लिए इसकी उपयोगिता होते हुए भी, इसकी आवश्यकता होते हुए भी, और इन दिशाओं में विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य होते हुए भी मैं समझता हूं कि युनिवर्सिटीज के करीक्यूलम में और युनिवर्सिटी के विधेयक में इसको स्थान देना उनके हाथों को बांधना है जो उसूलन भी गलत है और फिर यह जिसके हाथ में युनिवर्सिटी जायगी, जो इसका संचालन करेगा, वह अपनी सज्जा और सामग्री का उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वह कह सकते हैं कि हम खाली टेक्निकल रक्खेंगे, खाली इंजीनियरिंग रक्खेंगे। वह रख सकते हैं लेकिन इतना बड़ा प्रयोग जो दुनिया में कहीं हुआ नहीं है, जिस आधार पर आज दुनिया में कहीं एक भी युनिवर्सिटी नहीं बनी हुई है जिसमें ये सब विषय एक युनिवर्सिटी के अन्तर्गत पढ़ाये जाते हों, वहां मैं आपसे विनय करूंगा कि गोरखपुर युनिवर्सिटी पर इसको सब न लाद दिया जाय वर्ना हम और आप दोनों और युनिवर्सिटी तीनों लोगों के लिए खासी हास्यास्पद वस्तु होंगे।

श्री तेजप्रताप सिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने पहले एक उपाधि मुझको दी कि यह सबसे बड़े आटोनामी के हामी हैं। पता नहीं उन्होंने उपाधि, इतनी जबरदस्त उपाधि कैसे दी? मैं उसके योग्य तो नहीं था। लेकिन हामी जरूर हूं। यह बात सत्य है और उन्होंने आटोनामी का कुछ ऐसा अर्थ लगाया कि मेरी समझ में नहीं आया। वह कहते हैं कि आटोनामी के अर्थ यह भी हैं कि टाइमटेबिल यूनिवर्सिटी में किस तरह से बनाया जाय इसको भी गवर्नमेंट फिक्स करे। ऐसी छोटी मोटी चीजों को भी फिक्स करे, और हर चीज में दखल दे, इसको कहते हैं कि आटोनामी का अपहरण हो रहा है। मैं अपहरण अब भी कहता हूं और अपहरण जरूर कर रहे हैं। उसके सबूत हैं। आपने इस पर गौर नहीं किया कि चांसलर आप किसको बना रहे हैं, जहां देखिये गवर्नर को .....

श्री अधिष्ठाता—संशोधन पर ही बोलिये।

श्री तेजप्रताप सिंह—संशोधन पर ही है। आपने बतलाया कि आटोनामी किसे कहते हैं। उसका उत्तर दे रहा हूं। गवर्नर चांसलर हर जगह होगा और वाइस चांसलर नियुक्त कैसे होगा? वह भी गवर्नर के द्वारा होगा। जो गवर्नर चांसलर होगा उसके द्वारा होगा और हर जगह इस तरह आप दखल दे सकेंगे। वायस चांसलर को इतनी ज्यादा पावर्स दे रखी है की इंडिपेन्डेन्ट व्यू के टीचर्स वहां रह नहीं सकते हैं। उसका नतीजा भी देखने को मिला है। अभी हाल में अधिष्ठाता महोदय, अच्छे टीचर्स जो अपने व्यूज में कन्विक्शन रखते हैं वह वहां ठहर नहीं सके, वह वहां ठहर नहीं पाते। भला क्या तरक्की हो सकती है हमारी यूनिवर्सिटी की? कैसे अच्छे विद्यार्थी निकल सकते हैं वहां से? मैंने इस पर जोर दिया था कि मैं इस तरह की आटोनामी चाहता हूं। आप इस तरह की आटोनामी में दखल न दें। पैसा देने के मानी यह नहीं हैं कि आप आटोनामी में दखल दें। ये जो विषय मैंने रखे हैं एक तो उनसे कोई दखल नहीं होता है और इसका मकसद केवल यह है कि वह एक संकेत करता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज को क्या क्या करना चाहिये किस ओर उनका ध्यान होना चाहिये और जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि यह यदि मान लिया जाता है तो यह विषय एक टार्च के माफिक होंगे, एक मशाल होंगे जो कि इस विश्वविद्यालय को प्रेरित करते रहेंगे। हमारी समस्यायें ग्रामीण समस्यायें हैं। हमें उनका हल निकालना चाहिये और उनमें हमें शिक्षार्थियों को पारंगत करना चाहिये। तो एक टार्च का काम करेंगे ये विषय। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सुगमता की दृष्टि से यह काम नहीं हो सकता है न यह विषय वहां पढ़ाये जा सकते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि लकीर के फकीर अगर हम बने रहे तो हमारा देश जहां आज है वहीं बना रहा जायगा और आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें कोई न कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप जरूर लेना पड़ेगा। कोई न कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा शिक्षा सम्बन्धी नीति में और उनके अध्यापन के विषय में तभी हम

तरक्की कर सकेंगे। आप केवल लकीर के फकीर बने रहना चाहते हैं। दो चार युनिवर्सिटीज हैं और इसी तरह की दो चार युनिवर्सिटीज और खोलना चाहते हैं। बेकारी की समस्या बढ़ती जाय उससे आप को मतलब नहीं है। आपने उसके सम्बन्ध में यह भी कहा कि इन विषयों को पढ़कर कोई नौकरी नहीं पायेगा। अगर ये विषय रख दिये हमने विश्वविद्यालय में तो वहां से निकला शिक्षार्थी कोई नौकरी नहीं पायेगा। माननीय मंत्री जी ऐसा समझते हैं कि जो विश्वविद्यालय हैं वह केवल नौकरी दिलाने के लिये हैं। अगर वहां से निकलने पर नौकरी पा जाय तभी सार्थक है वहां की शिक्षा अन्यथा नहीं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि पंडित नेहरू ने आखिर क्या कहा? उन्होंने यह भी कहा कि हमें ग्रेजुएट्स नहीं चाहिये हम ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं दे सकते हैं। हमें ओवरसियर्स चाहिये, इंजीनियर्स चाहिये। तो यह सब तमाम विषय इंजीनियरिंग के ही तो हैं। अगर हम इन चीजों को रखते हैं और किसी तरह से इन समस्याओं को हल कर लें, जोकि रूरल हैं, तो उससे कितना बड़ा हमारा हित हो सकता है। तो वह बात भी नहीं मानते हैं। बराबर बेकारों की फौज बढ़ाते रहना चाहते हैं और ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जिससे बेकारी बढ़ती रहे। तो हमारा तो यह नम्र सुझाव था कि यदि वहां के कोर्स में इन बातों का विशेषकर ध्यान रखा जाय तो बहुत हित हो सकता है और भली प्रकार से हमारा काम चल सकता है।

माननीय नवलकिशोर जी कह रहे थे कि यह अव्यावहारिक है। ठीक है। अव्यावहारिक हो सकता है लेकिन हमें कुछ काम अव्यावहारिक ही तो लेने पड़ेंगे। हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि जो विषय व्यवहार में नहीं आते रहे हैं उन पर हम व्यवहार करना सीखें नहीं तो हम जहां के तहां ही रह जायेंगे। कोई भी देश जब तक उसने विशेष तथा क्रांतकारी कदम नहीं उठाये हैं। तब तक आगे बढ़ नहीं सका है। यह बराबर सब कहते हैं कि बेसिक एजूकेशन पर हमें ध्यान देना चाहिये और आप भी थोड़ा बहुत मानते हैं इसको, बेसिक स्कूल आपके हैं सेकेंडरी स्कूलों में भी आपने रीओरियेटेशन की स्कीम लागू की, वह किस दृष्टि से की थी? उसमें यही दृष्टि तो थी कि हम बेसिक एजूकेशन को सेकेंडरी स्टेज तक ले जायं। अब इस तरीके से कालेजेज में अगर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं तो युनिवर्सिटीज में उसकी शिक्षा क्यों न हो? इसलिये मैं समझता हूं कि यह व्यावहारिक हर प्रकार से है। अब सिर्फ यह हो सकता है कि इसमें जितने भी विषय दिये हुए हैं जिन पर कि ध्यान देना युनिवर्सिटी के लिये आवश्यक होगा, वह सारे के सारे विषय न लिये जायं। थोड़े बहुत पर वह कंसेंट्रेट करे और उन पर विशेषज्ञ बने। तो इस तरीके से यह व्यावहारिक है और अगर अव्यावहारिक ही है तो हमें एक कदम उठाना चाहिये, जी तोड़ कोशिश करनी चाहिये क्योंकि इसी से हमारा हित हो सकता है। माननीय नवलकिशोर जी से कहते हैं कि आप यूटोपिया में रहते हैं। काल्पनिक जगत में रहते हैं। तो जब तक काल्पनिक जगत में रह करके हम कोई आदर्श स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम आखिर क्या निर्माण कर सकते हैं? भाखरा नंगल बांध और जो तमाम बांध वगैरह बने यह क्या इसी रूप में थे। यह सारे के सारे जो काम हुये उनको हम अव्यावहारिक ही कहा करते थे, तो बहुत सी अव्यावहारिक चीजें जिनको हम समझते हैं वह व्यावहारिक हो जाती हैं...।

श्री अधिष्ठाता—जरूरी नहीं है कि सभी बातों का जवाब दिया जाय।

श्री तेज प्रताप सिंह—तो मैं समझता हूं कि यह संशोधन अगर मान लिया जाता है तो किसी भी प्रकार बेढंगा नहीं है। इनमें से दो एक विषयों को लेकर के यूनिवर्सिटी उनमें कंसेंट्रेट करे, कर सकती है, अपनी शक्ति के अनुसार उन पर कंसेंट्रेट कर उनकी शिक्षा दे सकती है और यदि नहीं दे सकती है तो यह बना रहेगा। शिक्षा की जो और शाखायें हैं उनमें अपना काम वह चालू रखे और काम चलता रहे। आगे जब कभी भी उनको सुभीता होगा तो वह उसको टेक-अप कर सकेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि इससे कोई दिक्कत नहीं पैदा होती है और माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको स्वीकार करने की जरूर कृपा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि —खंड ७ के उपखंड (१) को निम्न रूप में रख दिया जाय—

'(१)' विद्या ((learning)) की ऐसी शाखाओं विशेषकर water control engineering, soil improvement engineering, temperature control engineering, food processing technology, "Chemurge enginering", rural industrial counselling, rural administration, rural social welfare, rural land and village planning, social engineering, rural sociology, rural arts, rural medical service में शिक्षण का प्रबंध करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे तथा अनुसंधान कार्यों विशेषतया Research in population, rural economic research, rural industrial research, research in housing and building materials, agricultural research, ethical research, psychological research, sociological, anthropological and cultural research, research in rural public administration की विशेष रूप से व्यवस्था करना और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना ;

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "विद्या" से शब्द "शाखाओं" तक निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं —

"विद्या और विशेषकर विद्या की कृषि सम्बन्धी शाखाओं ।"

मान्यवर, यह माननीय मंत्री महोदय, के भाषण को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मंत्री महोदय कुछ ऐसा चाहते हैं कि आदमी जो कुछ कहे वह निश्चयात्मक बुद्धि से कहना चाहिये और उसमें कोई कनफिलिक्ट नहीं होना चाहिये, विभेद न होना चाहिये कि कौन सा सब्जेक्ट रहे। वह यह कहते थे माननीय तेजप्रताप जी के संशोधन के सम्बन्ध में कि एक सबजेक्ट की उपयोगिता के बारे में यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति उसको बहुत ही आवश्यक समझे, दूसरा उतना न समझे, लेकिन कृषि-प्रधान प्रदेश और देश होने के नाते जो मेरा यह संशोधन है इसके सम्बन्ध में दो रायें नहीं हो सकतीं और मैं आशा करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि मंत्री महोदय तथा उपमंत्री महोदय दोनों उससे सहमत होंगे। अतः यह देखते हुये और इकोनामी के झगड़े में जाकर उसमें समय को न खराब करके सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि एग्रिकल्चर एक ऐसा सबजेक्ट है जिसके लिये जो कुछ भी किया जाय वह कम है ।एग्रिकल्चर एक स्टेज में आपने बहुत छोटे दर्जों में भी शुरू कर दिया है, जूनियर हाई स्कूल सेकेंडरी हाई स्कूल, हर जगह आपने यह रास्ता रखा है कि एक छात्र कृषि के सम्बन्ध में अधिक से अधिक ज्ञान उपलब्ध कर सके, और जब यह परिस्थिति एक ओर है तो दूसरी ओर क्यों चन्द ऐग्रिकल्चरल कालेजेज से उस मांग की पूर्ति नहीं कर सकते ? आप इस प्रदेश में निस्संदेह यदि यही रफ्तार कायम रही और एग्रीकल्चर जिसको मंत्री महोदय गौरवपूर्ण शब्दों में इस सदन में कह चुके हैं कि हमने हर जगह यह चाहा है कि बालकों को कृषि सम्बन्धी शिक्षा दी जाय तो यह मैं नहीं समझता कि वह कौन सा डिग्री कालिज होगा इस प्रदेश में जिसे खोल कर वह सब बालकों के लिये जिनकी कि वृत्ति एग्रीकल्चर की तरफ हुयी उनके लिये शिक्षा का प्रबंध कर सकें। ऐसी परिस्थिति में एग्रीकल्चर सब सबजेक्टों के समान न समझा जाय। हर प्रदेश और हर मुल्क की एक कंडीशन होती है, एक आर्थिक स्थिति होती है, उसकी एक परिस्थिति होती है जिसमें यह सोचना पड़ता है कि सब से अधिक महत्वपूर्ण सबजेक्ट उस देश के लिए क्या हो सकता है। आज जब कि ८६ फीसदी प्रदेशके निवासी कृषि निर्भर हों तो उस प्रदेश में कृषि को उसी फुटिंग पर लेना जिस पर दूसरे सबजेक्ट हैं एक महज भूल होगी। दूसरी टेक्नीकल इंटेरेस्ट

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की चीजें हो सकती हैं, उसमें विशेष रूप से किसी सबजेक्ट में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन कृषि की जो हमारी आर्थिक और सामाजिक नीति है, जिस दृष्टिकोण से भी आप देखें उसकी उन्नति और उद्धार के लिये भारत में यह आवश्यक है कि कृषि एक अलग सबजेक्ट समझा जाय। यदि इस उद्देश्य को यह यूनिवर्सिटी पूरा कर दे तो किसी को किसी तरह की शिकायत नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि उसको वह स्वीकार करेंगे।

डाक्टर सीताराम—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने जिस संशोधन को अभी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उस सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि सेक्शन ७ के सबसेक्शन (१) को अगर माननीय सदस्य पढ़ें तो उसमें साफ दिया गया है कि—

(१) विद्या (learning) को ऐसी शाखाओं में शिक्षण का प्रबन्ध करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे तथा अनुसंधान कार्य और ज्ञान की अभिवृष्टि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना।

अनुसंधान कार्यों से मतलब है कि उसमें कृषि की शिक्षा भी आ जाती है। माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रखा था यह संशोधन बिलकुल उसी प्रकार का है क्योंकि कृषि के वही विषय आ जाते हैं जो माननीय तेजप्रताप सिंह ने रखे थे। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और इसलिये भी कि इस संशोधन के रहने से जो युनिवर्सिटी को इतनी स्वतंत्रता दी गयी है उसमें इससे एक तरह की संकीर्णता की भावना प्रेरित होगी। इसलिये इस संशोधन का विरोध करता हूं और माननीय सदस्य से आशा करता हूं कि वे इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय अधिष्ठाता जी, मैं संकीर्णता के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता था लेकिन माननीय उपमंत्री जी मुझे विवश कर रहे हैं कि उस सम्बन्ध में कुछ कहूं आज अटोनामी की बात कही जाती है। अटोनामी के लिये तो मैं यह कहूं कि उपमंत्री जी उस सरकार के सदस्य हैं जिसमें हर किसी की सम्पत्ति का अपहरण किया जा सकता है और संविधान रहते हुये और उसमें सुरक्षित रखने का कानून रहते हुये आपकी नजरों से वह सम्पत्ति सुरक्षित नहीं रह पाती है और आपकी शनिश्चर की दृष्टि यदि उस तरफ हो जाये तो भाव चाहे जो हो उसका सुरक्षित रहना और पनपना असम्भव है। बारम्बार यह कहा जाता है कि यह युनिवर्सिटी की अटोनामी पर कुठाराघात है। यदि उपमंत्री जी को स्वीकार हो कि अटोनामी के पक्ष में वे हर एक बात करेंगे और अटोनोमी का प्रश्न आते ही उसके खिलाफ हर कानून को रद्द कर देंगे तो मैं अभी इस संशोधन को वापस ले लूंगा और उन्हें यह अश्वासन दे सकता हूं कि कोई संशोधन कभी नहीं रखूंगा जिससे अटोनामी पर प्रहार हो। यह सुविधा के लिये उचित नहीं है कि जहां सुविधा हो वहां पर अटोनामी का नारा बांधे और जहां पर सूट न करे वहां पर व्यावहारिकता का, अनुशासनभंगता का और अनेकानेक अन्य कारण रखकर दुनिया को दिखावें कि यह परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें सरकार के हाथ में कोई ऐसे अधिकार होने चाहिये जो कि किसी यूनिवर्सिटी के लिये कोई कभी सोच भी न सके। इस अटोनामी की संकीर्णता का पैमाना क्या है? मैं तो कहता हूं कि यदि एग्रीकल्चर का वह प्रबन्ध करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा यह कहना नहीं है कि जब तक कृषि शब्द न लिख दिया जाय उसमें एग्रीकल्चर के लिये रिसर्च नहीं कर सकते हैं या उसको पढ़ा नहीं सकते हैं। मैं अपने भाषण में पहले निवेदन कर चुका हूं कि यह ऐसी परिस्थिति है जिसपर गौर करना चाहिये। माननीय उपमंत्री जी शहराती नहीं हैं वे देहात के निवासी हैं, देहात की समस्याओं से पूर्णतया परिचित हैं वह उन गलियों के रहने वाले नहीं हैं जिनको देहात से नफरत हो या जो यहां चमचमाती हुयी बिजली में रहने वाले हैं वह वैसे तो नहीं हैं। वह देहात की परिस्थिति को समझ सकते हैं। वह जानते हैं कि एग्रीकल्चर कलासेज की कितनी जरूरत है। एक तरफ आप सेकेंडरी स्कूल्स की स्थापना करने के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

जो देहात की जमीनें हैं उनको खुदवाकर एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दिला रहे हैं और यह मान लिया जाय कि देहातों के बालकों की प्रवृत्ति उसी तरफ होती है और दूसरी तरफ कानपुर या अन्य स्थानों में जो रिक्त स्थान रहेगा जिसमें आप उनको इस बात की शिक्षा दे सकेंगे उसको करने में हिचक है। मैंने यह माना कि जो माननीय तेजप्रताप सिंह जी का संशोधन था वह ऐकेडेमिक था। मैंने उसका समर्थन किया। यह सही है कि राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट जो है उसकी उन्होंने हूबहू नकल की लेकिन कृषि भी आप उसी पैमाने पर रखना चाहते हैं उचित नहीं है। माननीय तेजप्रताप सिंह का संशोधन निहायत ऐकेडेमिक था और उस नुक्तेनजर से वह महत्व रखता था और यदि सरकार के पास साधन हों और यदि उनको वह कर सकते तो मुल्क की उसमें उन्नति भी थी।

श्री रामेश्वर लाल—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्य पुनः प्रारम्भ हुआ।)

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मान्यवर, जैसा कि मैं अभी निवेदन कर रहा था, इस प्रदेश में एग्रीकल्चर एक ऐसा महत्व रखता है जो एक साधारण सब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता और एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग आज सारे भारत में यदि अनिवार्य कर दी जाय तो वह भी अनुचित न होगा। एग्रीकल्चर के लिये जब मैं जोर देता हूं तो यह भी स्वीकार करता हूं कि और सब्जेक्ट्स के लिये आप इस वक्त कुछ न कीजिये, लेकिन जब एक फौज आप नीचे से तैयार कर रहे हैं, यह मैंने माना कि कभी एक ऐसा भी वातावरण था जब कि पढ़ने वाले लोग फावड़ा लेकर चलने में अपना अपमान समझते थे, जबकि खेत में हल और बैल चलाने के लिये वे समझते थे कि अगर हमको यही करना था तो अच्छा था कि घर पर ही जहां हमारे बाप और भाई हैं उनके साथ हल चलाते। एक वातावरण तो आपने यह पैदा किया कि खेती का काम करने में किसी को लज्जा अब नहीं रही। दूसरी बात मैं यह चाहता हूं कि यदि एक रास्ता उनके लिये खोला जा सके तो उनके लिये मजबूरी न हो कि "नो वैकेन्सी"। तो उस नुक्ते नजर से मैंने कहा है। यह नहीं है कि सिर्फ बाद विवाद के लिये रखा है। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी चीज है कि मैं तो इस हद तक भी तैयार था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी अगर अपनी जगह पर ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ही होती तो वह भी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा काम देती क्योंकि असल में एग्रीकल्चर बेसिक नीड हमारी है। और दूसरी तरफ आप एक फौज तैयार कर रहे हैं उसके बाद आप ब्रेक लगा रहे हैं। ये दोनों नीतियां असंगत हैं, ये चल नहीं सकती हैं। अगर कोई मजबूरी है तो मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, मुझे कोई मजबूरी नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा था श्री तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन के सम्बन्ध में, न उसकी ओर न इसकी उपयोगिता के बारे में कोई संदेह हो सकता है। यूनिवर्सिटी की शिक्षा समिति नहीं होती। किसी विश्वविद्यालय की सूची से यह नहीं कहा जा सकता कि वह केवल एक ही चीज पढ़ावेगी। जैसे आप एक छोटे से पैमाने पर लखनऊ युनिवर्सिटी का उदाहरण ले लें। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी भी है, साइन्स फैकल्टी भी है, मेडिकल फैकल्टी भी है, टीचर्स ट्रेनिंग की फैकल्टी भी है, आयुर्वेदिक फैकल्टी भी खुलने जा रही है और शायद निकट भविष्य में यह भी हो जाय कि एक फैकल्टी ऐग्रीकल्चर की भी खुले। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज मेडिकल फैकल्टी नहीं है, एग्रीकल्चरल फैकल्टी है। यह तो विश्वविद्यालय के परिधि के अन्दर है कि कौन सी शिक्षा वह प्रारम्भ करे। मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि ऐक्ट में कोई प्रतिबन्ध लगाना एक आक्षेप है जिसका कि हमारे सामने कोई उत्तर नहीं है क्योंकि आप इस विधेयक में यूनिवर्सिटी का कांस्टीट्यूशन देते हैं। दुनियां भर की किसी भी यूनिवर्सिटी के अधिनियम

को ले लें तो आप यह नहीं देखेंगे जब तक कि वह किसी खास टाइप की न बनाई गयी हो, कि उसका करीक्यूलम बना हो। इसका यूनिवर्सिटी नाम इसीलिये दिया जाता है कि दूनिया में जितनी भाषायें हैं और जितने विषय हो सकते हैं, सबकी शिक्षा वहां हो सके। इसीलिये इसको यूनिवर्सिटी कहते हैं कि जहां पर यूनीवर्सल शिक्षा हो सके। इसलिये हम इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते हैं कि आप यह विषय पढ़ाइये या न पढ़ाइये। आप कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते हैं और न आदेश ही दे सकते हैं। केवल आक्षेप इतना ही है, इसी के कारण मजबूरी है। हमने ऐग्रीकल्चर की शिक्षा एक प्रकार से छोटी कक्षाओं में प्रारम्भ कर दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे विचार क्या हैं। हम समझते हैं कि जब तक हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा न दी जाय कि वह पृथ्वी के नजदीक पहुंचे और उनको काम से घृणा न हो और उनके दिल में यह विचार पैदा न हों कि यह काम बुरा है, यह काम अच्छा है, यह नीची श्रेणी का काम है या यह ऊंची श्रेणी का काम है तब तक शिक्षा उपयोगी नहीं हो सकती है और इतना लाभ हम शिक्षित नवयुवकों से नहीं पा सकते हैं। इसलिये यह आवश्यक है।

यह बात मैं मानता हूं कि किसी चीज की शिक्षा को आप अति आवश्यक मान लें तो गलत बात हो सकती है। एग्रीकल्चर की शिक्षा हो या साइंस की शिक्षा हो जबकि हम ऐटम बम की दुनियां से निकल रहे हैं, हर शिक्षा अपने स्थान पर एक महत्व रखती है और आप किसी की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। आप केवल यह कह सकते हैं कि हम संक्रमण काल से निकल रहे हैं इसमें जो आपके लिये आवश्यक हैं उसको आप प्रथम स्थान दे सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध यह है कि आप किसी प्रकार से यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई आदेश न लादें कि किस तरह की शिक्षा देंगे। यह यूनिवर्सिटी का अधिकार है और रहना चाहिये कि वह किस प्रकार की शिक्षा दे और अपनी कठिनाइयों को देखकर और शक्ति को देखकर वह जिस चीज की शिक्षा देना चाहें वह दें।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "विद्या" से शब्द "शाखाओं" तक निकाल दिये जायं और उसके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :—

"विद्या और विशेषकर विद्या की कृषि सम्बन्धी शाखाओं"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रतनलाल जैन—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

खड ७ के उपखंड (१) की पंक्ति १ के शब्द "ऐसी" व शब्द "शाखाओं" के बीच में निम्नलिखित रख दिये जायं :—

"साहित्यिक, औद्योगिक, Technical, engineering, mining, आदि"।

श्री रामसेवक यादव—अधिष्ठाता महोदय, इसी प्रकार के दो प्रस्ताव यह सदन नामंजूर कर चुका है। तो यह कहां तक ठीक होगा कि यह प्रस्ताव यहां उपस्थित किया जाय?

श्री हरगोविन्द सिंह—आपत्ति तो ठीक ही है, चाहे कायदे और कानून से बहुत ठीक न हो।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय रतनलाल जी से प्रार्थना करूंगा कि आप इसको पेश न करें क्योंकि इस तरह का संशोधन आ चुका है और गिर चुका है।

श्री रतनलाल जैन—बहुत बेहतर।

श्री नवल किशोर--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (४) के भाग (घ) में शब्द "जो ऐसी महिलायें हैं" के स्थान पर शब्द "जो महिलायें हैं और" रख दिये जायं।

यह एक शाब्दिक संशोधन है, क्योंकि जो के बाद ऐसी शब्द आ गया है। वह आवश्यक नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

डाक्टर सीताराम--स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (४) के भाग (घ) में शब्द "जो ऐसी महिलायें हैं" के स्थान पर शब्द "जो महिलायें हैं और" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

निरीक्षण

८--(१) राज्य सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह आदेश दें, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं (laboratories) तथा साज-सज्जा (equipment) और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी संस्था का तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा कृत (conducted or done) परीक्षाओं, अध्यापन कार्यों तथा अन्य कार्यों का भी निरीक्षण (inspection) करा सकती है और साथ ही विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी मामले के विषय में उसी प्रकार जांच (inquiry) करवा सकती है।

(२) राज्य सरकार प्रत्येक दशा में, विश्वविद्यालय को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच करवाना चाहती है। ऐसा होने पर विश्वविद्यालय को अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा, जिसे उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने अथवा सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा।

(३) राज्य सरकार, उक्त निरीक्षण अथवा जांच के परिणामों के सम्बन्ध में उपकुलपति को संबोधित कर सकती है, तथा उपकुलपति सरकार के विचारों को और ऐसे परामर्श (advice) को, जो राज्य सरकार की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में दे, कार्यकारिणी परिषद् को ज्ञापित (communicate) करेगा।

(४) कार्यकारिणी परिषद् उपकुलपति द्वारा राज्य सरकार को ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में, यदि कोई हो, जिसे वह ऐसे निरीक्षण अथवा ऐसी जांच के फलस्वरूप करना चाहे, या जो उसने की हो, ज्ञापित करेगी।

(५) यदि विश्वविद्यालय प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे, तो राज्य सरकार उक्त प्राधिकारियों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण (explanation) अथवा अभ्यावेदन (representation) पर विचार करके ऐसे आदेश प्रचारित करेगी, जिन्हें वह उचित समझे और विश्वविद्यालय प्राधिकारी उनका अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

श्री तेजप्रताप सिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (३) की पंक्ति २ के शब्द "कर सकती है" को हटा कर उसके स्थान पर शब्द "करेगी" रख दिये जायं।

इस खंड ८ का उपखंड (३) इस प्रकार है : कि "राज्य सरकार उक्त निरीक्षण अथवा जांच के परिणामों के सम्बन्ध में उपकुलपति को सम्बोधित कर सकती है तथा उपकुलपति सरकार के विचारों को और ऐसे परामर्श (advice) को, जो राज्य सरकार की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में दे, कार्यकारिणी परिषद् को ज्ञापित (communicate) करेगा" यदि सिर्फ इतना ही मकसद हमारा है कि जो जांच यूनिवर्सिटी की जब कभी भी करायी जाय राज्य सरकार के द्वारा, तो उस निरीक्षण को निश्चित रूप से उपकुलपति के पास नहीं भेजना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन अब अगर इसमें मेरा संशोधन हो जायगा तो वह निश्चित रूप से भेजा करेगी। इसमें मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो विधेयक यहां प्रस्तुत हुए थे, संशोधन विधेयक, उनमें भी इसी प्रकार का संशोधन हम लोगों ने रखा था और उसको माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया था और मैं समझता हूं कि इसमें अधिक समय नहीं लेना चाहिए और मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको भी स्वीकार करें।

श्री हरगोविन्द सिंह—यह जिस प्रकार से रखा है उसका अर्थ वही होता है। लेकिन यह स्टेट गवर्नमेंट के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह जरूर भेजे। स्टेट गवर्नमेंट अगर इन्क्वायरी के बाद समझती है कि इसकी आवश्यकता नहीं है तो वह नहीं भेजेगी। लेकिन अगर यह शब्द लिख दिया जायगा तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए मजबूरी हो जायगी कि वह जरूर भेजे। इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री तेजप्रताप सिंह—अधिष्ठाता महोदय, अगर कोई जांच की जाय तो उसकी रिपोर्ट भेजना चाहिए। अब आप भेजना क्यों नहीं चाहते हैं, उसको अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? दूसरे विधेयकों में "मैं" की जगह "शैल" कर दिया गया है। उस वक्त तो आपने इस चीज को मान लिया था लेकिन इस वक्त न जाने क्यों आप इस चीज को नहीं मान रहे हैं! इसके बारे में कोई तर्क तो समझ में नहीं आता है। मेरे ख्याल में उसके भेजे जाने की जरूरत है। मैं फिर इसको प्रेस करता हूं कि इसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री हरगोविन्द सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। चूंकि यह इन्क्वायरी गवर्नमेंट करा सकती है। धारा ८ में यह है कि ऐसी इन्क्वायरी गवर्नमेंट करायेगी और दफा ३ में यह है कि इन्क्वायरी की रिपोर्ट अगर वह चाहे तो भेज सकती है। अगर वह समझती है कि इसमें कोई बात नहीं है तो वह अपने पास रख सकती है। क्यों रक्खे और क्यों न रखे, यह कोई आवश्यक बात नहीं है। ऐसी चीज को मैं नापसन्द करता हूं इसलिए इसको चेंज कर दिया है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (३) की पंक्ति २ के शब्द "कर सकती है" को हटाकर उसके स्थान पर शब्द "करेगी" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

९—(१) राज्य सरकार, स्वतः अथवा विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् की सिफारिश से, ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह आदेश दे, संबद्ध कालेजों का निरीक्षण। किसी भी सम्बद्ध कालेज, उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला अथवा छात्रावास और उस कालेज द्वारा किये जाने वाले अध्यापन-कार्य का निरीक्षण और कालेज

से सम्बन्धित किसी विषय की समान रीति से जांच (enquiry in the like manner) करवा सकती है, । राज्य सरकार प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कालेज को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच कराना चाहती है । ऐसा होने पर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् और कालेज के प्रबन्धक को अपना एक-एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा और उन प्रतिनिधियों को उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने और सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा । यदि राज्य सरकार चाहे तो विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि भी उन व्यक्तियों में सम्मिलित किया जा सकता है जो निरीक्षण अथवा जांच करने के लिए नियुक्त किये गये हों ।

(२) ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों को राज्य सरकार प्रबन्धक (management) को ज्ञापित कर सकती है और उसे परामर्श दे सकती है कि अमुक कार्यवाही की जाय ।

(३) यदि प्रबन्धक (management) उचित समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्य नहीं करता तो राज्य सरकार प्रबन्धक द्वारा किये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन (representation) पर विचार करके, ऐसे आदेश प्रचारित कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे और प्रबन्धक तुरन्त ही ऐसे आदेशों का अनुपालन करेगा ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १०

१०—विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे :-

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी

(१) कुलपति (Chancellor) ;
(२) उपकुलपति (Vice-Chancellor) ;
(३) कोषाध्यक्ष (Treasurer) ;
(४) प्रस्तोता (Registrar) ;
(५) छात्र-कल्याण के डीन (Dean of Student Welfare) ;
(६) फैकल्टियों के डीन (Dean of Faculties) और ;
(७) विश्वविद्यालय की सेवा में संलग्न ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किये जायं ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(१) कोर्ट ;
(२) कार्यकारिणी-परिषद (Executive Council) ;
(३) परामर्श-समिति (Committee of Reference) ;
(४) विद्वत परिषद् (Academic Council) ;
(५) फैकल्टियों के बोर्ड (Boards of Faculties) ;
(६) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए निर्वाचन समितियां (Selection Committees) ;

(७) डेलिगेसी ; तथा

(८) अन्य ऐसे प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं।

श्री तेजप्रताप सिंह——माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के वर्ग १ के उपखंड (६) के बाद नया उपखंड (६-क) बढ़ा दिया जाय—

"(६-क)——संचालक प्रयोगात्मक कार्य (Director or Dean of Practical Work)

अधिष्ठाता महोदय, यह जो यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट है उसके सफा ५८१ में यह दिया हुआ है——

"One of the Chief Criticisms of the present system of education is its tendency to rely on verbal description rather than on actual participation."

मैंने यह शब्द इसलिए उद्धृत किये हैं कि सभी यही कहते हैं कि वर्तमान जो एजूकेशन सिस्टम चल रहा है। वह कितना डिफेक्टिव है। इस से इस बात का संकेत होता है कि सिवाय इसके कि स्कूल रूम में शिक्षा दी जाय और प्रैक्टिकल वर्क न किया जाय, इस प्रकार की एजूकेशन चल रही है। इस से चाहे जो नतीजा निकाले वह यही निकलता है कि इस प्रकार से स्कूल रूम में पढ़ने से प्रैक्टिकल वर्क के पार्टिसिपेशन में दिक्कत होती है। इसलिए इस विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल वर्क को देखने के लिए एक डीन को बढ़ाने से फायदा होगा। मैं समझता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी इसको उचित समझेंगे तथा इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह——इसकी कोई आवश्यकता मालूम नहीं होती है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। क्योंकि डीन आफ स्टूडेंट वेलफेयर और डीन आफ फैकल्टी इस कार्य को कर सकते हैं इसलिए इसको अलेहदा से रखने की कोई आवश्यकता मालूम नहीं होती।

श्री तेजप्रताप सिंह——माननीय अधिष्ठाता महोदय, डीन आफ स्टूडेंट्स वेलफेयर जो है वह तो वेलफेयर देखेगा कि किस तरह से वहां विद्यार्थी रहते हैं, वह उनके प्रैक्टिकल वर्क को कहां से देखेगा कैसे वह ग्रामों में आर्गनाइज करेगा ? वह काम वह नहीं कर सकते। अब शिक्षा मन्त्री जी कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता। अब उन की समझ के लिए क्या कहा जाय ! अगर उन को समझाने की कोशिश करूं तो वह भी अनधिकार चेष्टा होगी। अगर इसके लिए अलग से डीन रख दिया जायगा तो कम से कम यह मकसद तो हल हो सकेगा कि आज कल सिस्टम आफ एजूकेशन के प्रैक्टिकल न होने के बारे में जो खास आलोचना होती है, वह तो न होगी और इस तरह से उसका उपचार हो सकेगा और लाभ भी होगा, इस तरह से अलग डीन रखने से न तो कोई विशेष भार ही पड़ता है और न दिक्कत होती है, बल्कि फायदा ही होता है।

श्री हरगोविन्द सिंह——अधिष्ठाता महोदय, मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है, लेकिन कम से कम माननीय तेज प्रताप सिंह को मालूम होगा कि यूनिवर्सिटी में आजकल एन० सी० सी० यू० टी० सी० और मिलिटरी ट्रेनिंग वगैरह कई तरह के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होते हैं और गर्मियों में वहां के बहुत लड़के पहाड़ों पर सड़कें बना रहे हैं और इस तरह से बहुत से प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। अगर एक प्रैक्टिकल वर्क का डीन हो जायगा तो कौन उसकी ड्यूटी निर्धारण करेगा और कैसे यह सब तय होगा उस में बहुत दिक्कत होगी, और किस तरह से डिफरेंट ऐक्टीविटीज का कोआर्डिनेशन होगा। इसलिए जो काम पहले से शुरू हो गया है और जिस में हम पहले की अपेक्षा दूसरी पंचवर्षीय योजना में अधिक रुपया भी दे रहे हैं, उसी को ठीक से चलने दिया जाय और यह मुनासिब न होगा कि उस में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो। यदि यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में इस तरह के प्रैक्टिकल काम न होते रहते होते और यह ख्याल होता कि बगैर अलग डीन के प्रैक्टिकल कार्य नहीं हो रहे हैं, तब तो इस की आवश्यकता हो सकती थी, लेकिन जो हमारी आगरा, बनारस,

[श्री हरगोविन्द सिंह]

इलाहाबाद और लखनऊ की यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पहले से ही इस दिशा में इतना कार्य हो रहा है कि किसी डीन आफ प्रैक्टिकल वर्क की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता कि पदाधिकारियों की सूची को ख्वाहमख्वाह बढ़ाया जाय और नियंत्रण की दृष्टि से भी यह सूची जितनी कम हो उतनी ही अच्छा है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १० के वर्ग १ के उपखंड (६) के बाद एक नया उपखंड (६—क) बढ़ा दिया जाय:—

"(६—क) संचालक प्रयोगात्मक कार्य (Director or Dean of Practical Work)"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ११

कुलपति

११—(क) उत्तर प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। वह पदेन के विश्वविद्यालय का अध्यक्ष (Head) तथा कोर्ट का सभापति (President) होगा और उपस्थित रहने पर वह विश्वविद्यालय के कोर्ट की और दीक्षान्त समारोह (convocation) के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(ख) कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उन्हें दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

उपकुलपति

१२—(१) उप-कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक (whole-time) पदाधिकारी होगा और इस धारा में विहित रीति से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(२) उप-कुलपति के पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो नियत की जायं, और नियुक्त के पश्चात् उसके हितों के प्रतिकूल उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(३) उप-कुलपति ५ वर्ष के लिए पदासीन रहेगा किन्तु [किसी भी समय] कुलपति को संबोधित लिखित त्याग-पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। सामान्यतया त्याग-पत्र उस दिनांक से जब से कि वह कार्यभार से मुक्त होना चाहता है कुलपति को कम से कम ६० दिन पूर्व दिया जायगा।

(४) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (८) में अभिदिष्ट रिक्ति (vacancy) से भिन्न दशा में उप-कुलपति के पद पर किसी भी समय पहले आसीन रहा हो, पुनर्नियुक्ति का पात्र न होगा।

(५) उप-कुलपति उपधारा (६) के अधीन निर्मित समिति द्वारा चुने हुये ३ से अन्यून व्यक्तियों की सूची में से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(६) उपधारा (५) में निर्दिष्ट समिति में ३ व्यक्ति होंगे जिनमें से २ ऐसे व्यक्ति कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नाम निर्देशित किये जायँगे जो विश्वविद्यालय अथवा घटक अथवा सम्बद्ध कालेज से संबंधित न हों, और १ व्यक्ति कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जागा ; कुलपति तीनों व्यक्तियों में से एक को सभापति नियुक्त करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कुलपति इस प्रकार सिफारिश किये गये किसी व्यक्ति को अनुमोदित न करे तो वह नई सिफारिशें मांग सकता है।

(८) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उप-कुलपति के पद का स्थान रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा। यदि उक्ति रिक्ति छः मास से अधिक की अवधि के लिये हो या उसके ऐसा होने की संभावना हो तो कुलपति उपधारा (५) और (६) के उपबन्धों के अनुसार रिक्ति-पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(९) जब तक कि उपधारा (८) के अधीन प्रबन्ध न हो जाय तब तक रजिस्ट्रार उप-कुलपति के पद के साम्प्रतिक कर्त्तव्यों (current duties) का पालन करेगा किन्तु वह विश्वविद्यालय प्राधिकारियों (authorities) की बैठकों का सभापतित्व नहीं करेगा।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खण्ड १२ का उपखण्ड (४) निकाल दिया जाय। यह खंड १२ का उपखंड (४) इस प्रकार है :--

"कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (८) में अभिदिष्ट रिक्ति (vacancy) से भिन्न दशा में उपकुलपति के पद पर किसी भी समय पहले आसीन रहा हो, पुनर्नियुक्ति का पात्र न होगा।"

श्रीमन्, यह विशेष महत्व का प्रश्न है और उसको ठुकराया नहीं जा सकता। गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक में यह स्पष्ट व्यक्त किया गया है कि जो कभी उपकुलपति रह चुका हो वह फिर उपकुलपति का पद ग्रहण नहीं कर सकता। केवल उस हालत में प्रतिबन्ध नहीं होगा जब कि वह किसी वैकेन्सी में रहा हो। श्रीमन्, एक व्यक्ति जो कि वाइस चांसलर रह चुका हो तो अनिवार्य है उसके लिये कि उसने अपने कार्यकाल में, अपनी अवधि में अनुभव प्राप्त किया हो। तो, श्रीमन्, अनुभव के दृष्टिकोण से भी उसका रहना लाभप्रद होगा। जो बिल में प्राविजन है उसके मानी तो यह हुए कि यदि कभी कोई वाइस चांसलर रहा हो वह चाहे कितना ही बड़ा इमिनेन्ट एजूकेशनिस्ट क्यों न हो, इस पद को ग्रहण करने के लिये वह चाहे कितना ही सुयोग्य क्यों न हो परन्तु इस विधेयक के रहते हुये वह उस पद को ग्रहण नहीं कर सकेगा। सिद्धान्तों में न जा कर मैं यह कहता हूं कि कल यदि चांसलर को, कुलपति को एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के उपकुलपति का पद ग्रहण करने के लिये सब से योग्य हो परन्तु केवल एक प्रतिबन्ध के कारण कि पहले कभी वह वाइस चांसलर रह चुका है, उस व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह ऐसी चीज है कि अगर सरकार कुछ ऐसे व्यक्तियों को जो कि उपकुलपति रह चुके हैं और सरकार के दृष्टिकोण में या कुलपति के दृष्टिकोण में वे ऐसे योग्य न हों कि उनकी पुनर्नियुक्ति की जाय तो उस सूरत से बचने के लिये इस विधेयक में एक खंड रखा जाय या इस बात के लिये कोई लेजिस्लेशन किया जाय। यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिये इस विधेयक में कोई लेंडीक्यूड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

तो होना ही चाहिये परन्तु यदि कोई ऐसे व्यक्ति हों जो कि उस पद के पात्र न हों उनको केवल निकालने के लिये इस तरह का लेजिस्लेशन किया जा रहा है तो उचित नहीं है। यदि यही समझ कर कि कुछ ऐसे अयोग्य व्यक्ति जो इस पद को ग्रहण कर चुके हों जिनको नहीं करना चाहिये था और महज़ केवल इसी दृष्टिकोण से इस तरह का लेजिस्लेशन किया जाय तो यह सर्वथा अनुचित है क्योंकि हो सकता है कि कुछ वाइस चांसलर इस तरह के रहे हों जिनकी जरूरत आज भी हो लेकिन वे नहीं रखे जा सकेंगे।

श्रीमन्, आज यह एक मौलिक सिद्धान्त है कि जब कभी कोई लेजिस्लेशन होता है और जैसा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी उसी सिद्धान्त का आश्रय ले रहे थे मेरे संशोधन पर और उसके खिलाफ जो कहा जा सकता था वह केवल एक ही बात थी जिसे वे कह रहे थे कि लेजिस्लेशन जो है, ऐक्ट जो है, वह केवल फंडामेन्टल प्रिन्सिपुल्स से डील करता है। बकिया जो है वह चाहे रूल्स में आये या एक्जिक्यूटिव के सुपुर्द किया जाय, वह तो केवल एक मौलिक सिद्धान्त है जो किसी ऐक्ट में आते हैं और उसी के अनुसार नियम बनाये जाते हैं। लेजिस्लेशन कोई ऐसी पोथी नहीं है जिसमें हर किस्म का ब्योरा रखा जाय। मैं इस किस्म का लेजिस्लेशन जो किया जा रहा है सर्वथा अनुचित समझता हूं क्योंकि इस तरह का अनुचित प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये था। यह सरकार को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिये। आप ने काफी प्रतिबन्ध कर रक्खा है। तो इस अधिकार से अब क्यों बंचित रक्खा जाय इस विधेयक के द्वारा कोई उपकुलपति जो पहले कभी रह चुका हो वह न रक्खा जाय। मान्यवर जैसा मैंने कहा, लेजिस्लेशन जो है वह इस नुक्ते-नजर से सदैव किया गया है कि हर मुल्क में जितना लेटीट्यूड उसमें होना चाहिये उसकी जरूरत पर हर कांटिजेंसी के लिये उपयुक्त प्रतीत हो। मान लीजिये कोई ऐसी परिस्थिति आये गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिये अपनी भविष्यवाणी तो मैं इस समय कर नहीं सकता जहां पर यह देखा जाय कि उसके उपकुलपति के लिये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नियुक्त करना परमावश्यक है वैसी परिस्थिति में या तो आप एक अमेंडिंग बिल लावें जिसके द्वारा यह जो अधिनियम होगा इसमें संशोधन किया जाय और नहीं तो सरकार विवश रहेगी और उनका कुलपति अपनी जगह पर समझे, सरकार अपनी जगह पर समझे, एक्जिक्यूटिव कौंसिल अपनी जगह पर समझे कि यह होना चाहिये लेकिन इस कानून की मजबूरी के सामने विवश होना पड़ेगा। यह एक उसूल की बात है। आदमी को उस कांटिजेंसी को भी फोरसी कर लेना चाहिये। दूरदर्शिता के मानी यही होते हैं कि कोई चीज आज हमको कटु प्रतीत हो सकती है लेकिन समय के ऊपर वही कल्याणकारी प्रतीत हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति के लिये हमको सदैव तैयार रहना चाहिये जब कि हम लेजिस्लेट करें।

मैंने देखा है भवन में हम विवश हो जाते हैं और हम बहुत सा लेजिस्लेशन इस तरीक़े से करते हैं संकीर्णता के दृष्टिकोण को सामने रख कर जिसकी वजह से बारम्बार अमेंडमेंट्स आते हैं जिसका यह प्रभाव होता है कि हमारी बौद्धिक शक्ति पर भी लोगों को उंगली उठाने का मौका मिलता है। लोग यह समझते हैं कि सिर्फ हम बैठने के लिये और अपना वक्त जाया करने के लिये इस जगह आते हैं या हम इतने क्लियर हार्टेड नहीं होते और हम उस दृष्टिकोण से काम नहीं करते। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न न हो। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि वह इसे स्वीकार करेंगे।

श्री नवल किशोर—अधिष्ठाता महोदय, श्री अवधेश प्रताप जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं और उसकी वजह यह है कि इस भवन में, आगरा, लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सबन्ध में जब विधेयक आये थे तब भी इस प्रश्न पर काफी विचार हुआ था और उस समय भी यही तय हुआ कि यह नियम जो है कि उपकुलपति की पुनः नियुक्ति उस विश्वविद्यालय में उसी पद पर नहीं होनी चाहिये। इसके अलावा

राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट को देखा जाय, या इसके अलावा नरेन्द्र देव जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने आगरा यूनिवर्सिटी पर विचार किया था उन सबका एक मत है कि वाइस चांसलर का दुबारा एप्वाइंटमेंट नहीं होना चाहिये और उसकी वजह यह है और जैसी कि इंसानी मनोवृत्ति भी है, कि यदि वाइस चांसलर को यह उम्मीद हो कि पांच साल के बाद भी उसका रिअप्वाइंटमेंट हो सकता है, इसकी सम्भावना रहती है कि एग्जीक्यूटिव के अन्दर अपना वह एक ग्रुप, एक क्लिक पैदा करने की कोशिश करे और यदि हम चाहते हैं कि शिक्षा मंदिरों से यह क्लिक्स और ग्रुपिंग्ज खत्म हों जैसा कि सरकार का निश्चय है और उसके अलावा हम सभी चाहते हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, कि इस पार्टीबाजी को इसमें रोका जाय, इसलिये इसमें भी यह रखा गया है कि पांच साल का टर्म रखा जाय और दोबारा अप्वाइंटमेंट न किया जाय। उन्होंने कहा कि कोई कंटिजेंसी हो सकती है, हो सकता है कि कोई बड़ा काबिल व्यक्ति हो। ठीक है, हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हमारे इस प्रदेश में पांच विश्वविद्यालय हैं और छठा बनने जा रहा है। इसमें तीन का तो चांसलर एक ही है, चौथे का और हो जायगा। अगर कोई योग्य व्यक्ति होंगे तो उनकी सेवाओं का उपयोग दूसरे विश्वविद्यालय में हो सकता है। यह क्या आवश्यक है कि उसी विश्वविद्यालय में उनको रखा जाय? इसमें कोई सिद्धांत की ऐसी बड़ी बात नहीं है। उचित यही है कि दोबारा उनका अप्वाइंटमेंट नहीं होना चाहिये।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह--मान्यवर, इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि माननीय नवल किशोर जी ने पुनः कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन इस विशाल भवन में करने की आकांक्षा की। मैं तो यह सोचता रहा कि वह किस भ्रम में इसको कह रहे हैं। आगरा यूनिवर्सिटी, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, में अगर कोई चीज अपनी जगह पर गलत है, अगर एक गलती हुई है, तो इसके यह मानी नहीं हैं कि यह दोहरायी जाय। यदि गलती नहीं हुई है, तो उसके सम्बन्ध में मुझे इतना केवल कहना है कि वह समझते हैं कि कोई इमीनेंट एजूकेशनिस्ट है तो उसको वाइस चांसलर न बनाकर बल्कि एक दूसरे रूप में रखकर उससे काम ले सकते हैं। उसकी सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं। मैंने अगर गलत सुना तो जो कुछ भी उनके शब्द रहे हों, लेकिन उसके मानी यही थे कि यदि कोई एजूकेशनिस्ट बहुत बड़ा है, उससे अगर यह फायदा उठाना चाहते हैं तो किसी न किसी रूप से फायदा उठा सकते हैं। इस चीज से उनको इन्कार नहीं हो सकता। तो इसके मानी यह भी हो सकते हैं कि इस सदन में भी यही कहा जा सकता है कि जो एक मर्तबा चीफ मिनिस्टर रह जाय वह दोबारा न होने पाये, और उसकी सेवाएं जो हैं, जहां मैं बैठा हूं, वह इस जगह भी हो सकते हैं, यह कोई लाजिमी नहीं है कि वह चीफ मिनिस्टर ही बन कर देश को लाभ पहुंचा सकें। कल अगर माननीय हरगोविन्द सिंह जी को इस प्रतिबन्ध के साथ आप लाना चाहते हों, आप उनको उधर ही बिठा कर उन से लाभ उठाना चाहते हों, तो मैं समझता हूं कि अगर वह अपने डाइरेक्टर से भी मिलने जायेंगे तो उनको फुरसत न रहेगी। अभी तो दसियों डाइरेक्टर उनके पीछे घूम सकते हैं। तो, श्रीमन्, पोजीशन एक ऐसी चीज है जिससे इन्कार नहीं कर सकते हैं। कितना भी योग्य आदमी हो, लेकिन आफिस अपनी जगह पर एक महत्व रखता है। दुनिया में देखा गया है कि जब समय ने साथ न दिया तो वह कहीं का भी न रहा। यह केवल बात है कि उनसे लाभ उठा सकते हैं। उनका यह कहना है कि कमी है काबिल लोगों की। ठीक है, उनका कहना है कि काबिल लोगों की कमी नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रदेश में बहुत से योग्य व्यक्ति हैं। उनकी सेवायें मिल सकती हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

लेकिन जो मैं उनसे कह रहा था, यदि ध्यानपूर्वक थोड़ा सा वह सुनते, तो यह समझ सकते थे कि वह मुझसे असहमत रह सकते हैं, लेकिन वह इस से इन्कार करें कि इसके पीछे एक सिद्धांत नहीं है, मैं समझता हूं कि उनके लिए यह शोभा की बात नहीं है। सिद्धांत तो है ही।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामनरेश शुक्ल---कोई मतलब की बात भी कहिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---वह तो फख्र जनाब ही को हासिल है।

मान्यवर, मुझे केवल इतना कहना था इसके विषय में कि यह एक ऐसी चीज है कि जिसके पीछे सिद्धांत है। नवलकिशोर जी का यह कहना कि इस में सिद्धांत नहीं, उचित नहीं है। सिद्धांत है और आगे चलकर इसी सिद्धांत पर आपको आना होगा। हो सकता है कि दस साल, पांच साल बाद आप उसी पर आवें। इस तरह का अनुचित प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। यह किसी माने में भी उचित नहीं कहा जा सकता है। माननीय नवल किशोर जी कभी तो यूनिवर्सिटी की आटोनामी की पुकार करते हैं तो आप यह क्यों नहीं छोड़ देते हैं....

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि वह बार-बार उन्हीं बातों को न दुहरायें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---मैं तो श्रीमन्, सिर्फ उनकी बातों का जवाब दे रहा हूं और मजबूरी यह होती है कि कोई नयी चीज वह कहते नहीं, तो मजबूर मैं भी होता हूं अपनी जगह पर उन्हीं चीजों का जवाब देने के लिए।

श्री अधिष्ठाता---कोई जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाय।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---तो, श्रीमन्, मुझे इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना था।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, मैं प्रथम ही यह स्पष्ट कर दूं कि इस प्रतिबन्ध के रखने या न रखने में कोई बड़ा भारी सिद्धांत बीच में नहीं आता है। यह मैं समझता हूं कि यह प्रतिन्बध जो अब विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में रखा जाने लगा है इसका आरम्भ राधाकृष्णन रिपोर्ट में ही हुआ है। कोई सिद्धांत मैं समझता हूं कि आकाश में, वास्तविकता के परे उससे असम्बन्धित बनता भी नहीं। सिद्धांत का निर्माण समाज की या वस्तविकता की आवश्यकताओं को देखकर ही होता है। पहले विश्वविद्यालयों में यह नहीं समझा जाता था कि विश्वविद्यालयों में उपकुलपति का स्थान जो इतना सम्मानित स्थान है और जिसके ऊपर ही विश्वविद्यालय पूर्णतः अवलम्बित है, उसका भविष्य अवलम्बित है, वह इतने सम्मान का जो पद होगा उस के लिए लोग इस प्रकार से कन्वेसिंग करेंगे, वोटों की याचना करेंगे जैसे हम और आप अपनी सदस्यता के लिए करते हैं। यह एक इतना बड़ा सम्मान का पद है कि उसके लिए आशा यह की जाती है कि जब कोई उस से इस बात का अनुनय करे, विनय करे, कि आप इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद को ग्रहण कर लें, आप अपनी योग्यता, अपने बड़प्पन का, अपने अनुभव का लाभ इस यूनिवर्सिटी को दें, तो तभी ऐसे ही व्यक्ति को किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होना चाहिए। ऐसा ख्याल सब लोगों का था और राधाकृष्णन जी ने तो यहां तक लिखा है, उस पर कि कोई व्यक्ति जो अपने लिए किसी विश्वविद्यालय की वाइस-चांसलरी चाहता हो, उसके लिए कन्वेसिंग करता हो, उसको तो किसी प्रकार बनाना ही नहीं चाहिए, उसके ऊपर तो यह क्लाज लगा देना चाहिए कि वह किसी भी सूरत में चाहे योग्य भी हो, लेकिन उसका कभी भी यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में उपकुलपति के द्वार से आना युनिवर्सिटी के लिए श्रेयस्कर नहीं हो सकता। तो यह इस कारण जब यह प्रवृत्ति होगयी कि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलरी के लिए सब लोग दौड़ने लगे, और एक बार उसके लिए एक सेंटेंस बन गया है, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा---हियर, देयर ऐन्ड एवरी व्हेयर, टाइप आफ वाइस चांसलर कहा जाता है कि अब ऐसे वाइस चांसलर होने भी लगें,---ऐसा कहा जाने लगा। तो यह आवश्यक है कि उस पर कुछ ऐसा प्रतिबन्ध लगा दें, गोकि यह हमारे लिए, आपके लिए, विश्वविद्यालय और हमारे भवन के लिए कोई शोभा और गर्व की बात नहीं है कि हम एक विश्वविद्यालय के उपकुलपति के बारे में ऐसे छोटे-छोटे

प्रतिबन्ध लगाये। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिद्धान्तों का आविष्कार कोई आसमान में बैठकर नहीं हुआ करता। अगर वास्तविकता से, जो यहां की परिस्थिति है उसके अनुरूप सिद्धांतों का निर्माण नहीं होता तो वह सिद्धांत सिद्धांत ही रह जायगा। इस कारण और आवश्यकता से यह सिद्धांत बनाया गया कि उपकुलपति एक बार हो, दूसरी बार उस यूनिवर्सिटी में नियुक्ति न हो। यह ठीक है कि एक उपकुलपति ऐसा हो सकता है, दूसरी बार उसका रहना आवश्यक हो।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--यह तो आपने बहुत संकीर्ण परिभाषा की।

श्री हरगोविन्द सिंह--जी, मैं तो ऐसी ही संकीर्ण परिभाषा जानता हूं। तो मैं यही जानता था कि अगर कोई सिद्धांत ऐसा हो जिसके कारण कि यहां हमारी समस्याएं और जटिल हो सकती हों, कार्य-क्षेत्र में जाकर के हम उसको पूरी तरह से कार्यान्वित न कर सकते हों, तो उस सिद्धांत को बदल करके दूसरा सिद्धांत उसके अनुकूल बदलना चाहिए जिसमें हमारी अवस्थाएं दुरुस्त हो जायं। मैंने पहले ही कहा कि उसमें कोई सिद्धांत की बात नहीं है। इसमें कोई सिद्धांत नहीं है कि कोई वाइस-चांसलर एक टर्म के लिए रखा जाय, या दूसरी टर्म के लिए भी उपयुक्त समझा जाय। इसमें किसी सिद्धांत की न हत्या होती है, न किसी की रक्षा होती है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की जो आपने उपमा दी है वह इससे परे है। यहां की चीफ मिनिस्टरी या उस तरफ के बैठने का स्थान, यह तो पार्टी बेसिस पर होता ही है। डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए यह आवश्यक है कि पार्टीज हों। मैं तो कहता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए इस से बढ़ कर के और कोई घाव हो ही नहीं सकता अगर एक ही पार्टी हमेशा शासनारूढ़ रहे। जब एक पार्टी शासनारूढ़ रहती है, तो नामुमकिन है कि वह डिक्टेटरशिप में जाकर परिणत न हो जाय। थोड़े दिनों के बाद डिक्टेटरशिप वहां हो जायगी, चाहे उसे डिक्टेटरशिप का नाम आप रखें, फासिज्म कहें या डिक्टेटरशिप प्रोलिटेरियट रखें, वह डिक्टेटरशिप हो जायगी। तो इसलिए वह उपमा यहां ठीक नहीं बैठती। यूनिवर्सिटीज को, शिक्षा संस्थाओं को हम चाहते हैं कि वह इन पार्टियों से अलग रहें। वह एक क्षेत्र ऐसा है, जहां पार्टी के लिए और कम से कम पोलिटिकल पार्टीज के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए और तभी आप शिक्षा संस्थाओं से आशा कर सकते हैं। तो इसलिए यह आवश्यक है कि वाइस चांसलर एक टर्म के लिए रहे। इसलिए पहले जितने अधिनियम हैं उसमें वाइस चांसलर की अवधि ३ वर्ष रखी थी या ५ वर्ष कर दी गयी, लेकिन फिर भी यह आवश्यक है रखना ताकि उसके लिए यह अवसर न हो, यह प्रलोभन उसके सामने न रखें कि थोड़े लोगों को अपने पक्ष में रख करके वह जितनी दफा चाहे उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनता रहे। यह प्रलोभन उसके सामने न रहे। केवल यही इसका आशय है। लेकिन जैसा कि नवल किशोर जी ने कहा, वह ठीक बात कही कि अगर वह इतने काबिल और अच्छे हैं और ऊंचे हैं तो हम उनको एक यूनिवर्सिटी से हटा करके दूसरी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, जैसे यहां आपने देखा कि लखनऊ युनिवर्सिटी से आचार्य जी खाली हुए तो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में गये। तो इससे कुछ शिक्षा जगत को नुकसान नहीं हुआ। यह नहीं है कि अगर एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी या किसी विशेष यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे तो शिक्षा जगत को उससे लाभ होगा।

हमारे यहां इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, शिक्षा का क्षेत्र इतना वृहद है, उसमें इतने स्थान हैं कि उस से कोई शिक्षा जगत का नुकसान नहीं हो सकता है और शिक्षा वंचित नहीं रह जाती उनके अनुभवों से लाभ उठाने में। इसलिए दोनों चीजों को जब तराजू पर रखता हूं तो यही उचित मालूम होता है कि अगर ऐसा लोभ हम अपने वाइस चांसलर के सामने न रखें जिसमें कि वह पांच वर्ष तक का जो उसका कार्यकाल है उसको अच्छी तरह से और अपनी इच्छा से उसमें वह काय कर सकें, कोई उसके ऊपर पार्टी का दबाव न पड़े, अपने साथियों का दबाव न पड़े। इसमें कोई सिद्धांत मेरी दृष्टि में न इधर है और न उधर है और न किसी सिद्धांत की हत्या ही उसमें होती है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १२ का उपखंड (४) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री तेजप्रताप सिंह--आपकी आज्ञा से, माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (५) को निम्न रूप से रख दिया जाय :-

"(५) कार्यकारिणी परिषद् केवल एक व्यक्ति के नाम की सिफारिश कुलपति से करेगी, जो उसे उपकुलपति नियुक्त करेगा या पुनर्विचार के लिए वह कार्यकारिणी परिषद् को कह सकता है परन्तु वह स्वयं स्वविवेक से इस के लिए कोई सुझाव न देगा और न इसकी नियुक्ति ही करेगा।"

श्री नवलकिशोर--अधिष्ठाता महोदय, मुझे इसमें एक आपत्ति यह है कि यह जो संशोधन पेश है, वह बहुत आम है। अच्छा तो यह है कि पहले जो संशोधन इस खंड में हैं उनको पहले ले लिया जाय। यदि क्रम से आ जाता तो उचित था।

श्री तेजप्रताप सिंह--मैंने यह संशोधन उपखंड (५) में रखा है। वह गलत छप गया है।

श्री अधिष्ठाता--लेकिन यह तो क्रम से आना चाहिए।

श्री तेजप्रताप सिंह--जी नहीं, मैंने अपना संशोधन पांच में रखा है। वह गलती से ६ के लिए हो गया है, लेकिन मैंने अपना संशोधन अब पांच में रखा है, और उसके पहले और कोई संशोधन पांचवे में नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--नहीं, श्री नवल किशोर जी का संशोधन पांचवें उपखंड में है। इस लिए उचित है कि नवल किशोर जी का संशोधन ही पहले आ जाय।

श्री नवल किशोर--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (५) की पंक्ति १ में शब्द "अधीन" के स्थान पर शब्द "अनुसार" रख दिया जाय।

यह शाब्दिक संशोधन है और मुझे आशा है कि मन्त्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

डाक्टर सीताराम--मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (५) की पंक्ति १ में शब्द "अधीन" के स्थान पर शब्द "अनुसार" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री तेजप्रताप सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (५) का निम्न रूप रख दिया जाय :--

"(५) कार्यकारिणी परिषद् केवल एक व्यक्ति के नाम की सिफारिश कुलपति से करेगी, जो उसे उपकुलपति नियुक्त करेगा या पुनर्विचार के लिए वह कार्यकारिणी परिषद को कह सकता है। परन्तु वह स्वयं स्वविवेक से इसके लिए कोई सुझाव न देगा और न इसकी नियुक्ति ही करेगा।"

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१८ मई, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१८ पर)

तालिका

क्रम संख्या	स्कूलों के नाम	बाढ़ पीड़ित विद्यार्थियों की संख्या जिनकी फीस माफ की गयी	तिथियां जिनके बीच स्कूलों को धन दिया गया	
१	खैर हायर सेकेंडरी स्कूल, बस्ती	२२०	९-११-५५	३-१-५६
२	रत्न सेन हायर सेकेंडरी स्कूल, बांसी	१३५	१७-११-५५	२५-२-५६
३	नेशनल हायर सेकेंडरी स्कल, हरैया	२२३	५-१-५६	१७-२-५६
४	श्री कबीर जूनियर हाई स्कूल, मगहर	४९	२२-११-५५	१३-२-५६
५	डी० ए० बी० जूनियर हाई स्कूल, मेंहदावल	१६	२-२-५६	..
६	मार्डन जू०हा० स्कूल, हल्लौर	१४	२८-१२-५५	२३-२-५६
७	किसान हा० से० स्कूल, उस्का बाजार	२४१	८-११-५५	१७-१-५६
८	बी०एम० जी० एन० हा० से० स्कूल, बखिरा	१३६	१-१२-५५	२२-२-५६
९	शिवापति हा० से० स्कूल, शोहरतगढ़	८५	११-११-५५	२९-२-५६
१०	ग्राम विद्या मंदिर जू० हा० स्कूल, बांसी	४२	१८-११-५५	६-१-५६
११	झिन्कूलाल जू० हा० स्कूल, कलवारी	१४७	८-११-५५	९-२-५६
१२	श्री सिंहेश्वरी हा० से० स्कूल तेतरीबाजार	३५	२-२-५६	..
१३	जी० आर० एस० किसान हा० से० स्कूल, बभनान	४९	२३-३-५६	..
१४	हीरा लाल हा० से० स्कूल, खलीलाबाद	१३०	४-१-५६	२८-२-५६
१५	गौतम जू० हा० स्कूल, पिपरा गौतम	१४०	२१-११-५५	२४-१-५६
१६	जी० आर० एस० इन्टर कालेज, बस्ती	३५३	१३-१२-५५	१२-३-५६
१७	पब्लिक इंडस्ट्रियल हा० से० स्कूल, डोमरियागंज	१५८	१३-१-५६	..
१८	जी०ए०वी० हा० से० स्कूल बढ़नी	३६	७-१-५६	९-१-५६
१९	किसान हा० से० स्कूल, बस्ती	१०९	३०-१२-५५	७-३-५६
२०	सक्सेरिया कोसन हा० स्कूल, गोंडा	५८	२३-३-५६	..
		२,३७६		

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२० पर।)

(क) संस्थायें जो कानपुर शहर में हैं।

तालिका जिसका उल्लेख प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में किया गया है।

अनुदान १९५५-५६

क्रम-सं०	शिक्षा संस्थाओं का नाम जिन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त होता है	जिला कानपुर उनके पते	आवर्तक: अनुपालन अनुदान	आवर्तक: मंहगाई अनुदान	आवर्तक: विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	आवर्तक: इंटर कक्षाओं में १ रु० शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान	अनावर्तक: शासन द्वारा रा०सं० ए/१३३७/१५: ३००७/१५७: दिनांक १२-३-५६ के अन्तर्गत स्वीकृत अनावर्तक अनुदान	अनावर्तक: भवन अनुदान	अनावर्तक: सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	अनावर्तक: पुनर्संगठन अनुदान	अनावर्तक: प्लानिंग योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान	अनावर्तक: विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
	बालकों के उत्तर माध्यमिक विद्यालय		रु०	रु० आ०	रु०	रु० आ०			रु०			
१	बी० एन० सनातन धर्म	कानपुर	४५,०००	२,३१०	८१२	२२,११०	—	—	२५०	—	—	
२	हलीम मुस्लिम	कानपुर	२७,६६०	१,०००	७९२	१,६८७	—	—	२५०	—	—	
३	दोसर वैश्य	कानपुर कैन्टोनमेन्ट	१०,६६८	१,४९०	—	१,६३४-८	—	—	१५०	—	—	
४	गुरुनरायण खत्री	कानपुर	२२,७५२	१,१४६-१०	७४४	६४४८-८	—	—	२५०	—	—	
५	श्री मारवाड़ी विद्यालय	कानपुर	२०,७००	१,२००	९००	२,८३०	—	—	—	—	—	
६	कान्य कुब्ज	कानपुर	२२,६६८	१,५१०	६२८	२५३६-८	—	—	—	—	—	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

७	डी० ए० वी०	कानपुर	२६,९६४	१,४४०	१,२१२	६,५३१–८	—	—	—	—	—
८	जे० पी० आर० एन०	अमर जाजमऊ कानपुर	२,४१२	७४०	—	१५४	५००	१,०००	१५०	—	—
९	राष्ट्रीय	रेलबाजार कानपुर	३,७३२	४००	—	—	—	—	—	—	—
१०	राम कृष्ण मिशन	कानपुर	५,१३६	६७०	—	—	—	२,०००	१५०	—	—
११	आर्य नगर	आर्यनगर कानपुर	४,८३६	६९०	—	३९७–८	—	—	१५०	१,०००	—
१२	म्युनिसिपल ए० एच०	जूही कानपुर	७,२००	—	२१६	८१७–८	—	—	४००	—	—
१३	पंडित पृथ्वीनाथ	कानपुर	१६,२३६	९७०	८२८	२,०६६	—	१,०००	—	—	—
१४	डी०पी०सिंह० म्युनिसिपल	नवाबगंज कानपुर	१२,२७६	—	१,२८४	—	—	—	—	—	—
१५	क्राइस्ट चर्च	कानपुर	१३,४५२	४८०	१,००८	—	—	—	—	—	—
१६	हरसहाय जगदम्बासहाय	कानपुर	१९,४५२	१,४१७	४९२	२,०५३–८	—	१०००	१५०	—	—
१७	आदर्श बंग विद्यालय	कानपुर	१२,७४४	८६०	—	६१५	—	—	—	—	—
१८	कानपुर	कानपुर	१४,९०४	१,१००	—	१,६८९	—	—	—	—	—
१९	फैज–ए–आम	कानपुर	७,८७२	८७०	—	—	—	—	—	—	—
२०	गुरु नानक	कानपुर	६,१०८	४२०	—	—	—	—	—	१,०००	—
२१	भारतीय विद्यालय ..	कानपुर	१२,१३२	—	२२८	९६७–८	—	—	१५०	—	—
	बालकों के पूर्व माध्यमिक विद्यालय :										
१	कानपुर विद्या मन्दिर	स्वरूपनगर, कानपुर	६,०७२	३६०	—	—	—	—	—	—	—
	बालिकाओं के उत्तर माध्यमिक विद्यालय :										
१	सुरेन्द्रनाथ सेन बालिका विद्यालय ..	कानपुर	२,३६०४	३,६००	२५२	३,२४८	—	—	—	—	—

संसद पुस्तकालय सभा

अनुदान १९५५-५६

क्रम-सं०	शिक्षा संस्थाओं का नाम जिन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त होता है	जिला कानपुर उसके पते	आवर्तक: अनुपालन अनुदान	आवर्तक: संहगाई अनुदान	आवर्तक: विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	आवर्तक: इंटर कक्षाओं में १ ह० शुल्क छूट घटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान	आवर्तक: शासन द्वारा रा० सं० ए/१३३७/१५: ३००७/१५७: ५४ दिनांक १२-३-५६ के अन्तर्गत स्वीकृत अनावर्तक अनुदान	अनावर्तक: भवन अनुदान	अनावर्तक: सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	अनावर्तक: पुनर्संगठन अनुदान	अनावर्तक: प्लानिंग योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
२	मुस्लिम जुबिली ..	कानपुर	१३,४८८	१,१३३–३	६०	३५४	..	..	..	..	..	
३	लतीफ* ..	कानपुर	१,६०३	३००	४०	..	..	..	..	..	..	*१ जुलाई, १९५५ से अनुदान बन्द कर दिया गया है।
४	ज्वाला देवी विद्या मंदिर	कानपुर	११,६८८	१,०२०	३६	१,५७५	..	..	५००	..	..	
५	म्युनिसिपल हिन्दुस्तानी	हीरामन का पुरवा, कानपुर	५,२२०	..	..	४५०–८	..	..	..	..	..	
६	राज बहादुर राजदुलारी एस० डी० कन्या विद्यालय	नवाबगंज कानपुर	६,४५६	..	..	..	..	..	..	..	..	
७	श्री कैलाशनाथ ..	कानपुर	४,२९६	५४०	..	३३८	..	..	३००	..	..	
८	म्युनिसिपल ..	कानपुर	१८,४२०	..	..	..	..	..	..	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

९	म्युनिसिपल ए० एच०	तिलकनगर, कानपुर	११,३६४	..	..	८४३	..	..	..	..	..
१०	श्री जे० डी० मारवाड़ी बालिका विद्यापीठ	कानपुर	९,५१६	१,०५२–४	..	१,२२५–८	..	..	५००	..	..
११	गुरु नानक ..	कानपुर	३,९४८	१,४४०	..	..	..	..	३००	..	..
	बालिकाओं के पूर्व माध्यमिक विद्यालय										
१	हडसन मेमोरियल ..	कानपुर	९,३६०	१,०८३–१	..	..	..	..	..	..	..
२	एस० पी० जी इपीफेनी	कानपुर	५,५४४	१,०८०	..	..	..	..	२००	..	..
३	गर्ल्स माडल	कानपुर	६,१९२	..	..	..	..	..	..	..	..
४	म्युनिसिपल हिन्दुस्तानी	सदर बाजार, कानपुर	४,२४७	..	..	..	..	..	..	..	..
५	म्युनिसिपल हिन्दुस्तानी	नोघड़ा, कानपुर	३,६३६	..	..	..	..	..	..	..	..
६	म्युनिसिपल हिन्दुस्तानी	पटकापुर, कानपुर	२,०१६	..	..	..	..	..	..	..	
७	म्युनिसिपल हिन्दुस्तानी	प्रेमनगर, कानपुर	३,९९६	..	..	..	..	..	..	..	
८	म्युनिसिपल हिन्दुस्तानी	किराचीखाना, कानपुर	३,६१२	..	..	..	..	..	..	..	..
९	म्युनिसिपल हिन्दुस्तानी	सिविल लाइन्स, कानपुर	४,७००	..	..	..	..	..	..	..	..
१०	मां कस्तूरबा ..	गांधीनगर, कानपुर	२,५८०	९३०	..	..	..	..	..	..	..
	डिगरी कालेज										
१	डी० ए० वी० कालेज	कानपुर	३,१५,६२८	..	..	..	..	१०,०००	..	..	..
२	बी० एस० एस०डी० कालेज	कानपुर	९४,६६३	..	..	..	..	१०,०००	..	..	..
३	क्राइस्ट चर्च कालेज ..	कानपुर	७५,८७३	..	..	..	..	..	२,५००	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	शिक्षा संस्थाओं का नाम जिन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त होता है।	जिला कानपुर उनके पते	अनुदान १९५५-५६								
			आवर्तक				अनावर्तक				
			अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इंटर कक्षाओं में १ रु० शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान	शासन द्वारा रा० ९ सं० ए/१३३७/१५ : ३००७/१५६ के ५४ दिनांक १२-३-५६ के अन्तर्गत स्वीकृत अनावर्तक अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान	प्लानिंग योजना के अन्तर्गत अनुदान	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	ओरियन्टल संस्थाएं		रु०								
१	बलभैव सहाय संस्कृत महाविद्यालय	१२४ कन्टोनमेंट, कानपुर	३,१८०	..	..	..	..	रु०	..	..	..
२	विद्याविनोद संस्कृत पाठशाला	मोनी घाट, नवाबगंज	१,६४४	..	..	..	..	..	..	..	..
३	तिवारी जी का संस्कृत पाठशाला	पुराना कानपुर	१,००८	..	..	..	..	..	..	..	..
४	मदरसा जियाउलउलूम	कुलीबाजार, कानपुर	१,४५२	..	..	..	..	३६२	..	..	..
	आंग्ल भारतीय विद्यालय										
१	सेन्ट मेरीज कन्वेन्ट हाई स्कूल	कानपुर	२४,१०३	..	..	..	..	..	..	..	..
२	मैथोडिस्ट हाई स्कूल	कानपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			१६,९५२ रु०								

अन्य प्रश्न सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२२ पर)

	रु०	आ०	पा०
१—मेसर्स जीवनमल ऐन्ड कम्पनी, कानपुर ..	३६	७	०
२—मेसर्ज जी० जी० फ्रूट रिजर्विंग फैक्टरी, हल्द्वानी ..	—	—	—
३—मेसर्ज रावलपिन्डी फ्लोर मिल्स, मुरादाबाद ..	१	८	०
४—मेसर्ज दी बस्ती शुगर मिल्स, कम्पनी लिमिटेड, वाल्टरगंज, बस्ती	४,०७५	२	९
५—दी इलेक्ट्रीकल एन्ड मेकेनीकल इंजीनियरिंग, वाटर वर्क्स, मथुरा	—	—	—
६—दी ईस्ट इंडिया कारपेट कम्पनी, लिमिटेड, आगरा ..	९	२	०
७—दी स्टैंडर्ड रिफायनरी ऐन्ड डिस्टलरी लिमिटेड, उन्नाव ..	३६९	१	६
८—दी केसर शुगर वर्क्स, लिमिटेड, बहेरी, बरेली ..	१०,१५३	४	३
९—रामलक्ष्मन शुगर मिल्स, माहीउद्दीनपुर, जिला मेरठ ..	७,९९०	०	६
१०—दी शंकर शुगर मिल्स, लि०, कैप्टेनगंज, देवरिया ..	३,३०६	३	९
११—दी न्यूला शुगर फैक्टरी, न्यूला, एटा ..	९१७	२	६
१२—ग्रेट ईस्टर्न एलेक्टरोप्लेटर्स लिमिटेड, इलाहाबाद ..	३३२	१	९
१३—श्री राधा कृष्ण मिल्ज मरघट, मिर्जापुर ..	०	६	०
१४—दी महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स लिमिटेड, रामकोला, देवरिया	८,०९३	४	६
१५—दी सक्सेरिया बिस्वां शुगर फैक्टरी लिमिटेड, बिसवां सीतापुर	२३०	१०	०
१६—आइस एन्ड कोल्ड स्टोरेज कम्पनी, लिमिटेड, फैजाबाद ..	३५	८	०
१७—दी अवध शुगर मिल्स लिमिटेड, हरगांव, सीतापुर ..	१,५५१	५	०
१८—दी एशोसिएटेड जर्नल्स, लिमिटेड, कैसरबाग, लखनऊ ..	१,१८५	१	३
१९—दी डेरी मैनेजर, कोआपरेटिव सोसाइटीज, यू० पी०, बनारस।	—	—	—
२०—कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड, कानपुर ..	६२	३	६
२१—दी मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, लिमिटेड, मिर्जापुर	१६	१	६
२२—उन्नाव राइस एन्ड दाल मिल्स, उन्नाव ..	७२	०	६
२३—दी अपर इंडिया कोल्ड स्टोरेज, लिमिटेड, कानपुर ..	२८९	१	६
२४—असोसियेटेड इनडस्ट्रियल कारपोरेशन, कानपुर ..	१	४	०
२५—दी अपर इंडिया शुगर मिल्स लिमिटेड, खतौली मुजफ्फरनगर	४,५७७	१३	३
२६—दी माधो महेश शुगर मिल्स लिमिटेड, मुडरेवा, बस्ती ..	४६,२८१	५	६
२७—वाटर वर्क्स बाघेना, बनारस	—	—	—
२८—सेक्सेरिया शुगर मिल्स, लिमिटेड, बभनान, गोंडा ..	२०५	९	३
२९—पन्ना जी शुगर एन्ड जनरल मिल्स कम्पनी, बुलन्द शहर ..	१,२५०	६	९
३०—सुखसंचारिक कम्पनी लिमिटेड, मथुरा ..	—	—	—
३१—नागरथ पेन्ट्स लिमिटेड, कानपुर	५७८	८	९
३२—लक्ष्मी शुगर मिल्स, लिमिटेड, महोली, सीतापुर ..	१,५२९	०	३

	रु०	आ०	पा०
३३—दी जौनपुर इलैक्ट्रिक लाइसेंस १९३४, जौनपुर ..	३	०	०
३४—दी रामपुर इंजीनियरिंग कम्पनी, रामपुर ..	२७१	६	९
३५—दी मोदी स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड, मोदी नगर, मेरठ	१४,७७२	११	९
३६—दी लैकुरिटी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, गोविन्दपुरी ..	२०	०	०
३७—दी गवर्नमेंट डाइंग एन्ड क्लीचिंग एन्ड ब्लीचिंग फैक्टरी, मऊ आजमगढ़	५	०	०
३८—दी हिन्दुस्तान बनस्पति मैनुफैक्चुरिंग कम्पनी, लिमिटेड, गाजियाबाद	२,३५३	५	०
३९—दी भरवाल शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, भरवाल ..	२,४७७	१४	०
४०—दी भार्गवा भूषण प्रेस, बनारस	६५७	२	०
४१—दी बुलन्द शुगर मिल्स कम्पनी, लिमिटेड रामपुर ..	१,९७५	१५	९
४२—यूनाइटेड इन्जीनियरिंग एन्ड कनस्ट्रक्टिंग कम्पनी, लिमिटेड, लखनऊ	५८	८	०
४३—दी राजा शुगर मिल्स लिमिटेड, रामपुर ..	६,११२	१२	३
४४—दी गोविन्द शुगर मिल्स लिमिटेड, लखीमपुर खीरी ..	३३४	६	०
४५—दी लक्ष्मी शुगर एन्ड आयल मिल्स लिमिटेड, हरदोई ..	६,५२७	०	६
४६—मवाना शुगर वर्क्स, मवाना, मेरठ ..	५,३७७	१५	०
४७—प्रतापपुर शुगर फैक्टरी मैरवा, देवरिया ..	६६३	३	९
४८—दी कानपुर ओबनीबस सर्विस लिमिटेड, कानपुर ..	६१८	८	३
४९—दी बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, बस्ती ..	४,०६२	१	०
५०—लिपिटन लिमिटेड, इलाहाबाद	१०५	१	६
५१—प्रेम स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स कम्पनी, लिमिटेड, उज्जैनी	३९९	४	९
५२—स्वदेशी काटन मिल्ज, कानपुर	४४,०२३	६	६
५३—किसान इनजीनियरिंग वर्क्स, गाजियाबाद ..	३०४	१५	९
५४—कानपुर शुगर लिमिटेड, गौरीबाजार देवरिया	१,१७५	९	६
५५—सुदर्शन आयल इन्डस्टरी एण्ड जनरल मिल्स, रामपुर	६९	२	६
५६—इन्डियन वुड प्राडक्ट लि०, बरेली ..	६३१	५	०
५७—ग्लोब इंजीयनिरिंग लि०, गोविन्दपुर, मोदीनगर ..	७	८	०
५८—सहारनपुर कोल्ड स्टोरेज लि०, सहारनपुर ..	२६८	१५	३
५९—स्पीड मोटर्स लि०, लखनऊ	१६३	७	०
६०—कृष्णा कोल्हू वर्क्स एन्ड मेटल फौन्डरी, खैरा, मेरठ ..	११७	३	०
६१—मार्डन एलैक्टरोप्लेटिंग, वर्क्स गोविन्दपुरी, मोदीनगर ..	४०	८	६
६२—दीवान शुगर एन्ड जनरल मिल्स लि०, दीवान नगर, मेरठ	२,७११	१	३
६३—ईश्वरी खेतन शूगरमिल्स लि०, लक्ष्मीगंज, देवरिया	५३१	६	०
६४—श्री शादी लाल शुगर एन्ड जनरल मिल्स, लि० मनसरपुर, मुजफ्फरनगर	५,४७४	१३	३
६५—दी वैस्टर्न इंडिया मैच कं० लि०, बरेली ..	२,१९५	६	०
६६—दी शिब्बन टैनरी जज मऊ कानपुर	२२५	७	९
६७—दी इंडियन आक्सीजन एन्ड एसीटाईलीन कम्पनी लि०, कानपुर	३५७	११	०
६८—दी अमृत बनस्पति क० लि०, गाजियाबाद ..	१,२७२	१२	९
६९—दी बुलधरा टी इस्टेट, देहरादून, ...	१८६	४	६

	रु०	आ०	पा०
७०—दी पारकर फैक्टरीज, (इंडिया) फ्रीगंज रोड, आगरा ..	४९	०	०
७१—रतना शुगर मिल्स लिमिटेड, कानपुर ..	९५६	३	३
७२—कृष्णा सैनिटरी फिटिंग, जमुना ब्रिज, आगरा ..	२,२००	०	०
७३—दयालबाग लेदर गुड्स फैक्टरी लि०, आगरा ..	३०	१५	०
७४—फुटवेयर लिमिटेड, कानपुर ..	२४	१२	०
७५—दि अपर दोआब शुगर मिल्स लि०, शामली ..	२,४२२	१३	०
७६—एलाहाबाद ग्लास वर्क्स लि०, नैनी, इलाहाबाद ..	४३४	४	९
७७—मार्डन इन्डस्ट्रीज, गाजियाबाद	२०२	३	६
७८—आफिस आफ दि एग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग, गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल वर्कशाप, लखनऊ	८५	५	०
७९—लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स लिमिटेड, छितौनी, देवरिया ..	७,८०६	०	६
८०—महाराज प्रसाद जैन एन्ड सन्स बंजरवाला, देहरादून ..	४	२	६
८१—ठाकुर होजरी फैक्टरी, बालूगंज, आगरा ..	९	११	०
८२—पालीवाल ग्लास वर्क्स, शिकोहाबाद	८५१	१०	०
८३—देहली ग्लास वर्क्स लि०, जिला मेरठ ..	३५२	०	०
८४—दि बलरामपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड, तुलसीपुर (बेगसदर लैन्ड)	१,२५८	१४	९
८५—दि एलिगिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर ..	१०,४५८	०	६
८६—नार्दर्न इन्डिया आयरन प्रेस वर्क्स, लखनऊ ..	२५७	१०	०
८७—बंगाल केमिकल ऐंड फारमैसेटिकल वर्क्स लि० कानपुर ..	१३४	८	३
८८—इन्डिया रिकांसट्रक्शन कारपोरेशन लि०, कानपुर ..	२४८	८	३
८९—बरेली एलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लि०, बरेली ..	३,८११	१०	६
९०—दि शाहजहानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, शाहजहांपुर ..	८९२	९	३
९१—कौशल ऐंड कं० लि०, कानपुर	१२१	०	०
९२—अपर गैंजेज शुगर मिल, सिनहारा	१५,१०६	१	९
९३—कैर ऐंड कम्पनी, रोजा, शाहजहांपुर ..	४,४४६	३	०
९४—दि अलीगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, अलीगढ़ ..	१२,६२५	१५	९
९५—दि अमृतसर शुगर मिल्स कम्पनी लि०, रोहानाला, मुजफ्फरनगर	९००	०	३
९६—दि हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि०, गोलागोकरणनाथ, खेरी	६,१०४	०	०
९७—अशोका प्लाइ उड ट्रेडिंग कम्पनी लि०, ज्वालापुर ..	—	—	—
९८—डायमन्ड शुगर मिल्स लि०, पिपरायच, गोरखपुर ..	४,३९२	०	३
९९—जुग्गी लाल कमला पति जूट मिल्स लि०, कानपुर ..	१०,९२४	८	३
१००—इन्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी लि०, लखनऊ ..	२,०५०	८	८
१०१—दि रामपुर इन्डस्ट्रीज लि०, रामपुर	२३	०	०
१०२—दि धामपुर शुगर मिल्स लि०, धामपुर	२२,८८९	११	०
१०३—विभूति ग्लाश वर्क्स (प्राइवेट) लि०, रामनगर, बनारस ..	४४४	१	०
१०४—आरकेडिया दी स्टेट, देहरादून	—	—	—
१०५—चांद औषधालय, कानपुर	११	४	०
१०६—यूनाइटेड मोटर्स, लखनऊ	१६	९	०
१०७—सराया आयल वर्क्स, सरदारनगर, गोरखपुर ..	५	११	३
१०८—दि डेल्टा इन्जीनियरिंग कं० लि०, मेरठ ..	३५०	१	३

१०९—असिस्टेन्ट इंजीनियर ईस्टर्न रेलवे प्लान्ट डिपो, मुगलसराय	—	—	—
११०—स्टैन्डर्ड एन्ड कम्पनी, कानपुर	७९	५	०
१११—स्टर्लिंग एलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्क्स, गाजियाबाद ..	४५	१०	०
११२—एल० एच० शुगर फैक्टरीज ऐन्ड आयल मिल्स, पीलीभीत ..	११,४५४	०	३
११३—भेलूपुरा वाटर वर्क्स, बनारस	—	—	—
११४—दि सेंट्रल डिस्टिलरी ऐंड केमिकल वर्क्स, मेरठ ..	२,५८८	७	०
११५—दि गंगा ग्लास वर्क्स लि०, बालावाली	७०८	१	३
११६—दि मोदी सप्लाईज कारपोरेशन लि०, मोदीनगर ..	४४२	१	९
११७—झांसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०	१४	१	०
११८—दि रामपुर डिस्टिलरी ऐंड केमिकल्स कं०, रामपुर ..	४१४	१३	०
११९—श्री आनन्द शुगर मिल्स लि०, खलीलाबाद	२,८५०	३	९
१२०—मेसर्स दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, मेरठ ..	५,६४६	१२	३
१२१—दि यूनाइटेड प्राविन्सेज एलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, इलाहाबाद	१०,९१८	१३	०
१२२—मेसर्स भारत होमियो फारमेसी लि०, नजरबाग, लखनऊ ..	१३७	९	०
१२३—मेसर्स बलरामपुर शुगर कं० लि, बलरामपुर ..	९,५१६	२	०
१२४—दि अलीगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, मथुरा ..	३५९	२	६
१२५—मेसर्स वेस्टर्न एलेक्ट्रोप्लेटर्स, कानपुर	९	१०	०
१२६—पालस बिस्कुट कं०, बनारस	४२	८	३
१२७—मेसर्स कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन, कानपुर ..	४,८४६	८	०
१२८—दि इन्डियन टरपेन्टाइन एन्ड रेजिन कं० लि०, कलटरनकगंज, बरेली	१,७२३	१४	०
१२९—मेसर्स एथटर्न वेस्ट ऐन्ड कम्पनी लि०, कानपुर ..	४,५१३	०	०
१३०—मेसर्स हरबंसवाला टी स्टेट, देहरादून	९७७	७	६
१३१—नार्थ ईस्टर्न रेलवेज, आफिस आफ दि वर्क्स मैनेजर, आइजेटनगर	१९,००७	१०	०
योग ..	३,८८,६८६	४	२

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२७ पर)

बस्ती—१९५५-५६ की स्वीकृत आवर्तक अनुदान

			रु०
१—मुकुन्दनाथ संस्कृत पाठशाला, चैतिया	..	..	९३६
२—संस्कृत पाठशाला मुडेरा, पो० सिरसी ..	..	..	४५६
३—पंचायती स्वामी ब्रह्मानन्द पाठशाला, नया बाजार	..	..	२,८६८
४—सांगवेद विद्यालय तामेश्वरनाथ, खलीलाबाद	..	..	२,४९६
५—श्री वेद विद्यालय सांडीकलां, रुपद्रनगर	..	..	२,५९२
६—मंगल संस्कृत पाठशाला, गौरीवाली ..	..	..	६००
७—संस्कृत पाठशाला गागरगढ़, पो० धानपुर	..	..	७६८
८—सनातन धर्म वर्द्धिनी संस्कृत पाठशाला, नगरबस्ती		..	५६४
९—पंचायती संस्कृत पाठशाला मुडेरबा ..	..	..	४८०
१०—संस्कृत पाठशाला, शोहरतगढ़ ..	..	..	७९२
११—धर्म प्रचारिणी संस्कृत पाठशाला, महराजगंज	..	..	७२०
१२—संस्कृत पाठशाला, सानहा ..	..	..	५६४
१३—विन्देश्वरी विद्यालय मिडरा, पो० वाल्टरगंज	..	..	६३६
१४—संस्कृत पाठशाला विष्णुपुर मिडरा, पो० कप्तानगंज ..		..	६६०
१५—सनातन धर्म प्रवर्द्धिनी संस्कृत पाठशाला, मेंहदावल		..	१,७८८
१६—विजय प्रताप संस्कृत पाठशाला, महसां	..	..	७४४
१७—शंकर संस्कृत विद्यालय जंगलीनाथ धनगढ़वा, खडसारी बाजार			५८८
१८—संस्कृत पाठशाला थानाखास, हरैया ..		..	३६०
१९—रामशंकर सांगवेद विद्यापीठ कोडरा, चन्दहर, बस्ती ..		..	४८०

संसद सदस्य सूचना

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२७ पर)

वर्ष १९५५–५६ में दी गयी सहायता

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम: सं०	जनता द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	आवर्त्तक अनुदान						अनावर्त्तक अनुदान				
		अनुपालन अनुदान	मंहगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इंटर कक्षाओं में १ रु० शुल्क छूट घाटे की पूर्ति संबंधी अनुदान	शासन द्वारा राजाज्ञा सं० का १३३७। १५.३००७ १५७:५४ दिनांक १२–३–५६ के अन्तर्गत स्वीकृत अनावर्त्तक अनुदान	अतिरिक्त अनावर्त्तक अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुन-स्संगठन अनुदान	प्लानिंग योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान
	जिला इटावा											
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	जिनको वार्षिक सहायता मिलती है — (बालकों के लिए)	रु०	रु० आ०		रु० आ०	रु०		रु०	रु०	रु०	रु०
१	एच० एम० एस० इस्लामिया	.. २०,८४४	१,०७९ ७	५४०	१,२८३ ८	..	..	२,०००	२००	..	..
२	श्री कुर्मी क्षत्रिय विद्यालय	.. ६,२५२	९००	..	२,५३७	..	..	..	..	..	१५,०००

३	एस० एन० इंडस्ट्रियल एन्ड कामशियल ..	५,२६८	६९०		२४०	४४०	८	..	..	१०००	..	१,०००	..
४	हिन्दू विद्यालय जसवन्तनगर ..	१,७८८	३९०		..	..		..	..	..	२५०	..	..
५	एस० आर० बी०, फफून्द ..	२,०२८	८३२	८	..	..		..	..	..	..	..	..
६	जनता, बखेवर ..	३,४९२	६९०		..	..		..	..	..	..	..	..
७	जनता अजीतमल ..	३,२४०	७३६	१५	..	९३२		..	..	..	..	..	..
८	सतानत धर्म ..	२३,१९६	१,१७८	१४	१,४१२	६,६५५	८	१,२००	..	..	..	१,०००	..
९	लोकमान्य रूरल मन्दिर महोबा	७,०८०	५४०		..	१,३५७		२,५००	..	..	..	..	..
१०	पब्लिक विधुना ..	३,०६०	४८०		..	..		..	..	..	..	..	..
११	ए० एच० औरैया ..	९,६३६	६६०		१,२२४	१,९७८	८	..	..	..	२५०	..	..
१२	एस० ए० वी०, भरथना* (बालिकाओं के लिए) ..	११,१७२	१,२५०	८	१९२	२,९६३	८	..	..	१,०००	..	..	..
१३	तिवारी जे० पी० कन्या पाठशाला ..	११,५०८	१,०२९	३	३६	९७५		..	..	..	..	..	..
	जिनको वार्षिक सहायता नहीं मिलती है—												
१४	महात्मा गांधी स्मारक पछायागांव	..	..	..	..	..		१,०००	..	..	..	..	..
१५	श्री बिहारीलाल जी, अहेरीपुर ।..	..	..	..	..	..		३,५००	..	..	..	..	..
१६	ज्ञान चन्द जैन ,एक दिल । ..	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..

*१,२०० मंहगाई, १९२ रु० विशेष वेतन वृद्धि १९५३–५४ की लैप्स ग्रांट वर्ष १९५५–५६ में एस० ए० वी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरथाना इटावा को पुनः स्वीकृत की गयी ।

अनंत्रिम विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३० पर)

राजकीय जू० ट्रे० कालेजों की सूची, सन् १९५६–५७

१—राजकीय जे० टी० सी० नार्मल स्कूल, (लड़कों के लिये) आगरा।
२—राजकीय जे० टी० सी० नार्मल स्कूल, (लड़कों के लिये) अल्मोड़ा।
३—राजकीय जे० टी० सी० नार्मल स्कूल, (लड़कों के लिये) झांसी।
४—राजकीय जे० टी० सी० नार्मल स्कूल, (लड़कों के लिये) फैजाबाद।
५—राजकीय जे० टी० सी० नार्मल स्कूल, (लड़कों के लिये) गोरखपुर।
६—राजकीय जे० टी० सी० नार्मल स्कूल, (लड़कियों के लिये) झांसी।

अराजकीय जू० ट्रे० कालेजों की सूची (१९५६–५७)

१—किसान आदर्श हायर सेकेन्डरी स्कूल, प्रतापगढ़, जौनपुर।
२—राहुल जे० टी० कालेज (बुद्ध इन्टर कालेज से संलग्न), कुशी नगर, देवरिया।
३—डी० एन० कालेज तथा ए० के० के० स्कूल, तिरवा, फर्रुखाबाद।
४—नारायन इन्टरमीडियट कालेज, शिकोहाबाद, मैनपुरी।
५—एस० आर० के० कालेज, फिरोजाबाद, आगरा।
६—चम्पा अग्रवाल इन्टरमीडियेट कालेज, मथुरा।
७—महाबोधि हायर सेकेन्डरी स्कूल, सारनाथ (बनारस)
८—श्री कृष्ण हायर सेकेन्डरी स्कूल, बदायूं।
९—सेन्ट्रल ट्रेनिंग स्कूल, झूंसी, इलाहाबाद।
१०—इन्ग्राहम इन्स्टीट्यूट, गाजियाबाद, मेरठ।
११—एस० एस० जे० ई० सी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, खुर्जा, बुलन्दशहर।
१२—श्री गुलाब राय हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरेली।
१३—आर० एस० एस० हायर सेकेन्डरी स्कूल, धोलाना, मेरठ।
१४—साधूराम हायर सेकेन्डरी स्कूल, देहरादून।
१५—के० जी० के० हायर सेकेन्डरी स्कूल, मुरादाबाद।
१६—गांधी स्मारक हायर सेकेन्डरी स्कूल, समोधपुर, जौनपुर।
१७—सेन्ट एन्ड्रयूज हायर सेकेन्डरी स्कूल, गोरखपुर।
१८—जाट वैदिक कालेज, बरौत, मेरठ।
१९—दोसार वैश्य हायर सेकेन्डरी स्कूल, कानपुर।
२०—मारवाड़ी इन्टर कालेज, देवरिया।
२१—कल्याणकारी हायर सेकेन्डरी, स्कूल, बधरा, मुजफ्फरनगर।
२२—स्वतंत्र भारत हायर सेकेन्डरी स्कूल, भावन बहादुरनगर, बुलन्दशहर।
२३—आर० एम० पी० बी० इंटर कालेज, नारसन, सहारनपुर।
२४—बी० एस० एम० बी० इन्टर कालेज, रुड़की, सहारनपुर।
२५—सी० एन्ड आई० हायर सेकेन्डरी स्कूल, हापुड़, मेरठ।
२६—ए० एच० जनता हायर सेकेन्डरी स्कूल, ददरी, बुलन्दशहर।
२७—के० वी० इन्टर कालेज, मछेरा, मेरठ।
२८—किसान हायर सेकेन्डरी स्कूल, मुहीउद्दीनपुर, मेरठ।
२९—श्यामलाल गुप्ता हायर सेकेन्डरी स्कूल, नवाबगंज, उन्नाव।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—६३ एल० ए०—१९५६—७९६।